खण्ड-145, अंक-6
बुधवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(8 दिसम्बर, 1954 ई0)

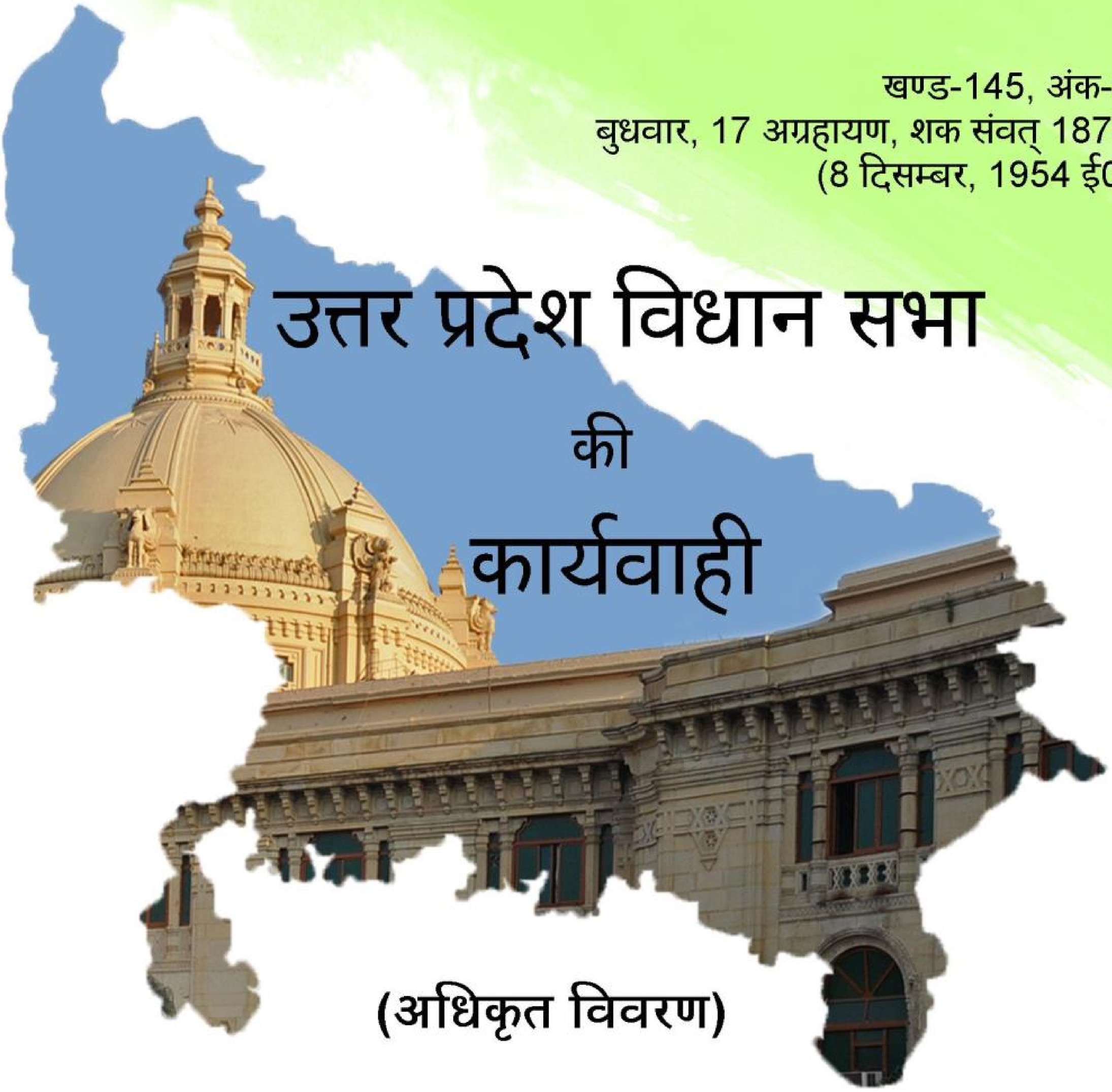

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद , श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराज कुमार, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह, गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा , श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

[१ दिसम्बर, १९५४ के लिये निर्धारित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

लखनऊ चिड़ियाघर के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ चिड़ियाघर में इस समय कौन-कौन पशु कितनी संख्या में हैं ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—

पशु	..	..	२७८
पक्षी	..	..	९६९
सर्प आदि	..	..	७३
कुल संख्या			१,३२०

*२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिड़ियाघर पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय अलग-अलग उससे संबंधित (१) सरकारी कर्मचारियों, तथा (२) पशुओं और पक्षियों आदि पर होता है ?

श्री बनारसी दास—

	रुपये
(१) कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर	३८,७३३
(२) पशु पक्षियों आदि पर	५३,४४४

*३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को इस चिड़िया घर से प्रतिवर्ष कोई आय भी होती है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस चिड़ियाघर पर कोई टिकट लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—सर्पेन्टेरियम (सांपघर) में जन प्रवेश टिकट द्वारा होता है। सरकार का चिड़ियाघर (जू गार्डेन) में जन प्रवेश पर टिकट लगाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि जो ५३,४४४ रुपया पशु पक्षियों पर व्यय होता है उसमें से कितना खूराक पर व्यय होता है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इसका ब्योरा तो नहीं है कि खूराक पर कितना होता है लेकिन खूराक पर बहुत रुपया खर्च होता होगा। शेर को जितना गोश्त दिया जाता है और जितना वह खाता है वह बहुत होता होगा। उसका ब्योरा न होते हुये भी मैं इतना कह सकता हूं कि काफी रुपया इस धन में से उनकी खूराक पर व्यय होता होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सर्पेन्टेरियम में जनप्रवेश पर जो टिकट है उसकी दर क्या है और उससे कितनी वार्षिक आमदनी होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी उससे वार्षिक आमदनी का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जब से टिकट लगा है तब से अभी साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मुझे बताया गया है, उससे किसी रोज सौ रुपये, किसी रोज ७५ रुपये और किसी रोज ५० रुपये लेकिन ५० रुपये से कम कदाचित् किसी दिन आमदनी नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि यह आमदनी उत्तरोत्तर बढ़ेगी और दूसरी चीज भी सर्पेन्टेरियम की तरह से खुलेंगी जिससे हम आमदनी बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जिससे खर्चे में काफी कमी आमदनी के रुपये से हो जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रति दिन दर्शकों की संख्या इस गवर्नमेंट अजायबघर में कितनी औसतन हो जाती है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—बच्चों से दो पैसा चार्ज होता है और आदमियों से एक आना । यह फी व्यक्ति चार्ज होता है उससे आप आंकड़े जोड़ सकते हैं ।

श्री झांरखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पशु पक्षियों की रक्षा तथा अन्य प्रबन्ध के लिये पुलिस तैनात की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस का पशु पक्षियों से तो कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन पशु पक्षियों की तरह के कुछ व्यक्तियों के इन्तजाम के लिये कभी कभी पुलिस को भेजना पड़ता है ।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी चिड़ियाघर में हमारे देश से बाहर के कौन कौन से जानवर या पशु लाये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब के नाम तो नहीं मालूम हैं लेकिन कुछ अफ्रीका के जानवर अवश्य हैं । अगर नैपाल को आप विदेश मानें तो नैपाल के भी कुछ जानवर हैं लेकिन सब के बारे में मैं नहीं बता सकता कि कौन कहां के जानवर हैं ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या यह सही है कि कानपुर से कोई एक अद्भुत जानवर इस जू में आया था और यदि आया था तो उसकी क्या स्थिति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, कानपुर से एक जानवर आया था लेकिन अद्भुत तो नहीं था देहात में ऐसा जानवर अक्सर देखा जाता है ऐसा लोग बताते हैं । यहां के नागरिकों के लिये वह अद्भुत प्रतीत होता हो तो दूसरी बात है ।

श्री जोरावर वर्मा—(जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रवेश शुल्क एडल्ट्स पर एक आना और बच्चों पर २ पैसा लगाया गया है वह कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मेरा खयाल है कि तीन या चार महीने से प्रारम्भ हुआ है । शायद जुलाई से शुरू हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सांपों की जो किस्में वहां हैं उनमें क्या उड़ने वाला सांप भी है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—आप उसको देख आइये। मुझे किस्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं ।

*४–६—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर के महेश्वरी मोहाल की नालियों की सफाई

*७—**श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर के महेश्वरी मोहाल की म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनायी गयी नालियों की सफाई के लिये नालियों में लगे पानी के पाइप आजकल हटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी नहीं, यह पाइप युद्ध-काल में पानी की कमी के कारण हटा दिये गये थे ।

*८—**श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आज कल इन नालियों की सफाई का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आजकल इन नालियों की सफाई नगरपालिका के भिश्तियों द्वारा की जाती है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रथम युद्ध काल में काटी गयी थीं या दूसरे ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो सूचना मेरे पास कानपुर से आयी है उसमें ड्यूरिंग दि वार है और मेरा अनुमान है कि यह द्वितीय वार में काटी गयी थी।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी अब फिर इन पाइपों को चालू कराने का कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—शहर का वाटर वर्क्स और ड्रेनेज पूरा ही रिआरगनाइज हो रहा है और उसमें काफी रुपया खर्च होने जा रहा है। एक किश्त वहां पहुंच भी चुकी है और उसके अन्तर्गत क्या-क्या एजेज हैं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन काम शुरू हो गया है।

अल्मोड़ा जिले के पंचायत मंत्रियों का वेतन

*९—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ में जिला अल्मोड़ा में कितने पंचायत मंत्री थे और उनमें से कितनों को अभी तक उपर्युक्त वर्ष का वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९५०-५१ में जिला अलमोड़ा में कुल १५९ पंचायत मंत्री थे। सब के वेतन का भुगतान हो चुका है।

*१०—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—सरकार उस बकाया वेतन के भुगतान की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न ही नहीं उठता।

डफ़रिन हास्पिटल, बहराइच में स्थानाभाव

*११—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डफरिन हास्पिटल, बहराइच में एक भी बेड और बेडिंग (Bed and Bedding) नहीं हैं ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। आजकल अस्पताल में २३ बेड हैं और बेडिंग पर्याप्त हैं।

*१२—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या यह सत्य है कि नर्सों के रहने के लिये कोई क्वार्टर नहीं हैं ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। अस्पताल की दो नर्सों में से एक के पास क्वार्टर है। दूसरी के लिये क्वार्टर बनाने का विचार हो रहा है।

*१३—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या यह सही है कि एम्बुलेन्स कार (Ambulance car) के लिये गैरेज (garrage) और ड्राइवर तथा क्लीनर के रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—जी हां। शीघ्र ही इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न हो रहा है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्याप्त बेडिंग से उनका क्या मतलब है ? क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि वहां कोई प्रबंध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरा मतलब है कि जितने बेड्स की आवश्यकता है, जितने शेड्यूल्ड होते हैं उसके मुताबिक पूरे हों।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां पर मरीजों की बहुत बड़ी संख्या आती है लेकिन उनको एकोमोडेशन नहीं मिल पाता ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—यह सत्य है । हमारे अस्पतालों में जितनी संख्या में मरीज आते हैं उसको देखते हुए अभी सब मरीजों के बिस्तरों का इंतजाम प्रदेश के अस्पतालों में नहीं है ।

*१४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में करवी नोटीफाइड एरिया को म्युनिसिपैलिटी बनाने की मांग

*१५—**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह करवी नोटीफाइड एरिया (बांदा) को कब तक म्युनिसिपैलिटी बनाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

*१६—**श्री जगपति सिंह**—क्या यह सही है कि हमीरपुर जिले के कई कस्बों में जो करवी से जनसंख्या में कम थे गत वर्षों में म्युनिसिपैलिटी खोल दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—केवल हमीरपुर ही ऐसा कस्बा था जहां जनसंख्या करवी से कम होते हुये भी म्युनिसिपैलिटी स्थापित की गयी है ।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि यह विचाराधीन मसला सन्, १९५४ के अन्दर हल हो जायगा और वह म्युनिसिपैलिटी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् ५४ के जितने दिन बाकी हैं उसमें मुझे आशा नहीं दीखती कि यह हो जायगा ।

उत्तराखंड विद्यापीठ, गढ़वाल का जड़ी बूटियों के विकास तथा अन्वेषण में प्रयास

*१७—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को मालूम है कि उत्तराखंड विद्यापीठ, गढ़वाल ने हिमालय में उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियों का संग्रहालय बनाकर बहुत सी जड़ी बूटियों का संग्रह किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इन जड़ी बूटियों के विकास और अन्वेषण के लिये जिला गढ़वाल में क्या काम किया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, जिला गढ़वाल में जड़ी-बूटी के विकास एवं अन्वेषण के लिये अभी कुछ नहीं किया गया है ।

*१८—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही है कि उत्तराखंड विद्यापीठ ने हरकोर्ट बटलर टेक्नीलोजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर में रिसर्च करवाया था ? यदि हां, तो इस परीक्षण का क्या फल रहा ?

श्री बनारसी दास—सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं कि विद्यापीठ ने कोई रिसर्च हरकोर्ट बटलर टैक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में करवाया था । परन्तु सरकार द्वारा मेदा नामक जड़ी का अन्वेषण इस इन्सटीट्यूट में करवाया गया था ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतलायेगी कि जिस जड़ी की रिसर्च पहले हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में हुयी थी वह सरकार को कहां से प्राप्त हुयी थी ?

श्री बनारसी दास—जी हां, करायी गयी थी लेकिन पूरा अन्वेषण नहीं हो सका इसलिये पुनः सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्दर उस पर अन्वेषण किया जा रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कहां से प्राप्त हुयी थी ?

श्री बनारसी दास—गढ़वाल के क्षेत्र से ही प्राप्त हुई थी ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतलायेगी कि गढ़वाल के किस क्षेत्र से यह प्राप्त हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आप ही के क्षेत्र से । जहां से आप चुनकर आये हैं ।

श्री गंगा धर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि जो अन्वेषण कानपुर में कराया गया था उसका फल क्या था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कोई उसका कनक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है । ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले अन्वेषण कर रहे हैं और फल बाद में पता चलेगा ।

लखनऊ में रिक्शावालों की हड़ताल

*१९—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २९-९-५४ ई० को लखनऊ नगर के रिक्शे वालों ने आंशिक समय के लिये हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं ।

*२०—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह रिक्शेवालों की मांगों पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार के पास इस समय रिक्शे वालों की कोई मांग विचाराधीन नहीं है ।

*२१-२२—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

गांव पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव

*२३—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों का चुनाव कब तक हो जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों का चुनाव पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पास होने पर तथा तदन्तर्गत नियमों के बनने पर यथा शीघ्र कराया जायगा ।

*२४—श्री नागेश्वर द्विवेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन करने का है ? यदि हां, तो यह विधेयक सदन में कब तक आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कब तक कर दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्डों के पुर्नसंघटन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस प्रश्न का निर्णय हो जाने के पश्चात् अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके जिला बोर्डों के निर्वाचन होंगे । इसमें कितना समय लगेगा यह अभी निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है ।

*२५—श्री सीताराम शुक्ल—[२९ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बोर्ड मुरादाबाद में रिक्त स्थान

*२६—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड मुरादाबाद में कुल कितने सदस्यों के स्थान रिक्त हैं और यह कब से खाली हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला बोर्ड मुरादाबाद में कुल ५ सदस्यों के स्थान क्रमशः १६ जून, १९५२, ६ जुलाई, १९५२, अक्तूबर, १९५३, ६ जनवरी, १९५४ तथा १८ जून, १९५४ से रिक्त हैं।

जिला अस्पताल बरेली में शैय्याओं की संख्या

*२७—श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल बरेली में कितने बिस्तरों (शैय्यायें) का प्रबन्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१०४ शैय्यायें हैं।

*२८—श्री रामचरन लाल गंगवार(अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि बरेली जिला अस्पताल में भवन व बिस्तरों की कमी है जिससे मरीजों को असुविधा रहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शिकायत तो नहीं आयी है परन्तु और शैय्यायों को बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है।

कुम्भ दुर्घटना सम्बन्धी जांच कमेटी की रिपोर्ट की मांग

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास कुम्भ दुर्घटना की जांच कमेटी की रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद जिले की नयी डिस्पेंसरियां

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में पिछले ३ साल में कितनी आयुर्वेदिक व कितनी ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी खुली हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एलोपैथिक—३
आयुर्वेदिक—

*३१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

टी० बी० सैनेटोरियम के लिए अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा एकत्रित धन

*३२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्ष हुये सरकारी आदेशानुसार अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा T. B. Sanitorium के लिये कुछ रुपया जिलेवार प्रदेश भर में एकत्रित किया गया था ? यदि हां, तो वह रुपया कुल कितना था ?

श्री बनारसी दास—जी हां। १५,१८,७१३ रु०।

*३३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—उक्त एकत्रित धन का अभी तक क्या प्रयोग हो चुका है और नया T. B. Sanitorium कहां और कब तकबन कर तैयार हो जायेगा ?

*३४—इस Sanitorium में कितनी बेड्स (beds) रखने के का आयोजन है और विद्यार्थियों व अध्यापक के लिये क्या क्या सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

श्री बनारसी दास--एक बड़ा क्षय रोगाश्रम बनाने का विचार नहीं है। यह उचित समझा गया कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में कई क्षय रोग अस्पताल बनें जिससे हर क्षेत्र के लोगों को वहां पहुंचने में सुविधा हो। योजना यह है कि भवन निर्माण और सामान का व्यय अध्यापक विद्यार्थी फंड से दिया जाय और वार्षिक व्यय सरकार दे। हर अस्पताल में ७५ प्रतिशत शय्यायें अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये और २५ प्रतिशत जनता के लिये हों। खर्चे और शय्याओं और सुविधाओं का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१७-४१८ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस १५,१८,७१३ रुपये की धनराशि में किस जिले ने सब से अधिक धन एकत्रित करके दिया?

श्री बनारसी दास--वह तो एक लम्बी सूची है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनको दी जा सकती है। इस वक्त मेरे पास नहीं है। वह रुपया हमको मिल गया है विद्यार्थी फंड का, उस सूची में दिया गया है कि कितना एमाउन्ट वसूल हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ डिवीजन में भी कहीं टी० बी० सेनेटोरियम के लिये इसमें से कुछ रुपया दिया गया है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--मेरठ डिवीजन में जो डाक पाथर सेनेटोरियम है उस पर सरकार स्वयं धन व्यय कर रही है और सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के सेनेटोरियम स्थापित हो जायं और इसलिये जो सेंट्रल प्लेसेज प्रदेश में समझी गईं वहां इस धन का अधिकांश हिस्सा उन क्षेत्रों में दिया गया।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर बनारस डिवीजन में भी सरकार कहीं इस तरह का सेनेटोरियम खोलने का विचार कर रही है।

श्री चन्द्र भानु गुप्त--गोरखपुर में ५० हजार, बस्ती में ५० हजार रुपया दिया गया, और भी रुपया देने की व्यवस्था इन स्थानों के लिये की जा रही है।

अलीगढ़ जिले के लिए सीमेंट

*३५--**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ को सन् १९५३-५४ में कितना सीमेंट आबपाशी के कुओं और मकान बनाने के लिए दिया गया?

श्री बनारसी दास--११,०६२ बोरे आबपाशी के कुओं के लिये; ३२,३६३ बोरे मकानों के लिये।

*३६--**श्री हरदयाल सिंह पिपल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस शहर को कितना सीमेंट नये मकान बनाने के लिए सन् १९५३-५४ में दिया गया?

श्री बनारसी दास--२,८३० बोरे।

आजमगढ़ जिले में जिला बोर्ड की बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित सड़कों के बनाने के लिए प्रार्थना

*३७--**श्री राम सुन्दर पांडेय**--(जिला आजमगढ़)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जिला बोर्ड की कौन सी सड़कें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैं, जिन पर बाढ़ एवं बरसात में आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है?

श्री मोहन लाल गौतम--आजमगढ़ जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जिला बोर्ड की निम्निलिखित सड़कें स्थित हैं :-

१--मधुबन-दुबारी सड़क
२--बिलरियागंज-नैनीजोर
३--अजमतगढ़-रजादेपुर रौनापुर
४--चपरी-महराजगंज
५--अनजुआ-रामगढ़
६--बाजार गोसाईं-सिजौली कलां
७--बिलरियागंज-लाटघाट
८--चकउथ-उफरौली
९--दुबारी-उभांव ।

*३८--श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री आजमगढ़ जिला बोर्ड को ऐसी सड़कों को बनाने के लिये सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

*३९--श्री राम सुन्दर पांडेय--यदि हां, तो कितनी और कब ?

श्री मोहन लाल गौतम--विषय विचाराधीन है । अंतिम निर्णय होने पर ही यह बताया जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने मधुबन-दुबारी और बिलरियापार सड़कों का प्रार्थनापत्र बनाकर सरकार की मदद के लिये भेजा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां, भेजा है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर सन् ५४ में ७५ हजार रुपया आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़ पीड़ित सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जो ५ लाख रुपया फ्लड से खराब हुई सड़कों या मकानों की मरम्मत के लिये बजट में प्राविजन है उसमें से अनुमान है कि ७५ हजार रुपया आजमगढ़ को दिया जायगा, लेकिन अभी शायद भेजा नहीं गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड आजमगढ़ को इन बाढ़पीड़ित सड़कों की मरम्मत के लिये आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह रुपया तो इसलिये दिया जाता है कि जो सड़कें बाढ़ से खराब होती है उन्हीं पर खर्च हो । इसलिये और मजीद आदेश की कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो टेस्ट वर्क्स इस वक्त जिले में चल रहे हैं वह उन्हीं बाढ़ पीड़ित सड़कों पर काम हो जिससे कि खर्चे में कमी हो सके और वह सड़कें बन सकें ?

श्री मोहन लाल गौतम--इससे इस मुहकमें का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिलाबोर्ड ने बाढ़ से जो सड़कें खराब हुई थीं उनके लिये ४ लाख रुपये की मांग की थी ?

श्री मोहन लाल गौतम--ठीक तो याद नहीं लेकिन यह जरूर है कि ज्यादा मांग की थी । उतना नहीं मिल पाया ।

टाउन एरिया बिलारी, जिला मुरादाबाद की मांगें

*४०—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बिलारी, जिला मुरादाबाद ने राज्य सरकार से सड़कों के लिये ऋण मांगा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, २०,००० रुपये ।

*४१—श्री महीलाल (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टाउन एरिया ने मांग की है कि उसकी सीमा क्षेत्र को बढ़ाने की उसे अनुमति दी जाय ? क्या सरकार उक्त मांग पर विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, आवेदन विचाराधीन है ।

कुमायूं डिवीजन में खुलने वाले औषधालय

*४२—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष कुमायूं डिवीजन में कितने ऐलोपैथिक अस्पताल या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोले जाने का निश्चय किया गया है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—इस वर्ष कुमायूं डिवीजन में निम्नलिखित ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने की स्वीकृति दी गयी है :

(१) दनियां, जिला अल्मोड़ा ।
(२) मुन्स्यारी, जिला अल्मोड़ा ।
(३) महिला अस्पताल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल (जिला बोर्ड अस्पताल का प्रान्तीयकरण) कोई आयुर्वेदिक या यूनानी दवाखाना इस साल नहीं खोला जा रहा है ।

खीरी जिले के मोहम्मदी अस्पताल में शव परीक्षण की व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*४३—श्री राम भजन शर्मा (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि थाना व परगना मोहम्मदी के अन्तर्गत आत्महत्या तथा कत्ल होने वाले व्यक्तियों के शव परीक्षण के लिये शाहजहांपुर व गोला शवों को भेजने के बजाय मोहम्मदी अस्पताल में व्यवस्था करने का वह विचार कर रही है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—ऐसा कोई सुझाव सरकार के पास अब तक नहीं आया था ।

*४४—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

गांधी मेमोरियल ऐंड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ में डालडा का प्रयोग

*४५—श्री श्याम चरण वाजपेयी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि गांधी मेमोरियल ऐन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ के मरीजों को खाने में घी के स्थान पर डालडा दिया जाता है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी हां, जनरल वार्ड के मरीजों का खाना तैयार करने में डालडा इस्तेमाल किया जाता है ।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में हरिजन विद्यार्थी

*४६—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की नयी स्कीम के अनुसार जो स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोला गया है उसमें कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनमें कितने हरिजन विद्यार्थी हैं ?

श्री बनारसीदास—स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रथम वर्ष की कक्षा में इस वर्ष ४० विद्यार्थी भरती हुये हैं जिनमें से दो परिगणित जाति के हैं ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति के छात्रों को प्रतिमास कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—छात्रवृत्ति तो हरिजन विभाग से दी जाती है । हमारे यहां से तो दी नहीं जाती ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस आयुर्वेदिक कालेज में कितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष लिये जायेंगे ?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि ४० लिये गये हैं इस वर्ष ।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या इस कालेज में कुछ महिलायें भी भर्ती की गयी हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां । दो महिलायें भर्ती की गयी हैं इस वर्ष ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या इस कालेज के प्रबन्ध से असन्तुष्ट होकर विद्यार्थियों ने कोई हड़ताल भी की है ?

श्री बनारसी दास—कुछ ऐसा है कि विद्यार्थी थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं कि वहां पर एम०बी०बी एस० का कोर्स भी पढ़ाया जाय । और कोई विवाद नहीं है । जिस वक्त दाखिला हुआ था सब को यह बतला दिया गया था कि आयुर्वेद की ही शिक्षा दी जायगी लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि एम०बी०बी०एस० का कोर्स पढ़ाया जाय । तो यही थोड़ा सा मतभेद है जिस कारण उनमें थोड़ा सा असन्तोष है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह सही है कि विद्यार्थी संस्कृत पढ़े नहीं हैं और वहां पर संस्कृत में भाषण दिये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संस्कृत में तो भाषण नहीं दिये जाते हैं लेकिन जो वहां के अध्यापक यानी वैद्य हैं वह विद्यार्थियों से यह आशा जरूर प्रगट करते हैं कि थोड़ी बहुत संस्कृत का वह अध्ययन जरूर करें क्योंकि वैद्यक की अधिकांश पुस्तकें संस्कृत में हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है वह इंटरमीडियट साइंस हैं । क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि कोई संस्कृत का टीचर वहां हो और वह अंग्रेजी भी जानता हो और जो अंग्रेजी में भाषण दे सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अंग्रेजी में भाषण देने का सवाल तो उठता नहीं है क्योंकि वैद्य लोग हिन्दी में ही समझाते हैं लेकिन जब रिफ्रेंस किसी किताब का देना होता है तो उसका जिक्र संस्कृत में ही हो सकता है । इसलिये रिफ्रेंस के लिये कदाचित विद्यार्थियों से संस्कृत पढ़ने के लिये

कहते हैं । जो विद्यार्थी इस कालेज में दाखिल हुये हैं, यह सत्य है कि वे इंटर साइंस हैं क्योंकि जो कमेटी नियुक्त की गयी थी कोर्सेज और सिलेबस के लिये, उसने जो बेसिक क्वालीफिकेशन रखी उसमें निर्णय दिया कि वही विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे जो इंटर साइंस होंगे ।

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर कि आयुर्वेद की पुस्तकें संस्कृत में हैं इसलिये विद्यार्थियों को लेते समय ऐसा स्टैन्डर्ड नियत करेंगे कि वह लड़के संस्कृत पढ़े हों ?

चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक स्टैन्डर्ड वगैरह के रखने का विषय है तो यह विश्वविद्यालय रखता है क्योंकि जितने ऐकेडेमिक मामले हैं उन सबका फैसला वहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल करती है और उसके वही लोग सदस्य होते हैं जो अपने विषय के पंडित होते हैं ।

इटावा जिले में भट्टों के लिए कोयले का वितरण

*४७—**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर इस वर्ष कितना कोयला ईंट पकाने वाले भट्टों को दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—इस वर्ष (जूलाई, १९५३ से जून, १९५४ तक) प्राइवेट भट्टों को १४४ वैगन कोयला दिया जा चुका है ।

*४८—**श्री मिहरबान सिंह**—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ के कितने भट्टों को कितने-कितने वैगन, कोयला दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—उक्त अवधि में सहकारी संघ के भट्टों को कुल ८०१ वैगन कोयला दिया जा चुका है । जिले में इन भट्टों की संख्या ४२ है । प्रत्येक भट्टे को जितना कोयला दिया गया उसकी सूची सम्बद्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१९–४२० पर)

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १४४ वैगन कोयला प्राइवेट भट्टों को दिया गया है, वह कितने हैं ?

श्री बनारसी दास—उनकी संख्या २१ है ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मानीय मंत्री जी को ऐसी सूचना प्राप्त हुयी है कि जिन सहकारी संघ के भट्टों को कोयला दिया जाता है वह उससे ईंटें तैयार न करके ज्यादा दाम पर कोयला बेच देते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भट्टों को कोयला दिया जाता है और उससे जो ईंटें तैयार होती हैं क्या उनकी जांच करायी जाती है कि कितनी ईंटें तैयार हुयीं ?

श्री बनारसी दास—जी हां सप्लाई आफिसिर हैं वह देखते हैं और कोआपरेटिव के भट्टों को जो कोयला दिया जाता है वहां प्लानिग अफसर होता है और यह भट्टे कोआपरेटिव आफीशियल्स के अधीन चलते हैं, वह इनकी जांच करते हैं ।

इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू अस्पताल का स्थानान्तरण

*४९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू अस्पताल को हटा कर इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के स्थान पर ले जाने वाली हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त---जी हां। जल्दी ही इस कार्य को करने की कोशिश की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जिले से टाउन एरियाओं की सहायतार्थ आवेदन पत्र

*५०---**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर के प्रत्येक टाउन एरिया को सरकार ने १९५२-५३ में कितनी-कितनी और किसलिये सहायता दी ?

श्री मोहनलाल गौतम---१९५२-५३ में मुजफ्फरनगर जिले की किसी टाउन एरिया कमेटी को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन किन टाउन एरिया के चेयरमैनों की ओर सरकार के पास सहायतार्थ आवेदन पत्र आये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह तो एक बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष---आप सिर्फ मुजफ्फरनगर के बारे में बतला दें।

श्री मोहनलाल गौतम---मुजफ्फरनगर से सहायता के लिये किसी की भी मांग नहीं थी।

श्री राम दास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी जिन टाउन एरिया की हालत बहुत खराब है उन को आगामी वर्ष में सहायता देने का विचार रखते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जो सीमित धनराशि यहां से मिलती है उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करने के लिये टाउन एरिया को सहायता हर साल दी जाती है।

आजमगढ़ जिला सप्लाई अफसर के कार्यालय में एक नियुक्ति

*५१---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिला सप्लाई अफसर ने अपने कार्यालय में कुछ नयी नियुक्तियां गत तीन मास के अन्दर की हैं ? यदि हां, तो क्या ये नियुक्त कर्मचारी पुराने सेवा मुक्त इस विभाग के कर्मचारियों में से लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केवल एक नियुक्ति की गयी। यह नियुक्त व्यक्ति खाद्य तथा रसद विभाग का सेवा मुक्त कर्मचारी है।

हाथरस तहसील में अस्पताल खोलने के लिए प्रार्थना

*५२---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट** (जिला अलीगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस जंकशन मुरसान, विसाना और लाखन में सरकारी अस्पताल खुलने की व्यवस्था उनके विचाराधीन है ?

श्री बनारसी दास---हाथरस जंकशन के लिये वशिष्ठ जी ने पहिले भी कहा था परन्तु भवन की व्यवस्था न हो सकी। इस कारण वहां अस्पताल न खुल सका। अन्य स्थानों के लिये कोई सुझाव सरकार के पास नहीं आये हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि देहातों में उन स्थानों पर जहां पर करीब में कोई अस्पताल नहीं है, अगर वहां जमीन की व्यवस्था कर दी जाय तो क्या बिल्डिंग सरकार की तरफ से बन सकती है ?

श्री बनारसी दास—आज कल बड़ी कठिनाई है और प्रायः बहुत सी जगहों से आफर आते हैं जहां जमीन के अतिरिक्त इमारत भी मिल जाती है इसलिये वहीं पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक हाथरस जंकशन का सवाल है वहां पांच मील के रेडिअस में अस्पताल भी हैं और आपके जिले की परामर्शदात्री समिति ने इसकी कोई सिपारिश नहीं की है।

सीतापुर जिलाबोर्ड के पशुवध संबंधी नियम

*५३—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—क्या यह सच है कि सीतापुर जिला बोर्ड ने दो वर्ष से अधिक हुये पशुबध के विषय में कुछ नियम बना कर कमिश्नर द्वारा सरकार के पास भेजे थे ? यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*५४—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

खाद्यान्नों के भाव बताने की व्यवस्था

*५५—**श्री गेंदा सिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसकी ओर से ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसके द्वारा खाने पीने की चीजों के बाजार दर को जनता नियमित रूप से जान सके ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। खाद्यान्नों के बाजार दरों से जनता को अवगत कराने के लिये सरकार राज्य की ६ प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूं के औसत थोक बाजार भाव को प्रति सप्ताह मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करती है। विभिन्न खाद्यान्नों के दैनिक भाव भी आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र से देहाती प्रोग्राम में प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं।

*५६—**श्री गेंदा सिंह**—क्या पिछले ६ महीनों में खाद्य पदार्थों की बाजार दरों की तालिका को सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—पिछले ६ महीनों में राज्य की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्नों की औसत थोक बाजार दरों की एक तालिका मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२१ पर।)

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर महीने की जानकारी इस उत्तर में क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री बनारसी दास—वह तो प्रत्येक मास के अन्त में रिपोर्ट यहां आती है और फिर उसकी तालिका आपके सामने रखी जा सकती थी। इसलिये नवम्बर मास के आंकड़े नहीं हैं ?

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जो दर इस तालिका में बतलायी गयी है उस दर में भारी परिवर्तन यानी गिरावट दामों में नवम्बर में आयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख है कि नवम्बर मास के आंकड़े नहीं आ सके क्योंकि इसका उत्तर पहले से तैयार हो गया था और वह उत्तर इसी प्रकार से इस सदन में दे दिया गया। यदि माननीय सदस्य नवम्बर के भी आंकड़े चाहते हैं तो वह यदि नोटिस देंगे तो मंगवा दिये जायेंगे। लेकिन यह सत्य है कि नवम्बर के मास में जहां तक कोर्स ग्रेन्स के दामों का सवाल है उनमें काफी परिवर्तन हुआ है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि जो अक्तूबर के महीने में गुड़ का भाव २१ रुपये कुछ आने था वही ९ रुपये कुछ आने इस समय हो गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दस तक शायद हो गया है, ऐसा सुन रहा हूं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार जो इस प्रकार कीमतें बेतुकी ढंग पर गिरा रही हैं उनके रोकने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, अभी गेहूं के ही विषय में केन्द्र के डिप्टी फूड कमिश्नर आये थे और उनसे इस विषय पर बातचीत हुयी। और यह देखकर कि गेहूं के दाम घट रहे हैं प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय किया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं के भेजने का प्रबन्ध करा दिया जाय और उस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से और प्रदेशीय सरकार से कुछ परामर्श हुआ है और उसकी तहत में गेहूं के दाम जो अधिक घटते जा रहे हैं हम बाहर भेज कर उसमें संतुलन लाने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तालिका मेज पर रक्खी गयी है, उसमें प्रथम और अंतिम मास के गुड़ की दर क्या है ?

श्री बनारसीदास—प्रथम और अंतिम मास से क्या मतलब है। मई से लेकर अक्तूबर तक की दरें तालिका में हैं।

श्री अध्यक्ष—मई और अक्तूबर के बतला दीजिये।

श्री बनारसी दास—मई के अन्दर १९ रु० ११ आ० ९ पाई और अक्तूबर में २१ रु० ११ आ० गुड़ के भाव थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी गुड़ के अधिक गिरते हुये भाव को रोकने के लिये किसी प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इस प्रश्न पर कोई ऐसा विचार नहीं हुआ है लेकिन अगर कोई ऐसी हालत उठेगी तो सरकार अवश्य उस हालत पर विचार करेगी।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या ज्वार और धान की गिरती हुयी दरों को नियंत्रित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियंत्रण करने का विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है और जो अब तक नीति प्रदेश की सरकार ने बरती है उसको देखते हुये अभी हाल में कोई नियंत्रण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इन गिरते हुये भावों को देख कर किसान और व्यापारियों में घोर असंतोष फैल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां यह सत्य है कि जब दाम घटते हैं तो किसान को तकलीफ होती है और असंतोष भी होता है। व्यापारी को भी यदि उसने अधिक कीमत पर कोई गल्ला खरीद लिया है और दाम घट जाते हैं तो उसको असंतोष होता है।

श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि इस प्रान्त के लाखों भूमिहीन मजदूर जो मजदूरी से अपना पेट भरते हैं इन गिरते भावों पर अपना संतोष जाहिर कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह भी सत्य है कि भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं है, जो गल्ला पैदा नहीं करते हैं उन्हें कम कीमत पर गल्ला मिलेगा तो उन्हें संतोष मिलेगा ही।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि सरकार ने सन् ५४ में कोई ऐसी पालिसी अख्तियार की है कि गल्ला खास तौर पर मंहगा किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने गल्ले की कीमत बढ़ाने की कोई नीति नहीं अपनायी है। सरकार ने गल्ले को अनियंत्रित कर दिया है जिससे समय समय पर भाव गिरते और बढ़ते हैं। बाजार में फ्री मार्केट चल रहा है और फ्री मार्केट में कोई रोकथाम करने का निर्णय सरकार ने नहीं किया है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस हफ्ते के अन्दर किसानों की पैदा की हुयी चीजों की कीमतें जो गिर रही हैं उस पर कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कोई ऐसा विचार नहीं है ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या गिरती हुयी कीमतों के कारण सरकार कल कारखानों से पैदा हुयी चीजों के भावों को भी गिराने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कल कारखानों की बनी हुयी जिन चीजों पर नियंत्रण जारी है वे चीजें तो नियंत्रित दामों पर बिकती हैं लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जिनको किसान रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करता है और जिन पर नियंत्रण नहीं है और जिनकी कीमतें कभी घटती हैं और कभी बढ़ती हैं उन पर नियंत्रण लगाने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कृषि उत्पादन के गिरते हुये दामों को देखकर बढ़ी हुयी सिंचाई की दर को कम करने का सरकार का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आज तो यह प्रश्न अभी उठता नहीं है क्योंकि अभी जिन्स के दाम स्थिर नहीं हुये हैं। कभी वह घटते हैं और कभी बढ़ते हैं। जब सारी कीमतों का सन्तुलन हो जायगा तब कदाचित् वह दिक्कत जो आज सदन में विभिन्न प्रश्नों के द्वारा उठायी जा रही है वह हमारे बीच में पैदा नहीं होने पायेगी ।

*५७—श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८-५९—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—[३ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ८०-८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बाघराय, जिला प्रतापगढ़ में अस्पताल खोलने की आवश्यकता

*६०—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने सुन्दरगंज (बाघराय) प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले एक एलोपैथिक औषधालय खोलने का निश्चय किया था ?

*६१—यदि हां, तो यह अस्पताल अब तक क्यों नहीं खुला।

श्री बनारसी दास—सन् १९४७ में यह निश्चय हुआ था कि १०० स्थानों पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय भवन बने। इनमें बाघराय भी था। पूर्व इसके कि भवन निर्माण शुरू हो, अधिक खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने आज्ञा दी कि जो इमारतें बनना नहीं शुरू हुई हैं वह न शुरू हों। इसलिये यह भवन न बन सका और चिकित्सालय न खुल सका। सन् १९५२ में जिला परामर्शदात्री समिति ने सुन्दरगंज (बाघराय) के बजाय लालगंज में इस अस्पताल को खोलने का प्रस्ताव कर दिया था तबसे यह स्थगित है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बाघराय के चारों तरफ १० मील के अन्दर कोई एलोपैथिक अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसी दास---यह तो सही है ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार इस स्थान पर यदि जिला परामर्श दात्री समिति सिफारिश करे तो क्या सरकार फिर वहां पर अस्पताल खोलने के लिये तैयार है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, सुन्दरगंज में अस्पताल बनाया जा सकता है अगर वहां की स्थानीय जनता की तरफ से डाक्टर के लिये और चिकित्सालय के लिये भवन का प्रबन्ध हो जाय ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि बाघराय में अस्पताल न होने की वजह से वहां पर काफी बेइत्मीनानी पैदा हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक अस्पताल के न खोलने से बेइत्मीनानी पैदा होने का सवाल है तो अस्पताल जहां पर नहीं खुल पाता है तो लोगों की शिकायत होती ही है । सरकार जब उस शिकायत को पूरा नहीं कर पाती है तो लोगों में असन्तोष हो जाता है और प्रत्येक जगह के लिये यह बात कही जा सकती है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय कर लिया है कि १० मील के भीतर अस्पताल का होना लाजिमी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने एक निर्णय ४, ५ वर्ष पहले किया था । वह यह था कि हम प्रान्त में ५ मील के दायरे के अन्दर अस्पताल निर्मित कर दें और उसी नीति को अपनाते हुये सरकार ने एक योजना तैयार की थी कि जिस योजना का जिक्र उस सवाल के उत्तर में बताया गया है ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बाघराय में अस्पताल का भवन बनाने के लिये वहां पर ईंटा भी पहुंच गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, बहुत से स्थानों पर ईंटा पहुंच गया था । कहीं पर तो प्लिन्थ तक कोई इमारत बन गयी थी लेकिन सारा धन सिंचाई योजना के लिये, तथा अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये जब हमको देना पड़ा तो हमें सारे अस्पतालों की इमारतों को, जहां कि अस्पतालों की इमारतों का निर्माण हो रहा था, उनको रोक देना पड़ा और यह शिकायतें उन स्थानों में से ही हो सकती हैं ।

बांसी कस्बे में जनाना अस्पताल खोलने के लिये प्रार्थना

*६२---**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि बांसी कस्बे में जो जनाना अस्पताल खोलने के लिये पिछले वर्षों में सरकार ने निश्चय किया था उसे अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

श्री बनारसी दास---धनाभाव के कारण बांसी में जनाना अस्पताल १९५४-५५ में नहीं खोला जा सका है । इस वर्ष इस प्रस्ताव पर शिड्यूल आफ न्यू डिमान्डस् के अन्तर्गत विचार हो रहा है ।

*६३---**श्री रामकुमार शास्त्री**---क्या यह सही है कि बांसी जनाना अस्पताल को खोलने के लिये बांसी के किसी सज्जन ने कुछ धन और स्थान दोनों अपनी मृत स्त्री की यादगार में देने के लिये सरकार से पत्र-व्यवहार किया है । यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास--जी हां। वहां एक सज्जन श्री अम्बिका प्रताप नारायण जी ने अपनी पुत्री की यादगार में कुछ भूमि और १५,००० रुपया देने के लिये सरकार से पत्र-व्यवहार किया है और उस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार को यह मालूम है कि मननीय मंत्री जी जब बांसी पिछली बार गये थे तो सैकड़ों आदमियों ने उनसे इस अस्पताल की परमाश्यकता के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी कि यह जल्द से जल्द खोला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, यह सत्य है। मुझे खेद है और शर्म भी आती है कि मैं उस वचन को पूरा न कर पाया। उसका मुख्य कारण यही रहा कि उतना धन जितना इमारत बनाने के लिये आवश्यक था मैं अपने मौजूदा बजट की धनराशि से नहीं निकाल सका।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल को खोलने और इमारत बनवाने में कितना खर्चा होगा ?

श्री बनारसी दास--जनाना अस्पताल की पूरी इमारत के लिये ७३ हजार रुपये का तखमीना है और केवल चिकित्सालय खोलने के लिये ३९ हजार रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह 'पुत्री' की स्मृति में है या 'स्त्री' की स्मृति में ?

श्री बनारसी दास--मुझे जो सूचना इसके द्वारा दी गयी है उसमें 'पुत्री' की यादागार में लिखा है।

*६४--**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)-- [१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी बनाने की मांग

*६५--**श्री विश्राम राय**--क्या सरकार को ज्ञात है कि मुबारकपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के नागरिकों ने सरकार से प्रार्थना की है कि इस टाउन एरिया को म्यूनिसिपल बोर्ड में परिवर्तित कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--टाउन एरिया मुबारकपुर को नगरपालिका में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ऐसी कोई मांग या सुझाव वहां की जनता की ओर से आया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--आम चुनाव से पहले इस प्रकार की बात थी लेकिन उस वक्त यह कह दिया गया था कि चुनाव के बाद इस पर विचार किया जायगा लेकिन चुनाव के बाद इस प्रकार की कोई मांग नहीं आयी।

*६६--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)--[२९ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने खोलने की प्रार्थना

*६७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले में कहां कहां आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने खोलने की योजना है ?

श्री बनारसी दास—इस वर्ष कोई ऐसी योजना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह पता है कि जिला प्लानिंग कमेटी आजमगढ़ के चार स्थानों से यूनानी औषधालय खोलने का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया था ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इतने बड़े जिले में यह योजना क्यों लागू नहीं की गयी ?

श्री बनारसी दास—अगले वर्ष विचार करते हैं कि वहां पर प्रयत्न किया जाय कि वहां पर कोई अस्पताल खोले जायं ।

गाजीपुर जिले के बहादुरगंज टाउन एरिया भवन पर राष्ट्रीय पताका का फहराना

*६८—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के बहादुरगंज टाउन एरिया भवन पर १५ अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, यह सही नहीं है ।

*६९—श्री यमुना सिंह—क्या उपर्युक्त घटना की सूचना सरकार के पास भेजी गई है, यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह झंडा किसके द्वारा फहराया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस तरह की विस्तार की बातें वहां की लोकल बातें हैं, अगर नोटिस दिया जाय तो मैं उसकी सूचना दे सकता हूं ।

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में मलेरिया निरोधक कार्य

*७०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९५२–५३ व ५३–५४ में कितना कितना व्यय सरकार का तहसील सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में मलेरिया की रोकथाम में हुआ ?

श्री बनारसी दास—बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील के १६१ गांवों में मलेरिया निरोधक कार्य हो रहा है जिसके संबंध में सन् १९५२–५३ में २,२०२ रु० और सन् १९५३–५४ में ८,५७० रु० सरकार ने डी० डी० टी० इत्यादि पर व्यय किया । इसके अतिरिक्त यूनीसेफ द्वारा प्रदान की हुई १७५ पौं० डी० डी० टी० सन् १९५२–५३ में और १४० पौं० डी० डी० टी० सन् १९५३–५४ में वहां प्रयोग में लाई गई ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि मलेरिया की रोकथाम का यह कार्य मलेरिया के समय से पूर्व ही हो जाया करें ?

श्री बनारसी दास—यह तो आदेश है ही कि जिस वक्त मलेरिया के प्रकोप होने का भय होता है उसके पहले ही वहां पर स्प्रे करा दिया जाता है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या मलेरिया की रोकथाम के लिये प्रदेश में कोई योजना है और इस योजना के अनुसार क्या सरकार द्वारा फाइनेंस का कोई प्रबन्ध हो जाता है

श्री बनारसी दास—जी हां, कुछ स्थानों पर कुछ टुकड़ियां हैं जो मलेरिया निरोध का काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफीसर्स के सुपुर्द भी यह कार्य है कि वे मलेरिया निरोध का काम करें, इसके लिये उनको विशेष रूप से डी० डी० टी० आदि सामान दिया जाता है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१३ दिसम्बर, १९५४ ई० लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रानी बाग, जिला नैनीताल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए प्रार्थना

२—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास रानीबाग, जिला नैनीताल में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के संबंध में कोई मांग आई है ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। औषधालय के लिये भवन की खोज हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[८ दिसम्बर, १९५४ के लिए निर्धारित प्रश्न ।]

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[५ जनवरी, १९५५ लिये स्थगित किया गया ।]

गौरा बरहज म्युनिसिपल बोर्ड, जिला देवरिया के बाजार की तहबाजारी

*२—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौरा बरहज म्युनिसिपल बोर्ड जिला देवरिया के अन्तर्गत जो बाजार लगती है उसकी तहबाजारी कौन वसूल करता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—गौरा बरहज म्युनिसिपैलिटी की सीमा में दो बाजारें लगती हैं पहिली बाजार जो कस्बे की प्रमुख सड़क के दोनों पटरियों पर लगती हैं उसकी तहबाजारी म्युनिसिपल बोर्ड वसूल करता है। दूसरी बाजार जिसे सराय मार्केट कहा जाता है मझौली राज की जमीन पर लगती है। इस बाजार की तहबाजारी पहले मझौली राज द्वारा वसूल की जाती थी पर जब से राज ने इस भूमि का पट्टा श्री गोरख प्रसाद को दे दिया है तब से यही सज्जन इस दूसरी बाजार की तहबाजारी वसूल करते हैं।

*३—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि इस बाजार की तहबाजारी म्युनिसिपल बोर्ड होने के पहले स्थानीय नोटीफाइट एरिया की ओर से नीलाम की जाती रही है और उसका ठीका तत्कालीन जमींदार रियासत मझौली की ओर से लिया जाता रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उपर्युक्त बाजार नं० १ म्यु० बोर्ड होने के पहले नोटीफाइड एरिया द्वारा नीलाम की जाती रही है और उसका ठेका तत्कालीन जमींदार रियासत मझौली की ओर से लिया जाता रहा है परन्तु बाजार नं० २ का नोटीफाइड एरिया से कोई संबंध नहीं रहा है।

*४—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (अनुपस्थित)—यदि उपरोक्त बातें सही हैं, तो वर्तमान समय में इस बाजार में की तहबाजारी वसूल करने से स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड क्यों कर वंचित रखा गया है? कृपया इसे स्पष्ट किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—बाजार नं० १ की तहबाजारी म्यु० बोर्ड अब भी पूर्वत् वसूल करता है। बाजार नं० २ के विषय में प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में पंचायत-राज कर्मचारियों में हरिजन

*५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में कितने पंचायत निरीक्षक क्लर्क और मंत्री (Secretaries) हैं और उनमें परिगणित और पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है।

श्री मोहनलाल गौतम—बस्ती जिले में इस समय १६ पंचायत निरीक्षक, २२ पंचायत लिपिक तथा ३६४ पंचायत मंत्री हैं, लिपिकों में २ परिगणित जाति के तथा ४ पिछड़ी जाति के हैं और पंचायत मंत्रियों में १८ परिगणित जाति के तथा २४ बिछड़ी जाति के हैं।

*६—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत वर्ष सन् १९५३ ई० में उपर्युक्त स्थानों में कितनी नियुक्तियां हुईं और उनमें परिगणित और पिछड़ी जातियों की क्या संख्या है?

श्री मोहनलाल गौतम—गत वर्ष १९५३ ई० में केवल ३ पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी जिनमें परिगणित तथा पिछड़ी जाति का कोई पदाकांक्षी नहीं है

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुजफ्फरनगर द्वारा पुल निर्माण सम्बन्धी ऋण की वापसी

*७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने मुजफ्फरनगर जिला बोर्ड को कृष्णानदी पर ग्राम बनते व राजपुर छाजपुर स्थानों में तथा हिन्डन नदी पर बुढ़ाना में पुल बनाने के लिये कर्ज दिया था? यदि हां, तो कब और कितना।

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सन् १९३८-३९ ई० में १,२५,००० रुपये का ऋण दिया था।

*८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त तीनों पुलों को नीलाम करके जिला बोर्ड ने सरकारी कर्ज का कितना भाग अभी तक अदा किया और शेष कब तक अदा होने की संभावना है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस ऋण के धन में से अब तक ५१,९३४ रुपये, १० आने अदा कर दिये हैं। शेष धन १३ वर्षों में अदा होने की संभावना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन पुलों को नीलाम करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अभी तक उनसे कितनी आय हो चुकी है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन पुलों के नीलाम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो ऋण दिया गया था उसके कई गुना अभी तक आय हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--हो सकता है ।

पंचायत राज अधिनियम, १९४७ के नियम १४५ (क) के प्रस्तावित संशोधन में विलम्ब

*९--श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि पंचायत राज अधिनियम, सन् १९४७ ई० के अन्तर्गत नियमावली के नियम १४५ (क) जिसका प्रस्तावित संशोधन २९ अगस्त, १९५३ को गजट में शासकीय विज्ञप्ति सं० ४०४२/३३--१७०-५२, दिनांक, १९ अगस्त, १९५३ ई० के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था, किस कारण आज तक अंतिम रूप नहीं प्राप्त कर सका ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस संबंध में अनेक आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त हुये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ?

बस्ती ज़िले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पंचायत कर उगाहने में कड़ाई

*१०--श्री राजाराम शर्मा--क्या यह सही है कि इस आदेश (पंचायत टैक्स के वसूली में कोई सख्ती न की जाय संबंधी आदेश) के होते हुये भी बस्ती जिले में अब भी पंचायत टैक्स की वसूली में वारन्ट जारी हो रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ से पीड़ित हैं, क्या इस संबंध में हाल ही में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं । वारन्ट जारी होने के बारे में कोई शिकायत नहीं आई । केवल एक शिकायत पंचायत कर वसूली में कड़ाई बरतने के संबंध में आई है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बाबू रामदवन सिंह के साथ बस्ती के एम० एल० एज० का एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था ।

श्री मोहनलाल गौतम--इसका पता लगा लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि बस्ती जिले में पंचायतों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत कर माफ कर देने का आदेश जारी कर दिया था, फिर भी वहां पंचायत कर वसूल हो रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी तक विधान में पंचायत कर माफ कर देने का कोई कायदा नहीं है इसलिये वह शायद अभी लागू नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस प्रकार के आदेश पंचायतों को देगी कि जहां बाढ पीड़ित एरियाज में मालगुजारी आदि चीजें माफ हुई हैं वहां पंचायत कर को भी माफ कर दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम--पंचायत कर को माफ कर देने का अधिकार सरकार को मौजूदा कानून में नहीं है । जो संशोधन हुआ है उसी के अनुसार हुआ है इसलिये इस समय मजबूरी है ।

कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड तथा डेवलपमेंट बोर्ड का आय-व्यय

*११—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ और सन् १९५३-५४ में कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड और कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड का अलग अलग सालाना आमदनी और खर्च क्या था ?

*१२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत में सन् १९५२-५३ में और सन् १९५३-५४ में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—१—म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर

	१९५२-५३	१९५३-५४
आमदनी	७९,१९,८३७	९६,५०,१७७
खर्च	७६,५७,४८९	८८,०८,७१३

२—डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर।

	१९५२-५३	१९५३-५४
आमदनी	१,०१,८१,५१७	१,२३,०१,२००
खर्च	१,००,६९,८८१	१,२६,८१,७९७

१—म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर में

सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में
क्रमशः ८,५६९ रु० तथा १०,५२५ रु०
सा० शौचालयों की मरम्मत में व्यय किया है।

२—डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर का इस मद पर व्यय करने से कोई संबंध नहीं है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की सन् ५२-५३ से ५३-५४ में अधिक आमदनी का कारण यह है कि नये-नये टेक्सेज वहां लगाये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक मुझे याद है कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या मंत्री जी को मैं यह याद दिलाऊं कि वहां के दवाखानों में जो लोग दवा लेने आते हैं उन से दो आना फी आदमी टैक्स लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं नहीं कह सकता कि इस को टैक्स कहा जा सकता है या नहीं।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—मैं जानना चाहता हूं कि यह रकम ली जाती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

कुम्भ मेला इलाहाबाद के लिए प्राप्त की गयी किसानों की भूमि का मुआवजा

*१३—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष इलाहाबाद में कुम्भ मेले के अवसर पर मेला लगने के हेतु किसानों की भूमि मुआवजा देने की शर्त पर प्राप्त कर ली गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*१४—श्री वीरेन्द्रपति यादव—यदि हां, तो यह भूमि कितनी एकड़ थी और क्या मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार प्राप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल १५००·८१ एकड़ था। इस समय तक १२,५४५ रु० २ पाई का मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कुल मुआवजा कितना दिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल मुआवजा जो निर्धारित हुआ है वह ४१,६८१ रुपया १० आने ६ पाई है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई इस प्रकार का एस्टीमेट है कि किसानों की कितनी आर्थिक क्षति हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय तो मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि यह पूरा मुआविजा अभी तक नहीं बाटा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिन लोगों ने मुवाविजा लेना स्वीकार किया उनको दिया जा चुका है और जिन लोगों ने मुआविजा लेने से इन्कार किया उनका मुआविजा डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया गया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआविजा दिया जा रहा है वह किस दर से है ?

श्री मोहनलाल गौतम—क्षेत्रपति १५ सौ थे और कुल ४१ हजार ६८१ रुपया मुआविजा दिया जायगा। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह मुआविजा जो दिया जाने वाला है वह कितने किसानों को दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत ब्योरे का सवाल है। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदा सिंह—जिन किसानों ने मुआविजा लेने से इन्कार किया उस इनकारी के क्या कारण थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये मुझे सूचना चाहिये, क्योंकि सब कारण तो मेरे पास इस वक्त नहीं हैं।

अलीगढ़ जिले में सासनी–विजैगढ़ सड़क का अधूरा रहना

*१५—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट—क्या यह सच है कि सासनी-विजैगढ़ (अलीगढ़) सड़क जो नई पुलिया बनाने तथा कंकड़ आदि पड़ने के पश्चात् जिला बोर्ड को वापिस कर दी गई बोर्ड को आर्थिक सहायता देने पर भी बिना बने ही पड़ी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं। जिला बोर्ड, अलीगढ़ ने सासनी-विजैगढ़ सड़क की साधारण मरम्मत १९५३–५४ में ही करा दी थी। चालू वित्तीय वर्ष में भी जिला बोर्ड ने इस सड़क की मरम्मत के लिये ५,००० रुपये स्वीकृत किये हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों की मरम्मत पहले से ही की जा चुकी थी पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से, पक्की कराने के सिलसिले में क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--सड़कों को पक्की कराने का विषय बिलकुल अलग है। वह किसी न किसी योजना के अन्तर्गत ही हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा हो तो वह करा दे और यदि प्लान में आ जाय और पी० डब्ल्यू० डी० ले ले तो वह करा दे। इसमें क्या हो सकता है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही बता सकती है।

झांसी में टी० बी० सैनीटोरियम खोलने की मांग

*१६--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुन्देलखंड डिवीजन के किन किन जिलों में टी० बी० की बीमारी अधिक है ?

श्री बनारसी दास--बुन्देलखंड डिविजन के जिलों में टी० बी० की बीमारी सब से अधिक झांसी में है इसके बाद जालौन में।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि झांसी जिले में अधिकतर टी० बी० की बीमारी होने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--जो तमाम प्रदेश में कारण हैं वही वहां भी हैं।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार झांसी में कोई टी० बी० सैनीटोरियम खोलने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--झांसी में तो कोई टी० बी० सैनीटोरियम खोलने का विचार नहीं है, क्योंकि झांसी की जो आबोहवा है वह इतनी गर्म है कि कदाचित सैनीटोरियम में रहने वाले व्यक्तियों को इलाज के सिलसिले में बहुत फायदा न दे सके लेकिन क्लिनिक तो वहां पर है ही।

रसड़ा तहसील, जिला बलिया में रतनपुरा-बिलौझा सड़क का एक पुल

*१७--**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील रसड़ा (बलिया) के अन्तर्गत रतनपुरा-बिलौझा सड़क पर का एक पुल कई वर्षों से टूटा पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--बलिया जिले की रतनपुरा-बिलौझा सड़क पर कोई पुल टूटा हुआ नहीं है।

*१८--**श्री गंगा प्रसाद सिंह**-- क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पूर्व एक अध्यापक टूटे हुये पुल को पार करते समय बह कर मर गया ?

श्री मोहनलाल गौतम-- जी नहीं।

*१९--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या सरकार उस पुल की मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में सीमेंट का वितरण

*२०--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सीमेन्ट के कितने लाइसेंसी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१८।

*२१--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२-५३ तथा सन् ५४ के अगस्त तक कितनी सीमेन्ट बस्ती जिले में आई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती जिले में सन् १९५२ ई० में ५४,१०० बोरी, १९५३ में ३९,७४० बोरी तथा १९५४ में अगस्त तक २९,९८० बोरी सीमेंट आई।

*२२--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२-५३ में कितनी सीमेंट गांवों के लिये रिजर्व की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती में शहर तथा गांवों में सीमेंट वितरण की कोई विशेष योजना नहीं है। जिले में जो सीमेंट प्राप्त होती है उसका वितरण दोनों क्षेत्रों की मांगों के अनुसार होता है।

अगस्त मुनी, अपरगढ़वाल में ऐलोपैथिक औषधालय खोलने की योजना

*२३--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या यह सही है कि कई वर्षों से अगस्त मुनी, अपरगढ़वाल में एलोपैथिक औषधालय खोलने की योजना स्वास्थ्य मंत्री के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जी हां।

*२४--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि जिला औषधालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर जिला नियोजन समिति ने यह निर्णय किया है कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्वीकृत एलोपैथिक अस्पताल अगस्त मुनी, गढ़वाल में खोला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*२५--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह अस्पताल कब से चालू होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अस्पताल को अगले वर्ष खोलने का प्रयत्न किया जायगा।

बहराइच जिले के नोटीफाइड एरिया, नानपारा की शिकायत

*२६--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या यह सही है कि सरकार के पास नोटीफाइड एरिया, नानपारा के नागरिकों की ओर से जिलाधीश बहराइच के थ्रू इस बात की शिकायत आई है कि वहां की पब्लिक बाजार सब्जी मंडी सराय से हटा कर दूसरे स्थान पर लगा दी गई है?

श्री मोहनलाल गौतम--सरकार के पास नोटीफाइड एरिया, नानपारा के नागरिकों की ओर से, जिलाधीश, बहराइच के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है।

*२७--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिलाधीश ने उक्त शिकायत के सम्बन्ध में जांच करा कर कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है ?

श्री मोहनलाल गौतम-- प्रश्न ही नहीं उठता है।

*२८--श्री बसन्तलाल शर्मा--यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रश्न ही नहीं उठता है।

इलाहाबाद टी० बी० सैनीटोरियम को सहायता

*२९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद टी० बी० सैनीटोरियम में कितने मरीज आज कल भरती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इलाहाबाद में एक सेनीटोरियम प्रयाग क्षय निवारिणी समिति द्वारा करैलाबाग में चलाया जाता था। यह सैनिटोरियम १ अक्तूबर, सन् १९५३ से बन्द है।

*३०--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद टी० बी० सैनीटोरियम में कितना रुपया सरकार की ओर से आज तक दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रयाग क्षय निवारिणी समिति को उक्त सैनीटोरियम के लिये निम्नलिखित सहायता दी गई :--

(१) ४०,००० रु० एक्सरे मशीन खरीदने के लिये।

(२) ५०,००० रु० फाफामऊ के नये अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक की इमारत बनाने के लिये सामुहिक जुर्माने के फण्ड से।

(३) ३,००० रु० १९५२-५३ में गरीब मरीजों को भोजन देने के लिये।

*३१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद टी० बी० सैनीटोरियम की एक्सरे की मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है और वह बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--करैलाबाग टी० बी० सैनिटोरियम में एक्सरे की मशीन लगाने के लिये उपयुक्त स्थान न था अतएव यह उचित समझा गया कि फाफामऊ में नई अस्पताल की इमारत बनने पर इस मशीन को वहां लगाया जाय। इस समय मशीन तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में सुरक्षित रक्खी हुई है और जैसे ही फाफामऊ के पास अस्पताल की इमारत बन जायगी यह मशीन वहां लगा दी जायगी।

मधुबन-परसिपा तथा बिलरियागंज-रोनापार सड़कों के निर्माण के संबंध में जिला बोर्ड आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र

*३२--श्री रामसुन्दर पांडे--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जिला बोर्ड आजमगढ़ के अध्यक्ष का प्रार्थना-पत्र अनुमानित बजट के साथ मधुबन से परसिपा (दुबारी होकर) और बिलरियागंज से रोनापार तक की सड़क का निर्माण कार्य कराने के लिये आया है ?

श्री मोहनलाल गौतम-- जी हां।

*३३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र की उक्त दोनों सड़कों के निर्माण हेतु अब तक कितना रुपया दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम-- अभी तक कुछ नहीं दिया गया है।

*३४—श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—[२९ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड को जल कल लगाने के लिए मांग

*३५—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार के पास आजमगढ़ म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ से जल कल लगाने के लिये कुछ सहायता की मांग आई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। कर्ज मांगा है।

३६—श्री व्रजविहारी मिश्र—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बोर्ड की मांग पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या

*३७—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने चिकित्सालय हैं तथा उनमें कितने रोगियों की शैयाओं की व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चिकित्सालयों की संख्या—		
एलोपैथिक	.	१,१०३
आयुर्वेदिक व यूनानी	..	५४६
शय्याओं की संख्या—		
एलोपैथिक	..	१४,७६८
आयुर्वेदिक व यूनानी	..	१३
	..	१४,७८०

*३८-३९—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बरती)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के स्थगित किया गया।]

*४०-४१—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

मथुरा जिले के लिए टीन व लोहे के परमिट

*४२—श्री रामहेत सिंह—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में मथुरा जिले में कुल कितने टन टीन व लोहे के परमिट दिये गये और उनमें से मथुरा और बृन्दावन नगर में कितने टन के दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत दो वर्षों में १९५३-५४ में मथुरा तथा बृन्दावन को १३३ टन १ हन्डरवेट २७ पौंड टीन के परमिट दिये गये। मथुरा तथा बृन्दावन नगरों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लोहे की अन्य श्रेणियों के वितरण पर सन् १९५३ ई० के पहले ही से नियंत्रण नहीं है। इसलिये अन्य श्रेणियों के परमिट काटने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपूर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा गलीज का उपयोग

*४३—श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा गलीज (स्यवेज) उपयोग करने वाली योजना से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—लगभग २७५० एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है।

*४४-४५—श्री देवदत्त मिश्र—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के पूर्ति विभाग के कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति

*४६—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की पूर्ति विभाग में कितने लोग नौकरी से पृथक किये गये, कितने शेष हैं और कितने लोगों को अन्य विभागों में नौकरी दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—७८ कर्मचारी पृथक किये गये, २२ शेष हैं तथा ४४ कर्मचारियों को जिला आजमगढ़ के अन्य विभिन्न विभागों में स्थान दिया जा चुका है।

कार्य सूची के अवशिष्ट प्रश्नों को अन्य दिन लेने की प्रार्थना

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। आज दो सूची, प्रश्नों की दी गई थी जिसमें एक में ७० और दूसरे में ४६ प्रश्न थे। क्या कोई ऐसा प्रबन्ध श्रीमान् करने को तैयार हैं कि दूसरे दिन यह प्रश्न ले लिये जायं जो आज शेष रह गये हैं, क्योंकि इसमें बहुत से आवश्यक प्रश्न रह गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो नियम यह है कि वह समझे जाते हैं कि वे पढ़े गये और उत्तर उसके दिये गये। वह तो कार्यवाही में छपेंगे ही और अगर प्रश्न अधिक किये जायेंगे तो उसका परिणाम यही होगा। मैं इसको रोक नहीं सकता। माननीय सदस्य स्वयं इसका निर्णय कर लें कि कौन से प्रश्न महत्व के हैं। वही करें तो सब प्रश्न हो जाया करेंगे।

कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा पुनः प्रस्थापित समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—सदन ने, कल म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक के लिये जो समय निर्धारित किया गया था, उसको फिर पुनर्विचार के लिये परामर्शदात्री समिति के पास उसे विषय को भेजा था। तो उसका यह निश्चय है जिसकी सूचना मैं सदन को देता हूं—

"विधान परिषद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रथम पठन १ १/२ दिन तथा द्वितीय एवं तृतीय पठन १ १/२ दिन किया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :—

"यह सदन विधान परिषद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ के संबंध में परामर्शदात्री समिति द्वारा पुनः प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ के संबंध में परामर्शदात्री समिति द्वारा पुनः प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का प्रथम पूरक) विधेयक पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ सितम्बर, सन् १९५४ ई० को बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ सितम्बर, सन् १९५४ ई० को बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १ अक्टूबर, सन् १९५४ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया।

*हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—इसका प्रथम पाठ हो गया, अब खंडों पर विचार होगा।

खंड २

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर— परिभाषायें

(क) "प्रशासक" (Adminstrator) का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के प्रशासक से है;

(ख) "मंडल" (Board) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (Hastinapur Town Development Board) से है;

(ग) "केंद्रीय सरकार" (Central Government) का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(घ) "अध्यक्ष" (Chairman) का तात्पर्य मंडल के अध्यक्ष से है;

(ङ) "विस्थापित व्यक्ति" (displaced person) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार तथा पाकिस्तान के डोमीनियन बनने के कारण अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब पाकिस्तान का अंश है नागरिक दंगे होने के अथवा दंगे के भय के कारण उक्त क्षेत्र से विस्थापित हो गया है अथवा जिसने वहां अपना निवास्थान छोड़ दिया है और जो तत्पश्चात् भारत के किसी भी भाग में रह रहा है;

(च) "सदस्य" (member) का तात्पर्य मंडल के सदस्य से है तथा इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

---

*२६ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(झ) "नगर" (Town ship) का तात्पर्य हस्तिनापुर में अथवा हस्तिनापुर के पास मंडल द्वारा निर्मित और विकसित होने वाले नगर से है।

*श्री नारायणदत्त तिवरी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उप खंड (क) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस खंड (क) में प्रशासक की परिभाषा की गई है। इसमें लिखा गया है कि "प्रशासक का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के प्रशासक से है।" श्रीमन्, आप देखेंगे कि धारा १० में है कि "मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत प्रतिबंधों और शर्तों पर केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी।" दूसरा "प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (Principal Executive Officer) होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।" तीसरे "प्रशासक पदेन (Ex-officio) मंडल का सचिव होगा और उसे मंडल की अथवा मंडल की समितियां की सभी बैठकों में बोलने अथवा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे वहां मत देने का अधिकार न होगा।"

श्रीमन्, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने हम को दी है उसके अनुसार आज एक सूचना हमें मिली है और वह बड़ी आश्चर्यजनक सूचना है क्योंकि स्पष्टरूप से लिख दिया गया है कि जो मंडल आज कल काम कर रहा है उसको राज्य सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। उसको भारत सरकार ने नियुक्त किया है। उसके कामों की कोई रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नहीं आती और न उसके बजट की नकल ही आती है। यानी राज्य सरकार को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री राधाकान्त, डाइरेक्टर आफ रीजनल इम्प्लायमेंट ऐन्ड रिसेटिलमेंट और उसका डिप्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर है जो पी० सी० एस० का आफिसर है। अगर ऐडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता तब होती जब कि वहां पर कोई दूसरा अन्य सरकारी अधिकारी न होता, तब तो ठीक था। लेकिन आप यह देखें कि जहां मंत्रि मंडल काम कर रहा है उसमें कौन लोग हैं। इसमें भी बड़े बड़े उच्च सरकारी अधिकारी हैं। मंडल के सदस्य यह हैं—

१—श्री डी० डी० जैनी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, चैयरमैन।

२—श्री पी० एन० सेहगल, डिप्टी सेक्रेटरी, फाइनेंस पुनर्वास मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार।

३—श्री सावित्री प्रसाद, डिप्टी सेक्रेट्री पुनर्वास मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार।

४—कमिश्नर, मेरठ डिवीजन।

५—श्री ए० सी० माथुर डिप्टी कमिश्नर सहायता व पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश।

यह पांच सदस्य हैं जो आई० सी० एस० और पी० सी० एस० कमिश्नर वगैरह चैयरमैन और मेम्बर हैं। एक ऐसा मंडल जिसमें हाइयेस्ट आफिशियल्स ऐक्जीक्यूटिव के चेयरमैन और मेम्बर्स हों उसमें अगर एक ऐडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था करें, यह किसी प्रकार उपयुक्त नहीं है। मेरा तो निश्चित सुझाव इस संबंध में है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के प्रावीजन को निकाल दिया जाय और जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी में एक्जीक्यूटिव आफिसर होते हैं तो यह लिखा जाय इस विधेयक में आगे चलकर इसकी परिभाषा में इस बात की व्यवस्था की जाय कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में जिस प्रकार ऐक्जीक्यूटिव आफिसर को मंडल नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मंडल एक अपने ऐक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति कर सकता है लेकिन एक ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेटर जो स्वयं डाइरेक्टर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन यू० पी० भर का हो वह वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या करेगा। उनको कम मौका मिलेगा और एक डिप्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर जो यहां मौजूद नहीं है वह सारा काम डील करेगा। डिप्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर का कोई प्रावीजन इस विधेयक में नहीं है। आप यह देखें कि जो आपका हस्तिनापुर में डिप्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर रहता है उनका कोई नाम नहीं जो लखनऊ में रहते हैं अधिकतर उनका प्रावीजन रखा गया है। तो इसलिये जो दो तीन कारण मैंने आपके सम्मुख उपस्थित किये उससे स्पष्ट होता है कि जब इतने बड़े बड़े आफिसर्स मौजूद हैं तो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का प्रावीजन ऐप्लाई करना मुनासिब है।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—अध्यक्ष महोदय मैंने अपने मित्र नारायणदत्त जी की बात सुनी। लेकिन फिर भी मैं उसी राय पर कायम हूं जिस पर पहले था। ऐडमिनिस्ट्रेटर के नाम से हमारे मित्र को कुछ चिढ़ मालूम होती है क्योंकि वह भी इस बात में ऐसी राय रखते हैं कि अगर ऐक्जीक्यूटिव आफिसर हो जाय, चेयरमैन भी रहे, बड़े अफसरान बोर्ड में भी रहें, तो अच्छा हो सकता है। चैयरमैन माइनर डिटेल्स जो रोजमर्रा के ऐक्जीक्यूटिव के काम हैं, कभी नहीं करता है। न म्युनिसिपल बोर्ड में, न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में और न कहीं और बल्कि उनके नीचे के जो अफसर होते हैं वही करते हैं। यह ऐडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वह बोर्ड के मातहत में, चेयरमैन के मातहत में होगा और यह शायद हमारे मित्र की गलतफहमी है कि राधाकान्त ही इसके ऐडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वह सारे यू० पी० के हैं, इसलिये वह काम नहीं कर सकेंगे ऐसा कोई ख्याल सरकार का नहीं है। ऐडमिनिस्ट्रेटर एक खास आदमी होगा जिसका वही काम होगा। लिहाजा वह पूरी तौर से अपने कर्त्तव्य को अंजाम दे सकेगा और हमारे मित्र के दरमियान एक मौलिक अन्तर है। वह यह है कि वह चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के अन्तर्गत चुनाव भी हो और इस विधेयक में रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार के दो स्टेट गवर्नमेंट के दो और एक चेयरमैन नियुक्त किया जाय। तो हमारे और उनके बीच इतना बड़ा डिफरेंस है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि वह ऐक्जीक्यूटिव आफिसर के पक्ष में हों और हम समझते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुये ऐडमिनिस्ट्रेटर का होना जरूरी है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायण दत्त तिवारी से) तो आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (ङ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "सरकार" निकाल दिया जाय और उसी उपखंड की छठी पंक्ति में शब्द "निवास्थान" के स्थान पर शब्द "निवास-स्थान" रख दिया जाय।

मान्यवर, भारत के साथ में सरकार जो छप गया है, वह मेरी समझ से गलत है क्योंकि भारत और पाकिस्तान इन दो शब्दों से दोनों देशों का बोध होता है और सरकार के छप जाने से वह मंशा उसकी गलत हो जाती है इसलिये सरकार निकाल दिया जाय। केवल भारत रह जाने से इसका अर्थ स्पष्ट समझ में आ जायगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे। दूसरी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। निवास्थान के स्थान पर निवास-स्थान होना चाहिये

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय यह संशोधन शाब्दिक है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि "विस्थापित व्यक्ति (डिस्प्लेस्ड परसन)" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारत तथा पाकिस्तान के डोमीनियम बनने के कारण विस्थापित हुआ है। क्या यह 'डोमीनियन' शब्द भारत के लिये ठीक होगा? भारत के साथ शब्द सरकार अगर बहुत उचित न भी था तो भी उनसे कुछ डिफरेंशियेशन पाकिस्तान से हो जाता है ....

एक सदस्य—भारत का रिपब्लिक होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी में तो यह है कि "displaced person" means person who, on account of the setting up of the Dominions of India and Pakistan or on account of civil.."

इसको थोड़ी देर के लिये विचार के लिये छोड़ दिया जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि यह महत्व का प्रश्न है।

श्री हुकुमसिंह—भारत से स्पष्ट हो जाता है। सरकार लगाने की कोई जरूरत तो नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है। सरकार नहीं रहेगा। लेकिन भारत का डोमिनियन बनने के कारण यह जरा खटकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, वह ऐसा मानते हैं कि भारत भी जब बना तो डोमीनियन ही था, गणतंत्र तो अब हुआ।

श्री अध्यक्ष—(कुछ क्षण बाद) ठीक है। प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "सरकार" निकाल दिया जाय और उसी उपखंड की छठी पंक्ति में शब्द "निवास्थान" के स्थान पर शब्द "निवास-स्थान" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल का अधिष्ठान और निगमन। (establishment and in-corporation)

३—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर निर्मित और विकसित करने के लिये, वहां विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये और इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अथवा अन्य किसी विधि के अधीन मंडल को प्रदत्त अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले अधिकारों के प्रयोग अथवा कृत्यों के सम्पादन (discharge) के निमित्त हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक मंडल संगठित कर सकती है।

(२) मंडल सतत अनुक्रम वालों (having perpetual succession) उक्त नाम की निगमित संस्था (body corporate) होगी जिसकी कि एक सामान्य मुद्रा (common seal) होगी और जिसे इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन चल अथवा अचल सम्पत्ति उपार्जित, अधिकृत अथवा हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—(१) मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

मंडल का संगठन

(क) अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायगी ;

(ख) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी।

(ग) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सदस्यों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रत्येक नियुक्ति उसके प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगी।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय।

"४—(१) मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) अध्यक्ष जिसका चुनाव यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) में वर्णित प्रेसीडेंट की चुनाव प्रक्रिया व प्रतिबन्धों के अनुसार होगा,

(ख) चार सदस्य जिनका चुनाव यू० पी० म्यूनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट, १९१६) में वर्णित सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया व प्रतिबन्धों के अनुसार होगा,

(ग) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी,

(घ) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो इस विधेयक में खंड ४ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें मंडल के संगठन की बात कही गई है। उसमें एक अध्यक्ष होगा। उसको राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नियुक्त करेगी और इस मंडल में दो प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार के होंगे और दो प्रतिनिधि राज्य सरकार के होंगे इस तरह से मंडल का संगठन होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है अगर उसी तरह से मंडल का संगठन होगा, वह सरकार के हाथ की कठपुतली मात्र होगा और हस्तिनापुर के रहने वालों का अपने यहां के मंडल बनाने और निर्माण करने में उनका कोई हाथ नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये अपना संशोधन रखा है उसकी मंशा यह है कि जिस मंडल की स्थापना की जाय तो वहां के रहने वाले ही उसका निर्वाचन करें यानी उनके द्वारा ही वह चुना जाय। वह अपने अध्यक्ष को भी स्वयं चुनें। जैसा कि म्युनिसिपल ऐक्ट में दिया हुआ है कि जितने वोटर होते हैं उतने ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार से हस्तिनापुर में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं वही अपने चेयरमैन का चुनाव करें। इसके साथ साथ मैंने अपने संशोधन में यह भी

[श्री गजेन्द्रसिंह]

रखा है कि चार सदस्यों का चुनाव वहां के लोग खुद करें और वोटों के द्वारा करें और एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार का हो और एक व्यक्ति राज्य सरकार का हो। इस तरह से इस मंडल के सात सदस्य होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब इस प्रश्न पर बहस हो रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि सरकार की मंशा इस टाउन को डेवलप करने की है और इसके लिये यह जरूरी है कि कुछ विशेषज्ञ कमेटी में रखे जायं और इसके साथ साथ इस तरह के व्यक्ति रखे जायं ताकि सरकार उनके सहयोग से उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना संशोधन रखा है उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के एक एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में रखा है। मैं समझता हूं कि काफी रुपया सरकार इसके डेवलपमेंट के लिये ऋण के रूप में दे रही है लिहाजा उसकी रक्षा होनी भी बहुत जरूरी है। इन रुपयों की हिफाजत के लिये सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। इसलिये मैंने यह प्रावीजन रक्खा है कि दोनों सरकारों का एक एक प्रतिनिधि इसमें रहे और यह भी प्रावीजन किया है कि चूंकि उसका डेवलपमेंट करना है, वहां के उद्योग तथा व्यापार वग़ैरह को आगे बढ़ाना है। ऐसी सूरत में वहां के रहने वाले लोगों की राय लेना जरूरी हो जाता है। अगर खंड ४ को इसी तरह से मान लिया जाता है तो हस्तिनापुर के लोगों को कोई राय देने का मौका नहीं रहता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन रखा है कि इसमें चार प्रतिनिधि ऐसे हों, जो हस्तिनापुर के रहने वालों के द्वारा चुने जायं, ताकि वह लोग अपनी राय दे सकें और इसके साथ साथ मंडल को भी विकास के कार्यों में आगे बढ़ा सकें और यह भी प्रावीजन किया है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के भी एक एक प्रतिनिधि हों जो रुपये वग़ैरह की रखवाली करते रहें। मंत्री जी उसके अध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नामीनेट करना चाहते हैं उसके बजाय मैंने यह रखा है कि वह वहां के रहने वाले लोगों द्वारा ही चुना जाय और जो मंडल बने उसमें वहां की जनता की वायस का रहना बहुत जरूरी है। अगर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार द्वारा व्यक्ति नियुक्ति होकर वहां पहुंच जायंगे तो मंडल वहां पर अच्छी तरह से विकास का कार्य नहीं कर पायेगा जितना अच्छा कार्य वहां के रहने वाले कर सकेंगे। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार द्वारा जो ऋण दिया जायगा वह उन्हें देना होगा इसलिये और भी अच्छी तरह से वह अपनी राय देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव रखता हूं और मंत्री महोदय जिसके लिये चिंतित थे उनका प्रतिनिधि भी मैंने रख दिया है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को मान लें क्योंकि इससे उनकी परेशानी भी हल होती है और जो वहां के रहने वाले हैं जिनका मंत्री महोदय अविश्वास करते हैं, उनको विश्वास में लेने के लिये मेरा प्रस्ताव है। इस तरह से सरकार का कोआपरेशन होगा और वहां के लोगों का भी कोआपरेशन होगा तो मंडल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डेपलपमेंट के कार्यों को कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को मानने की कृपा करें।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाई गजेन्द्र सिंह को बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार सब पर विश्वास करती है। किसी में अविश्वास करने का उसको कोई मौका नहीं और न ऐसा कोई सवाल इस सम्बन्ध में उठता है। चुनाव नहीं रखा गया है, इसका मुख्य कारण यह है कि अभी वहां नगर बनाना है और उसको विकसित करना है, जो एक मुश्किल काम है। उद्योग-धंधों का भी वहां प्रबन्ध करना है ताकि वहां के रहने वाले रेफ्यूजी भाइयों की जीविका का ठीक ठीक प्रबन्ध हो सके। जब ऐसी कोई चीज सामने रख कर काम किया जाता है तो इस बात का ख्याल भी रखा जाता

है कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाय जिससे दलबन्दी होकर असली मकसद जो हो वह पूरा न हो सके। इसलिये अच्छा यह है कि शुरू में एलेक्शन न रखा जाय। शुरू में ऐसे लोग हों जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आपस में परामर्श करके नियुक्त कर दें और वह जाकर ठीक तौर से इस विधेयक के मकसद को पूरा करने में भरसक प्रयत्न करें और दलबन्दी में न पड़ें। यह विधेयक जैसा कि मैंने कल भी कहा था १९५८ में खत्म हो जायगा। तो पांच साल के लिए यह विधेयक है। उसके बाद जब हमारा यह काम खत्म होगा तो यह बिल और बोर्ड भी खत्म हो जायगा। उस समय अगर आप म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट को लगाना चाहें और उसकी शरायत पूरी होती हों तो उसे लगाइये या टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया ऐक्ट लगाइये। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि पांच वर्ष के लिए हमारे मित्र भी जिद न करेंगे। इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी दो आदमी रखे गये हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने काफी रुपया खर्च किया है। राज्य सरकार भी चाहती है कि दो प्रतिनिधि हमारे भी हों। एक चेयरमैन होगा। तो इस तरह से पांच आदमियों का बोर्ड बड़ा काफी होगा, जो वहां के रहने वाले लोगों के लिए काम कर सकेगा और उनके हालात से हम सब खूब वाकिफ हैं। वह इस बात के मुस्तहक हैं कि उनकी पूरी सहायता की जाय। वह अभी जीविका की खोज में ही हैं चुनाव की खोज में नहीं हैं। इसलिये इस तरमीम को मैं स्वीकार नहीं कर सकता और इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय हुकुम सिंह जी जैसे प्रजातान्त्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को इस संशोधन का विरोध करते देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह मंडल कोई नई चीज नहीं है। यह मंडल नवम्बर, ५० से काम कर रहा है और दिसम्बर, ५४ तक ४ वर्ष इस मंडल को काम करते हो गये हैं और ४ वर्ष तक पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में मंडल काम करता रहा है और केन्द्रीय सरकार ने, मैं समझता हूं कि अपनी इच्छाओं के अनुसार जिस तरह से नगर को विकसित करना चाहा होगा बिना जनता की राय लिये हुए, बिना विस्थापितों की राय को लिये हुए, विकसित किया होगा। फिर केन्द्रीय सरकार को इस मंडल ने कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजी। मैं तो श्रीमन् इस रिपोर्ट से यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को स्वयं ही पता नहीं है कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है और अधकचरी सूचना को लेकर वह इस मंडल को बनाने चले हैं। आप लिखते हैं कि मंडल में काम करने वाले अफसरान और कर्मचारियों की ठीक सूचना भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक नकल आप जरूर मांग लें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप कुछ गलतफहमी में हैं। यह मंडल जो है और वह जो मंडल था इसमें और उसमें भिन्नता है। वह मंडल केन्द्रीय सरकार ने बनाया था और उसके जरिये केन्द्रीय सरकार ने नगर बसाने का प्रयत्न किया। उसके बाद शायद मुमकिन है कि विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाना पसन्द किया हो या वे यह समझते हों कि इतनी दूर से इन्तजाम नहीं हो सकता और प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस सूबे से इस नगर का है इसलिये आपको अधिकार दे दिया कि आप मंडल बना लें। लिहाजा यह मंडल उस मंडल से अलग होगा। उस मंडल की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास जायगी, यहां क्यों आयेगी, यहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं खंड ४२ की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा जिसमें पुराने मंडल और नये मंडल को एक कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने तो यह खंड रक्खा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं माननीय मंत्री के मुख से यह बात सुनना चाहता था कि वह इस सदन को यह तो विश्वास दिलाते कि इस समय जो मंडल काम कर रहा है उस मंडल की पुर्ननियुक्ति की जायगी। उस मंडल मे दो राज्य सरकार के नुमायन्दे हैं, एक कमिश्नर मेरठ डिवीजन, एक डिप्टी सेक्रेटरी रिहैबिलिटेशन और दो केन्द्रीय सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी हैं और एक चेयरमैन है। इस तरह से ५ का मंडल है और यह भी ५ का मंडल है। माननीय मंत्री कम से कम यह तो कह देते कि एक रिफ्यूजी को हम जरूर नामिनेट करेंगे। तो भी सन्तोष हो जाता लेकिन उनके सारे भाषण में यही सुनने को मिला कि राज्य सरकार चाहती है कि दो हमारे नुमाइन्दे हों और केन्द्रीय सरकार चाहती है कि दो उसके नुमाइन्दे हों, लेकिन जरा हस्तिनापुर के विस्थापितों से भी तो पूछिये कि वे क्या चाहते हैं। हमारे नुमाइन्दे हों या न हों। क्या श्रीमन्, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो रिफ्यूजी भाई हस्तिनापुर मे सन् ४७ से बसे हुए हैं वे यह न चाहते हों कि हमारा भी नुमाइन्दा मंडल में हो। यह असंभव बात है। इसलिये माननीय मंत्री जी यह तो एलान करें कि वे रिफ्यूजियों के भी दो नुमाइन्दे लेने को तैयार हैं, जिन के लिए टाउन डेवलपमेंट हो रहा है जिनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिस मंडल को जनहित के लिये स्थापित किया जा रहा है उसमे उनका प्रतिनिधि न होने के माने यह हैं कि यह मंडल नौकरशाही के डिपार्टमेंट का अंग होगा जो ऐडमिनिस्ट्रेटर के नियंत्रण पर चलेगा जिसमें मंडल के मेम्बर भी एडमिनिस्ट्रेटर और चेयरमैन भी ऐडमिनिस्ट्रेटर होगा। यह टाउन डेवलपमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कुठाराघात होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आया माननीय मंत्री विस्थापितों के प्रतिनिधि को नामजद करने को तैयार हैं, या नहीं, अगर नहीं है तो यह जरूर कहूंगा कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हस्तिनापुर नगर को देखा है। केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी इमारतें बनाई हैं मगर वहां पर हम सरकारी नौकर तो जरूर देखते हैं और आबादी में लोग सैकड़ों की तादाद में होंगे, हजारों में भी नहीं। यह छोटी तादाद भी एक अनिश्चित से जीवन में है। करीब दो सौ, चार सौ आदमी होंगे, इससे ज्यादा आदमी नहीं हैं। वे भी सोचते है कि हमारा काम चलेगा या नहीं। ऐसे लोगों से चुनाव होही नहीं सकता। अब तक केन्द्रीय सरकार ने एक मंडल के द्वारा उस नगर को बसाने का प्रयत्न किया था लेकिन वह प्रयत्न पूरी तौर से सफल नहीं हुआ है। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने उस कार्य को राज्य सरकार के सुपुर्द किया है कि वह उस नगर को बसा दे। भारत सरकार ने लाखों और करोड़ों रुपया वहां पर खर्च किया है। हस्तिनापुर नगर के पास बहुत जमीन जो खादर पड़ी हुयी थी और जो बेकार पड़ी हुई थी और जहां पर कांस और फूस ही पैदा होता था, तो वहां पर सरकार ने लोगों को उसमें आबाद किया है और लाखों एकड़ जमीन तोड़ कर उसको खेती योग्य बनायी है। परन्तु वे लोग जहां पर हस्तिनापुर जो स्थान है वहां पर नहीं रहते हैं, परन्तु उनके गांव जगह जगह पर हैं। वहां पर उनकी खेती है, वहां पर उन लोगों ने अपने रहने के स्थान बनाये हुये हैं। लेकिन प्राचीन स्थान जो हस्तिनापुर है वहां पर सरकार ने बहुत सी इमारतें बनायी हैं और बहुत से दफ्तर बनाये हैं। तो वह एक अच्छी तरह से आबाद हो जाय यह सरकार चाहती है। वहां पर आबाद करने के लिये यह बिल्कुल जरूरी है कि कुछ वहां पर ऐसे विशेषज्ञ हों जो नगर को आबाद कर सकें। वहां पर जो इधर-उधर विस्थापित लोग हैं उनको वहां पर प्रेरणा देकर बुलायें और उनको काम में जमायें। वहां पर इस प्रकार की आवश्यकता है।

इस समय जो लोग हस्तिनापुर में रहते हैं या जो वहां के रहने वाले हैं उनकी स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि जो म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया की होती है। वहां की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। वहां पर चुनाव का सिस्टम ठीक नहीं रह सकता है।

वहां पर तो यही तरीका सफल हो सकता है कि राज्य सरकार अपनी ओर से एक बोर्ड की स्थापना कर दे और उसमें इस प्रकार के सदस्य रखे जाँय कि जो इस काम में सरकार की सहायता करें जिससे वह नगर आबाद हो सके और वह नगर बस सके। इस प्रकार की योग्यता जो आदमी रखता हो और उस कार्य को जो आगे ले जा सके इस प्रकार के आदमी की वहां पर आवश्यकता है। इसलिये जो कायदे इस विधेयक के अन्दर रखे गये हैं कि ५ आदमियों का बोर्ड बनाया जाय, दो आदमी राज्य सरकार के हों और दो आदमी केन्द्रीय सरकार के हों और एक अध्यक्ष हो। तो यह तरीका ठीक रह सकता है। वहां पर चुनाव का तारीका ठीक नहीं बैठता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यों तो मुख्य मुख्य बातें आ चुकी हैं कि क्यों यह संशोधन लाया गया। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो यह नया मंडल बनेगा इसके पूर्व जो मंडल वहां पर कार्य कर रहा था वह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रहा है और कुछ कर्मचारी प्रान्तीय सरकार के भी थे। एक प्रकार से संयुक्त ढंग पर वह मंडल काम करता था। शायद माननीय मंत्री जी को यह पता होगा कि हस्तिनापुर दिल्ली से जितनी दूर है उससे ज्यादा दूर लखनऊ से है। तो यह कहना कि दिल्ली की सरकार वहां पर समुचित प्रबन्ध कर सकने में असमर्थ है तो मैं समझता हूं कि यह वस्तुस्थिति ठीक से नहीं समझी गयी है और इसी कारण से भाव इस प्रकार का पैदा हो सकता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विभाग देखा जाय उसके लिये आपको सहयोग लेना आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता हुई थी जब कि चीन से लौटकर प्रधान मंत्री देश में आये, तो उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यहां पर पब्लिक कोआपरेशन, जन सहयोग और पब्लिक इनिशियेटिव पर हर विकास की योजना बननी चाहिये। उस समय सचमुच मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अब सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाया जायगा जिससे जनता के सहयोग की उपेक्षा नहीं की जायगी। अब इस विधेयक में देखा जाय तो जनसहयोग को प्राप्त करने की भावना इसके अन्दर नहीं पायी जाती है। इसलिये मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूं कि इसके अन्दर सहयोग की भावना नहीं है। जो सूचना यहां पर है उसको माननीय मंत्री जी ने खुद पढ़ा और उन्होंने उस कापी को निकाल कर देखा। तो यह तर्क नहीं उठ सकता। प्रान्तीय सरकार जो ४, ५ वर्ष से इन विस्थापितों के विकास के लिये सोच रही थी वह अब वहां पर मंडल बनायेगी और केन्द्रीय सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा तो वहां पर सचमुच विकास होगा। तो यह तर्क नहीं उठता है। ४ वर्ष तो वहां पर वैसे ही खो गये और कुछ काम नहीं हुआ। अब यह जो पांच कर्मचारी वहां पर आयेंगे जिसमें २ कर्मचारी तो राज्य सरकार के आयेंगे और २ कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की ओर से आयेंगे और २ व्यक्ति प्रादेशिक सरकार के होंगे तथा एक चेयरमैन होगा। इनसे कैसे विकास होगा, मैं यह नहीं समझ सका। हमारे मित्र जैन जी ने कहा कि वहां आबादी बहुत कम है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से चुनाव न हो। प्रश्न यहां यह है कि वह अपने को विकसित करने के लिये अपने भावों को व्यक्त करने के अधिकारी होंगे या नहीं। कल, श्रीमन्, जब आप यहां नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय थे, मैंने कहा था चाहे जहां के जिले ले लें, चाहे बनारस ले लें, मदनमोहन जी ने भी कहा था कि एन० ई० ऐस० ब्लाक भी तो विकसित हो रहे हैं मगर जहां जनता ने चाव से उस योजना में सहयोग नहीं दिया है वहां योजना कामयाब नहीं हुई है। वहां पैसे का दुरुपयोग हुआ है और इसलिये मुझे डर है कि पैसे का दुरुपयोग यहां भी होगा। माननीय मंत्री जी को प्रसन्नता और विश्वास होगा कि उनके कर्मचारी वहां की योजना को अच्छी तरह से चला रहे हैं मगर जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने ४ वर्ष का समय खोकर चाहे उसे विकेन्द्रीयकरण कहें, प्रान्तीय सरकार को ज्यादा अधिकार देने की बात सोची है, इसी तरह से माननीय मंत्री जी हमारे सुझाव को मानें। प्रजातन्त्र उन्हें बाध्य करेगा। हमारे सुझाव के

[श्री राजनारायण]

मानने के लिये, तो मैं चाहता हूं कि उन्हें ऐसी सद्बुद्धि अभी से पैदा हो जाय कि वह हमारी बात को मान लें। एक भी तर्क माननीय मंत्री जी केन्द्रीय या प्रान्तीय पैमाने पर दे दें कि जहां उनके कर्मचारियों से ही कोई योजना अच्छी तरह से चली हो। माननीय मंत्री जी बहुत गर्व के साथ यहां कई बार कह चुके हैं चुर्क सीमेन्ट-बालू की फैक्ट्री के बारे में नींव पर पूरा का पूरा नक़शा है। यह वहां का मेरे पास पूरा ब्यौरा है जिससे जाहिर होता है कि जो क्वार्टर और मकान बने हैं वह ढहते चले जा रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी के दूसरे कामों के फल हैं। कर्मनासा पुल के बारे में भी फोटो मेरे पास है, वह सारा पुल फट रहा है मगर सरकारी कर्मचारी रिपोर्ट देता है कि पुल फटा नहीं है।

श्री अध्यक्ष ---आप कृपया असंगत न हों।

श्री राजनारायण---इसलिये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे तर्क में और बल पड़ जाय कि सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से सरकार को अंधकार में रखते हैं। वहां की फोटो है, पुल क्रैक हो गया है और किसी भी दिन खतरा पैदा हो सकता है। मैं इस फोटो को आपकी सेवा में भेज दूं और आप देख लें। तो माननीय मंत्री जी यदि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ही आश्रित रहेंगे तो विस्थापितों का ठीक से विकास नहीं हो सकेगा। मैंने देखा कि हठवादिता के कारण माननीय मंत्री जी माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा कि मंत्री जी की सेवा में कुछ निवेदन कर दूं। २,४ वर्ष व्यतीत कर देने से कोई फल निकलने वाला नहीं है। भारत की आजादी हुई। अगर जैन जी का और दूसरे मित्रों का यही तर्क माना जाय कि चुनाव से वहां के लोग आपस में झगड़ेंगे तब तो यही बहाना असेम्बली के और रिपब्लिक के चुनावों में लिया जा सकता है। हमको बड़ा खतरा दिखाई देता है जबकि इस सदन में माननीय मंत्री जी और उनके वृद्ध साथी लोग इस भाव को व्यक्त करते हैं जो कि जनतंत्र की बुनियाद पर प्रहार करता है। तो इन खतरों को सामने रखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लें।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। संशोधन के पढ़ने से यह जान पड़ता है कि जनरल बहस के समय जो कहा गया था कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन" वाली बात इसमें छिपी हुई है। मुझे इस सिलसिले में एक बात याद आ गयी कि मेरे दिमाग में भी यह बात थी जब कि मैं कालेज से पढ़कर निकला। तब भी गूंज रही थी "नो टेक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन"। मेरे गांव के पास एक मेला लगता था। वह मेला हमारे गांव से १५-२० मील की दूरी पर लगता था और हमारे गांव में एक धर्मशाला भी है जिस में आने जाने वाले लोग एक दो दिन ठहरते थे और चले जाते थे। एक बार में कोई हजार-डेढ हजार आदमी उसमें रहते थे। तो धर्मशाला का इन्तजाम करने के लिये हमारे दिमाग में यह बात आयी कि थोड़ा सा पैसा आने जाने वाले लोगों से मसलन २-४ पैसा ले लिया जाया करे जिससे रोशनी, सफाई आदि का प्रबन्ध उनके लिये कर दिया जाय। जब इसके प्रबन्ध करने की बात आयी तो यह सोचा गया कि जिनसे हम पैसा लेते हैं। उनसे भी पूछ लिया जाय उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो तो अच्छा हो। लेकिन हमारे सामने कठिनाई यह थी कि लोग आते थे और १-२ दिन रह कर चले जाते थे। बन्दर के बच्चे की तरह मैं उस उसूल को पकड़े रहना चाहता था कि 'नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन'। लेकिन मैंने देखा कि एक दिन जो आते थे उनका रिप्रजेंटेशन लेकर अगर इंतिजाम हो तो दूसरे लोग जो दूसरे दिन आते थे उनको शिकायत होती थी कि जब हम से पैसा लिया जाता है तो इस प्रकार का इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता है। इस प्रकार से झगड़ा होता था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही आता था कि उनका कहना सही है क्योंकि मैं अभी पढ़कर आया था कि 'नो टेक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन'। इसी प्रकार से यहां जब कि नगर अभी बसा ही नहीं है यह प्रश्न पैदा हो गया है कि उसका विकास मंडल कैसे बनाया जाय? इस विधेयक के द्वारा यह स्पष्ट है कि उसमें

म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिये ५ वर्ष की बात कही गयी है इसलिये वह केवल ५ वर्ष के लिये ही है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी का निर्माण हो जायगा। यही बात जैन जी ने बताई कि अभी तो नगर का निर्माण भी नहीं हुआ है; विधेयक की धारा ३ में कहा गया है 'राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर निर्मित और विकसित करने के लिये....' अर्थात् यह स्पष्ट है कि उसको हमें अभी तो निरमित करना है। मालम होता है कि पांच वर्ष के अन्दर जैसा कि विधेयक से स्पष्ट होता है यह नगर निर्मित हो जायगा। आज अगर वहां की आबादी १ हजार है तो अगले वर्ष दो हजार हो जायगी, फिर तीन हजार इस प्रकार से ५ वर्षों में हम वहां ऐसा आकर्षण पैदा करेंगे, ऐसी सुविधायें वहां पर देंगे कि वहां पर लोग बस जायं। वहां के आसपास लोग लाखों की तादाद में खेती करते हैं लेकिन हस्तिनापुर नगर में अभी सुविधायें न होने के कारण नहीं आये हैं क्योंकि वहां अभी कोई चार्म नहीं है। वहां पर हम कुछ उद्योग धंधे खोलना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और सुविधायें लोगों को देना चाहते हैं। मकानों का निर्माण आदि कर के लोगों को बसाना चाहते हैं जिससे आसपास के खेती करने वाले लोग वहां पर आकर बस जायं। जब विस्थापितों के लिये कोई आकर्षण होगा जब उनकी जीविका के लिये वहां पर कोई साधन होगा तभी वे स्थायी रूप से वहां पर बस सकते हैं। क्योंकि अभी वहां पर जीविका के कोई अधिक साधन नहीं हैं इसलिये लोग छोड़ कर चले जा रहे हैं। ऐसी हालत में यह कहना कि जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी में चुनाव होता है और वहां पर जनता के प्रतिनधि लिये जाते हैं उसी प्रकार से यहां भी हो, यह ठीक नहीं है। आज लोग वहां पर बसे हुये हैं उनमें से कुछ लोग जा भी सकते हैं और दूसरे साल वहां की आबादी दूसरे लोगों के आने से दूनी भी हो सकती है फिर उनमें से भी चुनाव होगा। इसी प्रकार से जब दो तीन साल में ७–८ गुनी आबादी हो जायगी तो फिर इसी प्रकार की कठिनाई पैदा होगी। इन सब कठिनाइयों को देखते हुये हमारा यह ख्याल है कि ५ वर्ष की जो इसमें मियाद रखी गयी है तो ५ वर्ष में यह राज्य यह उम्मीद करता है कि इस विकास मंडल के द्वारा हम उसको इस स्थिति में ला देंगे कि हो सकता है कि वह म्युनिसिपैलिटी के आधार पर कार्य कर सकेगा। यहां पर जो माननीय उद्योग मंत्री जी ने बतलाया कि हमारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत से झगड़े पैदा होंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिनिधित्व में उनका विश्वास नहीं है, उसका हरगिज यह मतलब नहीं है। लोग चुनाव के लिये आपस में झगड़ा करेंगे, कोई किसी को जान नहीं सकेगा। इस चीज के अन्दर भी एक तथ्य है और वह यह है कि आप लखनऊ नगर को ही ले लीजिये, यहां पर लोग स्थापित हो चुके हैं और काफी दिन से रह रहे हैं। तो हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की सेवा को जानते हैं कि कौन सेवा करता है, कौन सेवा नहीं करता है, कौन काबिल है, कौन क्या है? लेकिन जो नगर बसा ही नहीं है वहां के रहने वाले एक दूसरे के प्रति कोई जानकारी नहीं रखते हैं कि उनकी क्या परम्परायें हैं और क्या नहीं हैं। वे एक दूसरे की योग्यता को नहीं जानते हैं, एक दूसरे की सेवा को नहीं जानते हैं, एक दूसरे की समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिये वहां पर चुनाव कराया जायगा तो उसका क्या आधार होगा? वहां एक गुट है जो किसी देहात से आया है, एक गुट है जो किसी शहर से आया है, तीसरा गुट कहीं और से आया है और चौथा गुट किसी विभिन्न स्थान से आया है। वे एक दूसरे को बिलकुल नहीं जानते हैं। तो मैं सोचता हूं कि वहां चुनाव अगर होगा तो उसका आधार गुटबन्दी ही होगी। यह मैं मानता हूं कि गुटबन्दी सब जगह है, यहां भी गुटबन्दी है लेकिन यहां की गुटबन्दी एक सिद्धांत के आधार पर है। नगरों के अन्दर जो लोग रहते हैं उनके बाप-दादों को और उनकी करनी को हम जानते हैं, उनकी योग्यता को जानते हैं और फिर तब यह निश्चय करते हैं कि किसको वोट दें और किसको वोट न दें। तो बजाय जाति-पांति और भाई चारे की बातों को छोड़ कर हम एक सिद्धांत के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो वह सिद्धांत का मौका वहां ५ वर्ष तक उपस्थित नहीं रहेगा। हो सकता है कि इस साल वहां की आबादी २० फीसदी हो और अगले साल वहां की आबादी ४० फी सदी हो जाय और उसके अगले साल और भी बढ़ जाय तो फिर हमारे सामने यह कठिनाई आ सकती है कि जो पहले से २० फी-सदी लोग बसे हुये हैं वे सोचें कि और लोगों के आ जाने की वजह से उनके स्वार्थ पर धक्का

[श्री केशभान राय]

पहुंचेगा इसलिये कोई अपने मन की बात कर लें। इस तरह से यह चीज एक झगड़े की जड़ होगी, गुटबन्दी होगी, और उसका नतीजा यह होगा कि वे लोग उसके विकास में सहायक नहीं होंगे। लेकिन जब ५ वर्ष के बाद १०० फी सदी आबादी हो जायगी तो २० फी सदी या ४० फीसदी के प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठेगा बल्कि उसमें सेट परसेंट लोग आ जायंगे जब कि यह म्युनिसिपैलिटी के रूप में आ जायगा। इस समय २० फीसदी ही लोग वहां हैं, फिर वहां पर ४० फीसदी लोग बस जायेंगे क्योंकि जो उद्योग धंधे और बिजली आदि का आकर्षण है उसकी वजह से लोग अपनी जीविका के लिये वहां बसना पसन्द करेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुये ५ वर्ष में जाकर वह सचमुच में म्युनिसिपैलिटी बनेगी और जैसा कि मैंने कहा कि तब आप "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन" का सिद्धांत लागू कीजियेगा। अन्त में मैं संशोधन का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जिसने उभड़ते हुये हस्तिनापुर को देखा है। अभी पिछले वर्ष जब मैं हस्तिनापुर गया तो सदियों के हस्तिनापुर के प्राचीन गौरव को उसके खंडहरों पर फिर साकार रूप होते देखा। वर्तमान समय के हस्तिनापुर के उन्नतिशील चित्र और स्थिति को देखकर एक भारतीय होने के नाते मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। माननीय राजनारायण सिंह जी मेरे मित्र हैं और मैं उन के विचारों का सदा आदर करता रहा हूं और आज भी करता हूं लेकिन आज तो यह स्थित है कि 'चले थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास' बात तो है हस्तिनापुर के उत्थान की और लग गया चुनाव अर्थात् वहां एलेक्टोरल रोल बनने लगें, लाउड स्पीकर लगें, ऐलेक्शन हों, चुनाव हों, चिन्ह दिये जायं, किसी को झोपड़ी, किसी को घोड़ा, किसी को सूर्य का चिन्ह मिले। जनतंत्र प्रणाली में चुनाव एक अच्छी चीज है और जनता के हाथों में शक्ति रहनी चाहिये और इस चीज में इधर के रहने वाले भी उधर के रहने वालों से कम विश्वास नहीं करते क्योंकि इसी आधार पर आज हमारी सरकार यहां बनी हुई है और आज की कांग्रेस सरकार का और कोई आधार नहीं है, चुनाव और जनतंत्र प्रणाली ही आधार है, और हमारा सब से बड़ा सहारा वही है। लेकिन असल बात यह है कि चुनाव अच्छी चीज है। कभी-कभी अच्छी चीज का भी अगर बेमौके प्रयोग किया जाय तो उसका बुरा प्रभाव होता है। जैसे--

"नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात।
जैसे वर्णन युद्ध में रस सिंगार न सुहात।।"

हमें, जो वहां विस्थापित लोग हैं, उन की उन्नति, के लिये, उन को अमीर बनाने के लिये युद्ध करना है, उन की गरीबी के मुकाबले में लड़ाई करनी है, लेकिन अगर ऐसे समय रस शृंगार की बातें होने लगें, अर्थात् वहां चुनाव का ढांचा खड़ा किया जाय तो ऐसे समय में यह उचित न होगा। इस से जनतंत्र प्रणाली को कौन धक्का पहुंचता है जब मंत्री जी कहते हैं और कानून में है कि यह केवल ५ वर्ष के लिये है। इसलिये यह कहना गलत है कि जनतंत्र प्रणाली के विरोध में है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जहां आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा उठाना हो वहां चुनाव का होना जरूरी नहीं है और वह न हो तो अच्छा ही है। इस समय अवसर नहीं है कि मैं अपने माननीय मित्र की उन बातों का उत्तर दूं कि पंचवर्षीय योजना की क्या प्रगति हुई है। इस का जवाब तो जब इसका मौका आयेगा तब दिया जायगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब माननीय राजनारायण जी मेल गाड़ी पर बैठते हों तो उन को उस की रफतार न मालूम होती हो कि वह कितनी तेज जा रही है, बैठ कर उसी गाड़ी की ठीक रफतार का अन्दाजा लगाना मुश्किल है, अगर बाहर खड़े हो कर देखा जाय तभी मालूम होता है कि मेल गाड़ी कितनी तेज जा रही है? यही स्थिति हमारी पंचवर्षीय योजना की प्रगति की है। हमारे देश के ही रहने वाले कुछ लोगों को पंचवर्षीय योजना की प्रगति नहीं मालूम पड़ती है। लेकिन सैकड़ों विदेशियों ने जो आकर देखा है

और जो सराहना की है वह किसी से छिपी नहीं है, विदेशियों ने कहा कि इतने थोड़े समय में जितनी प्रगति भारत ने की है उतना बहुत कठिनता से ही हो सकता है। स्वयं हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी ने कहा है कि वे भारत की पंच वर्षीय योजना की प्रगति से संतुष्ट हैं। यह अवसर नहीं है कि मैं इस विषय पर विस्तृत रूप से जाऊं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह राग जो है उसे किसी और अवसर के लिये रखें, यह युद्ध का अवसर है और इसमें शृंगार रस की बातें नहीं होनी चाहिये। चुनाव वगैरः की बात एक लक्ग्जरी है। जब किसी स्थान की स्थिति अच्छी हो तब चुनाव आदि के बारे में सोचना चाहिये, लेकिन जब किसी स्थान की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है तब उसको उठाने के लिये जो रास्ता इस विधेयक में रखा गया है उससे सुन्दर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद मैंने भी यह उचित समझा कि मैं भी अपने विचारों को रख दूं। माननीय मंत्री जी भी और यह सरकार भी चाहती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं लेकिन इस विधेयक को देखने से ज्ञात होता है कि वह सारे अधिकारों के अपने हाथ में ले कर चाहते हैं कि वे जो चाहें करें। यदि वहां के लोगों को तरक्की करना है तो वहां के रहने वाले लोगों के विचारों का जानना परमावश्यक है। हमारे माननीय केशभानराय जी ने तो हस्तिनापुर को एक मेले का स्वरूप दिय है। जब कि चार वर्षों से लगातार हस्तिनापुर का उत्थान किया जा रहा है तब उसको एक मेला बतलाते हैं कि लोग वहां आते हैं, बसते हैं और चले जाते हैं। अब चार वर्षों से लोग वहां रह रहे हैं, क्या वे आपस में मिलजुल पर अपनी तरक्की की बात को भी नहीं सोच सकते। लेकिन माननीय केशभानराय जी तो उनको मेला की बात कह कर, धर्मशाला का स्वरूप दे कर उनको वह अधिकार भी नहीं देना चाहते जो उनको मिलना चाहिये इस प्रजातंत्र में। यह बड़े दुख की बात है। माननीय शुक्ल जी को चुनाव की बात शृंगार रस की मालूम होती है। वह समझते हैं कि चुनाव कोई नाच गाना है, कोई शौक की चीज है। यह तो जनता को अधिकार देना है जिससे वे अपने ऐसे प्रतिनिधि भेजें जो अपने वहां के स्थानीय चीजों को जो विधेयक में हैं देखें। और जो डेवलेपमेंट करना चाहें, करें, उनपर सोचें और विचारें। इसी मंशा से माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने मंडल बनाने के लिये प्रस्ताव रखा है जिसमें ४ आदमी वहां के बसनेवाले लोगों में से लिये जायं, १ अदमी केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि और एक प्रांतीय सरकार का प्रतिनिधि और एक अध्यक्ष वहां की जनता में से इस प्रकार से ७ आदमियों के एक मंडल को बनाने के लिये प्रस्ताव रखा है। वहां के प्रतिनिधियों का, वहां के बसने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा और अध्यक्ष जो होगा वह किसी का ऊपर से लादा हुआ ही रहेगा बल्कि वहीं के लोगों का चुना हुआ वह अध्यक्ष रहेगा। और माननीय मंत्री जी को यह जो डर है कि केन्द्रीय सरकार जो खर्च करती है उसको वहां के लोग गड़बड़ कर देंगे तो इसके लिये वहां एक आदमी केंद्र का और एक प्रांत का रहेगा और इस तरह से उनके सहयोग से उस नगर का विकास हो जायगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करें जिससे कि उस नगर को डेवलप करने में बड़ी मदद मिलेगी

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो दलीलें मेरे संशोधन के विरोध में दी है उनको देखने से मुझे वह आधार रहित मालूम पड़ती हैं। जहां तक माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उनको विस्थापितों पर और हम लोगों पर विश्वास है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि चुनाव करवाने में उनको वहां दलबन्दी बढ़ने का बड़ा भारी खतरा है जिससे कि टाउन डेवलप नहीं कर पायेगा, उसके डेवलपमेंट में बाधा पड़ जायगी जिससे उस टाउन का नुक्सान होगा। मैं

[श्री गजेन्द्र सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं, और साथी राज नारायण जी ने भी उनको बतलाया कि जहां तक दलबन्दी का ताल्लुक है उससे उन्हें डरना नहीं चाहिये। यह तो हस्तिनापुर नगर के विकास का प्रश्न है जिसमें अगर वे मेरे संशोधन को मान लेते हैं तो चुनाव की वजह से वहां दलबन्दी होगी और उससे उस नगर के डेवलप होने में बाधा पड़ जायगी उससे उनको खतरा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनाव का उसूल तो उन्होंने हिन्दुस्तान को डेवलप करने में माना है। आप पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, प्रांतीय असेम्बली का चुनाव करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायतों का चुनाव करते हैं, चुनाव तो आपके घट-घट में व्याप्त है। चुनाव के द्वारा ही हमारा और आपका प्रसव है, जन्म है, तो ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी को चुनाव से खतरा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जरा शांति रखें। आवाज कई जगह से आ रही है। वातावरण शांत होना चाहिये।

श्री गजेन्द्रसिंह---तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरे मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी को चुनाव से नहीं डरना चाहिये और मेरा जहां तक ख्याल है चुनाव के द्वारा ही हम असेम्बली में आते हैं, माननीय मंत्री जी ने उसी से अपनी सरकार बनाई है और हम सरकार का विरोध करते हैं, हम सरकार का आपोजोशन इस दृष्टि से करते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा सूबा आगे बढ़े। हम इसलिये आपोजोशन नहीं करते कि राष्ट्र पीछे हटे अथवा उसकी प्रगति में बाधा आये। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव से वह डरें नहीं। उसके खतरों को हम को मोल लेना होगा और इसका वातावरण हर जगह और हर मंडल में पैदा करना पड़ेगा। दलबन्दी और अपोजोशन होते हुये भी अपने देश और राष्ट्र के निर्माण के लिये हमें यह रास्ता अपनाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्यों से जो श्री केशव पांडेय के सामने बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आवाज वहां से जोर से आ रही है। जरा लोग शांत रहें।

श्री राजनारायण---जो लाउड स्पीकर वहां लगा हुआ है उससे ध्वनि विस्तृत होती है और इसीलिये यहां सुनाई नहीं पड़ता।

श्री गजेन्द्र सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि चुनाव के इस खतरे से उनको डरना नहीं चाहिये। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदय ने एक दलील दी कि १९५९ के बाद यह मंडल समाप्त हो जायगा इसलिये चुनाव नहीं करना चाहिये। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब केवल चार पांच वर्ष ही इस मंडल को रखने की आवश्यकता थी तो क्या जरूरत थी इसको स्थापित करने की और क्या जरूरत थी इस विधेयक को लाने की, इस पर सरकार का इतना रुपया खर्च करने की? साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बताते हैं कि केंद्रीय सरकार का भी मंडल स्थापित किया हुआ है, जिसमें चार मेम्बर भी हैं जो गवर्नमेंट की ऊंची-ऊंची पोस्ट के व्यक्ति हैं और जिनपर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। गवर्नमेंट ही एक ऐडमिनिस्ट्रेटर वहां पर नियुक्त कर देती और उसके द्वारा या वहीं के कलेक्टर द्वारा वहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता था। जैसे प्लानिंग कमेटियां हैं उनके द्वारा अपने-अपने जिले का डेवलपमेंट होता है, तो इसी तरह हस्तिनापुर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिये इस विधेयक के लाने की क्या आवश्यकता हुई? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे आवश्यकता पड़े कि इसको आगे बढ़ाना पड़े। इसके साथ-साथ मंत्री जी ने हमारे संशोधन के न मानने में एक दलील और दी और बताया कि चूंकि

मैंने अपने संशोधन में सिर्फ एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का रिप्रजेन्टेटिव रखा है और प्राविन्शियल गवर्नमेंट का एक। तो उन्हें यह दिक्कत है, उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने दो प्रतिनिधि रखेगी। यदि वह हमारे संशोधन को मानने को तैयार हों तो हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक प्रतिनिधि के बजाय दो प्रतिनिधि मानने को तैयार हैं, अगर मंत्री महोदय वहां के चुने हुए व्यक्तियों को ले लें। हमारे संशोधन के रखने की मंशा यह है कि जिन लोगों का हम विकास करना चाहते हैं उनकी हम राय तक न लें तो उनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? इसलिये मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि वहां के विस्थापितों की राय लें, उनकी राय से डेवलप करना चाहिये। अगर उनकी राय नहीं ली जाती तो मुझे अन्देशा है, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा, और जैसे कि यहां पर इंजीनियर वग़ैरह तमाम नियुक्त किये गये, मैं किसी के व्यक्तित्व पर आक्षेप नहीं करता हूं। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि जो डेवलपमेंट का कार्य सरकारी अधिकारियों के हाथ में डाला जाता है तो यही देखा गया है कि रुपया बर्बाद होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय तो नहीं है लेकिन मैं अपने इटावा जिले की बात कह दूं कि हमारे यहां ट्यूबवैल्स सरकार के लग रहे हैं, इंजीनियर्स के हाथ में सारा काम रहा, कैसी बुरी हालत ट्यूबवैल्स की पड़ी हुई है, किसानों की कितनी बुरी हालत है, हजारों रुपया बर्बाद कर दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उसके तमाम हिसाब की जांच की जाय तो बड़ी गड़बड़ी निकलेगी। मैंने प्रश्न दिये, प्रश्न नहीं लिये जाते हैं, हजारों रुपया किसानों का बुरी तरह से बर्बाद किया गया। क्योंकि उनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं था। तो इसलिये अगर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में व्यवस्था को डाल दिया जायगा तो हमें डर है कि रुपया बर्बाद होगा। यह हम मानते हैं कि हम इंजीनियर्स रखें, ऐक्सपर्ट रखें, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि रखें और उसके साथ-साथ जनता के प्रतिनिधि भी रखें ताकि वह सब चीज देख सकें। तो इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमारा मतलब यह है कि अगर हमारा संशोधन मंत्री जी मान लेंगे तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के दो प्रतिनिधि रखने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

उन्होंने हमें यह भी बताया कि हमको उन्हें जीविका का आधार देना है, लेकिन हमें वोटिंग का अधिकार नहीं देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जीविका के विकास में रोटी ही श्रेष्ठ नहीं है। यह हम मानते हैं कि रोटी अत्यन्त आवश्यक चीज है जीविका के लिये। लेकिन उसके साथ मनुष्य को संस्कृति की आवश्यकता है, कला की आवश्यकता है, रचना की आवश्यकता है और भी तमाम चीजों की आवश्यकता मनुष्य को है। इसलिये सिर्फ रोटी की ही बात जीविका के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के मुंह से शोभा नहीं देती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जीविका तो उन्हें देनी ही है लेकिन उसके साथ-साथ उनके धर्म, उनकी सांस्कृतिक उन्नति भी होनी चाहिये। तो इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि हमको उन्हें रोटी का अधिकार भी देना है, उन्हें स्वतन्त्रता, अपनी बात सोचने और समझने का भी अधिकार देना होगा और इसे मंत्री महोदय को मानना होगा।

इसके साथ-साथ माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि वहां पर थोड़ी तादाद है। दो चार सौ आदमी रहते हैं। खैर मैं तो वहां गया नहीं। मैंने मान लिया। मैं आपके द्वारा यह भी चाहता था कि मंत्री जी बताते कि वहां पर कितने आदमी निवास करते हैं? लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने मुझे बताया कि सरकार से उन्हें इनफार्मेशन मिली है, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक ठीक है कि कम से कम दो हजार या ज्यादा से ज्यादा ढाई हजार आदमी वहां रहते हैं। मैं बड़ी दुविधा में हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे ठीक-ठीक इन्फार्मेशन नहीं मिली हुई है इसलिए मैं क्या बात कहूं, मेरी समझ में नहीं आता है। रतनलाल जी जैन की बात मानूं या नारायणदत्त जी की इन्फार्मेशन को मानूं। बहरहाल कहने का मतलब

[श्री गजेन्द्र सिंह]

यह है कि जहां पर इतने आदमी रहते हों, माननीय रतनलाल जी कहते हैं कि बहुत थोड़े से आदमी वहां रहते हैं उनके लिए चूंकि नगर को बसाना है, इसलिए विशेषज्ञों को रखने की आवश्यकता है। मैं रतनलाल जी से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करूंगा कि अगर वह हमारे संशोधन को मानने के लिए तैयार हो जायंगे तो विशेषज्ञ वहां जा सकेंगे। सरकार जो अपने प्रतिनिधि वहां भेजे वह विशेषज्ञों को अपना प्रतिनिधि बना कर भेज सकती है या जो रिप्रिजेंटेटिव गवर्नमेंट आफ इंडिया के मानने के लिए हम तैयार हो गये हैं, वह विशेषज्ञ हो सकते हैं, या फिर जो मंडल के अधिकारी होंगे वह विशेषज्ञ हो सकते हैं। या फिर जैसे इंजीनियर वगैरह इस तरह के अधिकारी विशेषज्ञ रखे जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि माननीय रतनलाल जी को यह खतरा हो कि यह संशोधन मान लिया जायगा तो कोई विशेषज्ञ वहां नहीं रहेगा। नगर को बसाने के लिए विशेषज्ञ का प्रविजन तो कहीं भी किया जा सकता है और इंजीनियर आदि ऐसे अधिकारी भी रखे जा सकते हैं जो कि विशेषज्ञ होते हैं। तो जो दलील उन्होंने दी वह हमारी समझ में नहीं आयी। साथ ही साथ एक उनकी दलील यह भी है कि जहां थोड़े ही आदमी हैं वहां चुनाव की क्या आवश्यकता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि गांव पंचायतों में भी तो चार पांच सौ आदमी ही होते हैं, वहां क्यों आप चुनाव कराते हैं? उन्हें भी तो सारे स्वायत्त शासन के अधिकार दिये जाते हैं कि वह स्वयं अपना डेवलपमेंट करें, अपनी तरक्की करें क्योंकि दिल्ली या लखनऊ में बैठकर तो गांव की पंचायतों को डेवलप नहीं किया जा सकता, यह सरकार ने माना है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई है और तहसील प्लानिंग कमेटियां बनाई गई हैं। तो पंचायतों को स्वायत्त शासन का अधिकार हमने इसीलिए दिया है। तो जब पंचायतों को, थोड़ी सी आबादी के लोगों को यह अधिकार देते हैं तो हस्तिनापुर के लिये हम इसे क्यों नहीं देना चाहते?

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय रतनलाल जी जैन का कहना यह है कि हस्तिनापुर में चूंकि आबादी बहुत कम है इसलिये वहां कुछ विशेषज्ञ ही मंडल में हों तो उपयुक्त होगा और उन्हें चुनाव के अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आबादी का उनका अनुमान गलत है और इसके साथ-साथ मैंने बतलाया है कुछ समय पूर्व कि हम पंचायतों का चुनाव करते जब कि वहां भी आबादी कम होती है।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केशभान राय जी ने हमारे संशोधन के विरोध में कुछ बातें कहीं। जब माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने इस विधेयक पर बोलते हुये "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन" का वर्णन किया था तो उन्होंने उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई थी और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने जीवनकाल की एक कहानी भी बतलाई और कहा कि उनके गांव के पास एक मेला लगा करता था। उसमें बहुत से लोग आते थे और चले जाते थे। उस समय वह कालेज से पढ़ कर आये थे। वहां के इन्तजाम करने का सवाल आया और लोग रोज चले जाते थे इसलिये यह टैक्सेशन भी नहीं कर सकते थे। यही भावना उन्होंने रखी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर नगर विधेयक, यह कोई मेला या धर्मशाला का विधेयक नहीं है। उन्होंने शायद इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो शायद

वह यह न कहते। यह नगर वैसा नहीं है कि लोग एक स्थान से आये और दूसरे स्थान को चले गये। लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि उनको मंडल के चुनाव करने का अधिकार न दिया जाय। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वह इस विधेयक को पढ़े होते तो यह कभी न कहते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय केशभानराय जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसमें बतलाया है उससे जाहिर है कि हस्तिनापुर नगर काफी बड़ा टाउन होगा और काफी आबादी होगी और लोग स्थायी तौर पर रहेंगे, और सरकार की स्थायी इमारतें बनेंगी जैसे अस्पताल की इमारत होगी, मेडीकल आफिसर का निवास स्थान होगा, एंटी मलेरिया आफिसर का निवास-स्थान होगा, कम्पाउंडर्स और नरसेज के क्वार्टर्स होंगे, निम्नवर्ग के कर्मचारियों के क्वार्टर्स होंगे, ट्रैक्टर्स वगैरा होंगे। इस तरह से सरकारी १९, २० स्थायी इमारतें होंगी और राज्य सरकार में निहित होंगी। इसलिये केशभानराय जी ने जो खाका खींचा कि लोग आयंगे, चले जायंगे, एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, इसलिये उन्हें चुनाव के अधिकार देना बेकार है। यह जो बतलाया तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है। इस ऐक्ट में माननीय मंत्री महोदय ने यह भी प्राविजन रखा है कि उन लोगों पर टैक्स भी लगाया जायगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मंडल उन लोगों पर टैक्स भी लगायेगा, यानी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार जो अपना ऋण देगी उसके द्वारा उस मंडल का डेवलपमेंट तो होगा ही। उसके साथ-साथ जो मंडल के मेम्बर्स वहां होंगे वे उनके ऊपर टैक्स भी लगायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो मंडल को टैक्स लगाने का अधिकार देते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मंडल सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ है और जनता जिस पर टैक्स लगेगा उसको मंडल को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है वह ज्यादा मुनासिब है। चूंकि मंडल वहां पर टैक्स भी लगायेगा इसलिये जो वहां के रहने वाले हैं मंडल में उनका प्रति-निधित्व होना चाहिए और सरकार का जो ऋण है उसके लिए उसमें उनका भी प्रतिनिधि होना चाहिये। दोनों के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, मेरे संशोधन में यही है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने हस्तिनापुर नगर का बड़ा रोचक ऐतिहासिक वर्णन किया। मैं उस प्रकार का साहित्यिक वर्णन तो नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक उसके ऐतिहासिक होने का ताल्लुक है मैं भी मानता हूं कि वह ऐतिहासिक नगर है और जिसके इतिहास की रक्षा करने का भार माननीय शुक्ल जी पर ही नहीं है बल्कि उससे ज्यादा अपोजीशन इस चीज को महसूस करता है। पुराने नगरों और पुराने इतिहास की रक्षा करना हमारा धर्म है। और इसीलिये हम चाहते हैं कि चूंकि हस्तिनापुर ऐतिहासिक नगर रहा है, उस नगर को फिर से बसाना और उसका विकास करना हमारा धर्म है। तो माननीय रामनरेश जी इसके लिये जितना चिन्तित हैं उतना ही अपोजीशन भी चिन्तित है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी हमारे संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि गये थे रामभजन को लेकिन कपास ओटने लगे। हस्तिनापुर में विकास करने जा रहे हैं, अगर वहां पर एलेक्टोरल रोल बनेगा, हल्के बनेंगे, तमाम चीजें चुनाव की जायंगी, तो उनका खयाल यह है कि हम रामभजन करने जायंगे लेकिन कपास ओटने लगेंगे। मैं श्री रामनरेश जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये वह परेशान न हों। इस तरह से वहां पर जो लोग रहेंगे उनकी शादियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे कुछ लोग मरेंगे भी, जलाये भी जायंगे, तो यह सब कृत्य वहां पर होंगे। तो वहां पर सड़कें भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगे और चुनाव भी होंगे। सभी कुछ होगा। इसके लिये ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई भी दलील नहीं है कि विकास करने जा रहे हैं, अगर चुनाव कर देंगे तो हम दलदल में पड़ जायंगे। इसके साथ ही साथ माननीय रामनरेश जी ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की पंच

[श्री गजेन्द्र सिंह]

वर्षीय योजना की भी बड़ी तारीफ कर डाली यद्यपि उसका यहां कोई प्रसंग नहीं था? उन्होंने सरकार की पंचवर्षीय योजना को तूफान गाड़ी बतलाया। उन्होंने कहा कि तूफान गाड़ी पर जो सवार है उसको नहीं मालूम होता लेकिन जो बाहर से देखते हैं उनको पता चलता है कि वह सर्र से निकल जाती है। जहां तक पंचवर्षीय योजना का ताल्लुक है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना ने देश की बेकारी को कितना दूर कर दिया है? कितने देश के बेकारों को काम मिला हुआ है? देश में बेकारी बराबर बढ़ती जा रही है। बजाय इसके कि देश आगे बढ़े, पंचवर्षीय योजना से तरक्की हो, देश और गिरता चला जा रहा है। यह मैं मानता हूं कि सरकार ने नहरें बनवायी हैं, बांध और ट्यूबवेल्स बनवा दिये हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों ने भी यही किया था। अंग्रेज भी कहते थे कि हमने सड़कें बनवाईं, रेल की पटरियों को बिछाया, प्रजातंत्र के युग में यह कोई लोजिक नहीं है कि अंग्रेज जितना काम करते थे उतना काम हमने कर दिया या उससे ज्यादा काम कर दिया। उसी पर हम संतुष्ट रहें यह कोई लोजिक नहीं है। हमारा काम है देश में सड़कें, नहरें और बांध बनाना, देश को हर प्वाइंट आफ व्यु से डेवलप करना; देश की जो और समस्यायें हैं उनको हल करना जैसे रोटी और कपड़े की व्यवस्था पर ध्यान देना और अगर कोई नेशनल सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे नेशनल सरकार होने का दावा नहीं करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना के लिये जो दलीलें दी जाती हैं उनको मानते हुये मैं माननीय रामनरेश शुक्ल से कहता हूं कि अगर आप यह भी काम नहीं करते हैं तो इन कुर्सियों पर किस लिये बैठे हैं? यह हजारों और लाखों रुपये जो जनता के पसीने की कमाई आप खर्च कर रहे हैं यह किस लिये कर रहे हैं? यह तो आपको करना ही होगा, बल्कि इससे ज्यादा करना होगा। रामनरेश जी ने कहा कि अगर चुनाव कराया गया तो उन्हें शृंगार का खतरा है और जो डेवलपमेंट वह करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमें शृंगार को स्थान देना होगा, वीर रस को भी स्थान देना होगा और साहित्य में जो ९ रस हैं उन सब को स्थान देना होगा। चुनाव और शृंगार की आपस में कोई उपमा नहीं है। सारे देश का विधान ही चुनाव पर आधारित है। केन्द्र, प्रान्त, जिलों और गांवों में सब स्थानों पर चुनाव की बातें हैं और चुनाव की चर्चा है और हमेशा विधान के मुताबिक चुनाव की बातें रहेंगी। तो अगर चुनाव की उपमा शृंगार से दी गई तो पूरा देश शृंगार हो जायगा। इसलिये रामनरेश जी को चुनाव से परेशान न होना चाहिये कि वहां चुनाव करायेंगे तो वहां शृंगार हो जायगा। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि हम तो प्रजातांत्रिक प्रणाली को मानते हैं लेकिन वहीं तक मानते हैं जहां तक उन की कुर्सियां सुरक्षित हैं। मुझे इस विधेयक को देखने के बाद यह कहना पड़ता है, मेरी गुस्ताखी माफ की जाय, जो मंडल की स्थापना की जा रही है उसमें जनतांत्रिक प्रणाली का लेशमात्र भी नाम नहीं है। बल्कि जनतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा गया है। मंडल को राइट देने जा रहे हैं टैक्स लगाने का लेकिन उसके प्रतिनिधियों को कोई राइट नहीं देना चाहते। कोई भी विस्थापितों को प्रतिनिधि मंडल में नहीं लेना चाहते। आप जनतांत्रिक प्रणाली केन्द्र और प्रान्त तक अपनाना चाहते हैं ताकि वहां आपकी सीटें सुरक्षित रहें, इसके बाद आप जनतांत्रिक प्रणाली को नहीं चाहते। जैसे कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट कल परसों में आ रहा है। उसमें जो संशोधन करने जा रहे हैं उससे पता चलता है कि चेयरमैन जो डायरेक्ट वोटर्स द्वारा चुना जाता था वह सब मेम्बरों द्वारा चुना जायगा। इस तरह से धीरे-धीरे सरकार वोट देने के राइट को छीनती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने बुजुर्ग माननीय उद्योग मंत्री की भावना की कद्र करता हूं। मैं जानता हूं कि वह विस्थापित व्यक्तियों को बसाना चाहते हैं, हस्तिनापुर जो ऐतिहासिक नगर है उसे बसाना चाहते हैं और उसे डेवलप

करना चाहते हैं। जहां तक डेवलप करने का सम्बन्ध है हम उनसे एग्री करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिनका डेवलपमेंट किया जायगा, जिनकी समस्याओं को हल किया जायगा, उनके रिप्रेजेन्टेशन को भी रखना ज्यादा अच्छा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय हमारे इस संशोधन को नहीं मानना चाहते हैं तो इस संशोधन को हम वापस लेने के लिये तैयार हैं इस शर्त के साथ कि अगर माननीय मंत्री जी कम से कम वहां पर चुनाव कराना नहीं चाहते हैं तो वहां के २, ३ आदमियों को सेलेक्ट कर लें। मैं जानता हूं कि हमारा यह संशोधन गिर जायगा। तो ऐसी सूरत में हम समझते हैं कि अगर माननीय मंत्री महोदय इस बात को हमारी मान लें कि वहां के मंडल में २, ३ आदमियों को उन विस्थापितों में से ही ले लें तो सही होगा। अगर सरकार इस बात से डरती है कि अगर वहां पर चुनाव कराया जायगा तो उससे दलबन्दी पैदा होगी और उसे वहां पर उन्नति का काम नहीं हो पायेगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर भी अगर वह डरती है कि दलबन्दी हो जायगी और चुनाव नहीं चाहती है तो २, ३ विस्थापितों में से ही आदमी उसमें रख लिये जायं। २ आदमी राज्य सरकार के और २ आदमी केन्द्रीय सरकार के होंगे तो उनमें आप सारे आदमी सरकार के न रखकर वहां की जनता से लेलें तो मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री गजेन्द्र सिंह जी की लम्बी चौड़ी तकरीर सुनी और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनको भी हस्तिनापुर के भाइयों के साथ उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि इस तरफ के लोगों को और सरकार को है। मैं तो इसमें कोई शक नहीं करता हूं। मेरा अपना ऐसा ख्याल था कि वाकई में उधर के पक्ष के लोगों को उतनी ही हमदर्दी है लेकिन इन्सान को नीयत और उसके काम से जज किया जाता है। जब यहां पर यह विधेयक आया जिसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि उस टाउनशिप को डेवलप किया जाय और वहां के रहने वाले भाइयों की तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न किया जाय तो उस तरफ के लोगों की तरफ से यह एतराज आया कि यह बिल पेश नहीं हो सकता। यह बिलकुल नाजायज है। अगर आपको हमदर्दी थी तो इस बिल के साथ सहानुभूति रखकर उसको यहां पर पेश होने देते, लेकिन भरसक इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस तरफ से यह बिल इस सदन के सामने न आवे। यह एक ऐसा वाकया है कि जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़ता है कि आया यह बयान कहां तक सही है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो यह आपके दिखाने के दांत हैं कि आपको पूरी हमदर्दी उनके साथ है लेकिन खाने वाले दांत दूसरी बात कहते हैं। मुझे यह भी बताया गया कि पंचवर्षीय योजना बिलकुल नाकामयाब रही और इस सरकार की तारीफ जो रामनरेश शुक्ल जी ने की तो आपको वह बहुत नागवार लगी। मैं जानता हूं कि इसकी वजह क्या है और मैं उसको यहां पर सदन में बताना नहीं चाहता हूं। गजेन्द्र सिंह जी को अंग्रेजों की तारीफ तो भाती है लेकिन अपनी राज्य सरकार और अपनी राष्ट्रीय सरकार की तारीफ नहीं भाती है। इस भवन में मुझको भी आज पता चल गया कि अंग्रेजों के मददगार लोग और उनकी तारीफ करने वाले लोग अब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में वाकई बेकारी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और उसको हल करने का सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है। बहुत से उन्नति के काम किये हैं और बहुत सी बातें ऐसी की हैं जिससे बहुत से लोगों को काम पर लगाया गया है, लेकिन यह प्राबलम ऐसी है जो कुछ देर में हल होगी। आपकी तरफ से कोई भी सुझाव इस प्रकार का नहीं दिया गया कि किस तरह से यह प्रश्न हल किया जा सकता है। उसके लिये आप कोई सुझाव देने के लिये तैयार नहीं हैं। महज टीका-टिप्पणी करना और यह दिखाना कि आपको हमदर्दी जनता से है यह बात कोई मायने नहीं रखती है। जनता भी आपको अब समझने लगी है बहुत सी बातें बतायी गयीं और कहा गया कि आप इलेक्शन से क्यों डरते हैं। न मैं डरता हूं और न यह पार्टी ही डरती है, और न डरने का सबूत यह है कि तीन चौथाई से ज्यादा सीट्स यहां घेरे हुये बैठे हैं और यह उस इलेक्शन का

[श्री हुकुमसिंह]

ही नतीजा है। मुझे यह भी बताया गया कि आप लेजिस्लेचर के चुनाव करते हैं फिर बोर्ड के चुनाव क्यों नहीं करते? मैं कल से बता रहा हूं कि हस्तिनापुर की एक अजीबोगरीब स्थिति है। जो स्थिति लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपलिटी के चुनाव के लिये हो सकती है, जो व्यवस्था और बातें यहां व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं वह व्यवस्था वहां नहीं है। वहां की व्यवस्था ऐसी है कि वहां लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, मुख्तलिफ जगह के लोग वहां आये हुये हैं, अभी उनमें आपस में एक दूसरे में बहुत कम सम्पर्क है। वहां पर लोग स्केटर्ड अवस्था में बसे हुये हैं, वह चुनाव वहां नहीं कराये जा सकते। गजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि पहले कल्चर बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन हमारा ख्याल है कि पहले रोटी कपड़े की समस्या वहां पर हल होनी चाहिये। जब तक उनके तन ढकने को कपड़ा और खाने को कुछ न हो तब तक कल्चर नहीं चल सकती और फिर केवल इलेक्शन से कल्चर नहीं बन जायगी। जब रोटी कपड़े का प्रबन्ध वहां पर हो जायगा तब कल्चर का सवाल भी वहां पर हल कर दिया जायगा। और फिर ऐसी बात भी नहीं है कि अगर वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ तो कल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हो सकता, यह बात मैं कभी भी नहीं मान सकता। जो राम नरेश जी ने दिक्कतें बतलाई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इलेक्शन्स से पहले हमको कितनी ही बातें करनी होंगी। इलेक्टोरल रोल्स बनाने होंगे, वार्ड बनाने होंगे फिर जोरावर जी कहेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व काफी नहीं है, यह प्रश्न भी हल करने होंगे, यह भी तय करना होगा कि किसको कितनी सीट्स होनी चाहिये। अतः इन सब प्रश्नों को इस समय न उठाकर जो असली काम है उसको करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द टाउन का डेवलपमेंट किया जाय।

यह भी कहा गया कि आफीशियल्स के जरिये से यह काम नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक केवल आफीसर्स के जरिये से ही सब काम हुआ, है लेकिन कोई भी चीज एक बारगी मुकम्मिल नहीं हो जाती। फिर हम यह विधेयक केवल ५ बरस के लिये ही लाये हैं, यह ऐसा विधेयक नहीं जो परमानेंट हो। जनतंत्र की प्रणाली के आप भी कायल हैं और हम भी कायल हैं लेकिन परिस्थिति वश यह ही मुनासिब समझा गया कि बोर्ड को इस शकल में बना दिया जाय जैसा कि इस विधेयक में दिया हुआ है। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया के दो प्रतिनिधि हम मंजूर करते हैं लेकिन आपने यह नहीं बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आप उसमें कोई प्रतिनिधित्व देंगे या नहीं। अगर दो गवर्नमेंट आफ इंडिया के और दो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और ४ और होते हैं तो इस प्रकार से ८ हो जायेंगे तो बोर्ड बड़ा अनवील्डी हो जायगा। इसलिये अगर हम इन बातों में पड़ गये तो हमारा जो असली मकसद है वह क्षीण हो जायगा। आपका संशोधन ऐसा है जो बजाय फायदे के नुकसान पहुंचायेगा। हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने कहा कि मंत्री जी को यह घोषणा करनी होगी कि वह एक रिफ्यूजी का नामीनेशन करेंगे। यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं अवश्य हुक्म की तामील करता। लेकिन अगर ए को नामीनेशन देता हूं तो बी कहेगा कि मुझको नहीं दिया, बी को देता हूं तो सी कहेगा कि मुझको नहीं दिया, इस प्रकार ऐसा करके अगर अभी से वहां के लोगों में वैमनस्यता पैदा कर दूं तो वह भी हितकर नहीं होगा। मुझे यह जानकर खुशी तो हुई कि आखिर वे जो प्रजातंत्र की बात कहते थे, इलेक्शन की बातें करते थे वे नीचे उतर कर नामीनेशन के लिये राजी तो हुये। यह हमारे इत्मीनान के लिये कम बात थोड़े है, यह भी साधारण बात नहीं है। तो इन सब बातों में जितनी कि बतलायी गयी हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी कही गयीं जिनका इससे कोई सम्पर्क नहीं था। मैं श्रृंगार रस में नहीं जाता और न मेल फीमेल में जाता हूं। न इधर से जाता हूं न उधर से जाता हूं। यह आप ही लोगों के लिये मौजूं है। श्रृंगार रस में जाना अब मेरे लिये नामौजूं बात मालूम होती है। तो ऐसी सूरत में कहां का विधेयक, कौन सी तरमीम और कहां की बहस? तो उन बहसों में अगर हम जायं तो हमसे लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों से कौन बात करने वाला है? तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं फिर यह कहूंगा कि हमारे मित्र गजेन्द्र सिंह जी जिनके बारे में मेरी बहुत अच्छी

राय है, इस नाते से नहीं कि वे भी सिंह हैं बल्कि मेरे साथी हैं, तथा इस सदन के माननीय सदस्य हैं। वे इन सब परिस्थितियों पर विचार करके मेरी मदद करेंगे और जिद्द न करेंगे। क्योंकि राजा लोग हठ करते थे तो उनकी क्या दशा हुई? हठ योग से मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इस तरमीम को वापस लें और जिस तरह से हम बोर्ड बनाना चाहते हैं उसी ढंग से बोर्ड बनाने दें और फिर जरा इन्तजार कर लीजिये, अगर काम नहीं बनेगा तो आप जो हुक्म देंगे उसकी हम तामील करेंगे। हम हठधर्मी नहीं कर रहे हैं। जब हम देख लेंगे और तजुर्बा हासिल कर लेंगे और गड़बड़ी हुई तो हम फिर आपकी बात मानने के लिये तैयार हैं। तो एसी सूरत में मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरमीम को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय।

"४---(१) मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे :---

(क) अध्यक्ष, जिसका चुनाव यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) में वर्णित प्रेसीडेंट की चुनाव प्रक्रिया व प्रतिबन्धों के अनुसार होगा,

(ख) चार सदस्य जिनका चुनाव यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) में वर्णित सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया व प्रतिबन्ध के अनुसार होगा,

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी,

(घ) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) को निम्न रूप में रख दिया जाय:---

"(ख) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस विधेयक को देखते हैं और जो सूचना श्री गजेन्द्र सिंह जी के मांगने पर माननीय मंत्री जी ने दी है उससे पता लगता है कि यह बोर्ड, जिसका कंफरमेशन या जिसकी स्वीकृति इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी लेना चाहते हैं, वह पूरा बोर्ड जो बना हुआ है केन्द्रीय सरकार का है और मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि बोर्ड द्वारा व्यय हुआ है, केन्द्रीय सरकार का ही खर्च हुआ है। इसीसे आप अनुमान कर सकते हैं कि जो रुपया व्यय होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्रीय सरकार द्वारा भी खर्च होगा। तो सदन का ज्यादा समय न लेकर मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि जो दो व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के बोर्ड में होंगे, इसका अधिकार केंद्रीय सरकार को ही दे देना चाहिये कि वह अपने प्रतिनिधि को भेज दे, नामांकन करे। उनको यह शिकायत न हो कि केंद्रीय सरकार और हमारी प्रान्तीय सरकार के परामर्श करने में ही काफी देर हो जाय। उनको थोड़ी आशंका हो सकती है कि इस तरह से परामर्श करने तथा लिखा पढ़ी करने में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिये इस कार्य में देर न लगायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को पेश करता हूं।

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र को कुछ शक है कि ऐसा न हो कि परामर्श करने में देर हो जाय, दो चार महीने लग जायं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक हफ्ता या फोर्टनाइट में यह सब मामला तय हो जायगा, और केंद्रीय सरकार ने यह मान लिया

[श्री हुकुमसिंह]

है कि उनके परामर्श से ही राज्य सरकार अप्वाइंटमेंट करेगी। यहां तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है कि केंद्रीय सरकार राजी है लेकिन हमारे जोरावर वर्मा जी राजी नहीं हैं। ऐसी सूरत में देर नहीं होगी, केंद्रीय सरकार इसको मान चुकी है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जोरावर वर्मा—उपध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी को यह शंका है कि इस से उनके काम में बाधा हो सकती है और वह चूंकि विस्थापितों का भला करने के लिये कटिबद्ध हैं और उनकी सरकार उनका भाग्योदय कर देगी तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् एक नया भाग (घ) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय—

हस्तिनापुर नगर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार हस्तिनापुर नगर के विस्थापितों से परामर्श करने के पश्चात् करेगी।"

जो बहस अभी हो चुकी है, और हमारी सरकार ने जो प्रोवीजन इस बिल में रखा है कि सब लोग नामिनेटेड ही होंगे, दो सरकारी पक्ष के और दो केंद्रीय सरकार के पक्ष के। अभी जो संशोधन पेश हुआ था उसमें पेश किया गया था कि जो प्रतिनिधि हों वह सीधे चुनाव द्वारा ही हों जैसे म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं। मैंने देखा कि यह दोनों चीजें अपनी अपनी चरम सीमा पर हैं। इसलिये मैंने उचित समझा कि मैं एक मध्य मार्ग मंत्री जी को सुझा दूं। अगर मंत्री जी उचित समझें तो इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि म्युनिसिपल संशोधन ऐक्ट के अनुसार मैं मंत्री जी को पथभ्रष्ट नहीं करता, वह जिस ढंग से चलना चाहें चलें। लेकिन जिस तरह से वह विस्थापितों की गिरी हुई दशा को सुधारने के लिये कटिबद्ध हैं और उनके शुभचिन्तक हैं तो एक अनुभवी डाक्टर की तरह जो मरीज को ठीक करना चाहता है, उसके लिये जरूरी होता है कि वह रोगी के रोग का पता लगावे कि वह किस रोग से पीड़ित है? उस मरीज से भी कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है कि इस दवा से लाभ हुआ या नहीं जो दी जा रही है? इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब तक विस्थापितों के प्रतिनिधि वहां न होंगे तब तक संभवतः मंत्री जी को उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी न होगी। यह मैं मानता हूं कि उनके प्रति मंत्री जी की शुभकामना है और वह चाहते हैं कि पहले उनको पूर्ण रूप से बसा दें और उसके बाद वहां म्युनिसिपैलिटी की तरह चुनाव करावें लेकिन अगर इस विधेयक की आगे की धारा १४ को देखें तो उसमें है कि म्युनिसिपैलिटी की तरह चुनाव तो न होंगे लेकिन म्युनिसिपैलिटी की तरह टैक्सेशन कर हो सकेगा। मुझे तो यह धारा देख कर वह बात याद आ गई कि तालाब खुदा नहीं लेकिन बगुला भगत उपस्थित हो गये। म्युनिसिपैलिटी बनने का तो कोई प्राविजन नहीं हुआ लेकिन टैक्सेशन की धारा पहले से ही रख दी गई है। लोकतंत्र का यह एक परम सिद्धांत है कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन"। उसके अनुसार अच्छा हो कि सरकार उन विस्थापितों के परामर्श से ही दो व्यक्तियों का नामिनेशन करे, इस से वहां के विस्थापितों को भी संतोष होगा और उन का कुछ प्रतिनिधित्व भी एक तरह से हो जायगा और उनकी हालत को भी सरकार भली भांति जान सकेगी। अभी माननीय तिवारी जी ने जो लिस्ट पढ़ी थी कि कौन कौन लोग मंडल में हैं तो उससे पता चलता है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो उन विस्थापितों की परिस्थिति से पूर्ण रूपेण परिचित हो। चूंकि यह सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि "जाके पैर फटी न बिवाई सो क्या जाने पीर पराई," तो उनकी दयनीय दशा देखकर हम यह तो अनुमान कर सकते हैं कि उनकी क्या दशा होगी, लेकिन वास्तविक दशा तो वही बता सकते हैं जिनके पैर में बेवाई फटती है, जो भुक्तभोगी होते हैं। तो ऐसे लोगों का इस बोर्ड में लिया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसका हनन हो जाता है।

उनकी दशा के बारे में सरकार को ठीक से तभी मालूम हो सकेगा जब उनके प्रतिनिधि बोर्ड में होंगे। अब माननीय मंत्री जी को जो यह भी खतरा है कि हम वहां पर कंट्रोल नहीं कर पायेंगे और भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व मानेंगे, तो इसमें वह भी बात नहीं है। वह तो व्यक्ति सरकार के नामिनेटेड व्यक्ति होंगे और वह सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वह सरकार के स्कीमों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे एक लाभ यह अवश्य हो जायगा यदि सरकार विस्थापितों में से २ प्रतिनिधि नियुक्त कर देगी तो उनके लिये रास्ता बहुत सरल हो जायेगा और यदि ऐसा नहीं किया तो वहां पर एक दुर्भावना का दुर्भाव हो जायगा क्योंकि जब उनसे सलाह ही नहीं ली जायेगी तब वे उस उन्नति में उस प्रकार से सहयोग नहीं देंगे और यदि उनकी सलाह से काम किया जायगा तो उनके कारण आपको बहुत बड़ी मदद मिल जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस वक्त हमारे मित्र ने उपस्थित किया है अगर वह गौर से देखा जाय तो यह भी वही परिस्थिति पैदा करने वाला है जो कि श्री गजेन्द्र सिंह का था। केवल शब्दावली दूसरी है। जो सिद्धांत उसके अन्तर्गत था वही करीब करीब इसका भी है और जो वजूहात मैंने उस संशोधन के विरोध करते हुये दी थीं वह सब करीब करीब इसके खिलाफ लागू हैं। विस्थापित भाइयों के पराशमर्श से लोग हों, यह इसमें कहा गया है। मैंने बताया है कि इस वक्त आफिशियल्स को छोड़कर जो बोर्ड रखा गया है उसके अलावा उसमें कोई और मिलानें में हमारे काम में रुकावट पड़ेगी बजाय सहूलियत के, और अगर मैं अपने मित्र की बात मान लूं तब भी हमारे रास्ते में दिक्कतें पड़ेंगी। लोगों से पूछें कि भाई तुम किसको चाहते हो? तो कोई एक को बतायेगा कोई दूसरे को, कोई एक तीसरे को और फिर कोई किसी एक्स वाई जेड को।

अगर सब यूनानिमस न हों दो आदमियों पर तो नतीजा क्या होगा, आगे क्या करना होगा? फिर वही चुनाव। तो चुनाव की बात जो इस वक्त एवायड की जाती है वही बात इससे भी पैदा होती है। ऐसी सूरत में इस संशोधन को मानने से वही विषम परिस्थिति पैदा हो जायगी जिसको मैं एवायड करना चाहता हूं लिहाजा मैं इसके भी विरोध में हूं।

***श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन उपस्थित है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने तो यह दलील दी कि विस्थापितों का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड में न रखा जाय और उसका कारण यह बतलाया कि कुछ गड़बड़ी पैदा हो सकती कि एक ग्रुप का विस्थापित आ जाय तो दूसरा गिरोह जो है, दूसरा गुट जो है वह नाराज हो सकता है। इससे झंझट पैदा होगी, और फिर यह होगा कि उसे तब्दील किया जाय दूसरे रेप्रेजेंटिव से। वह पांच व्यक्तियों का मंडल है, पांच में दो व्यक्तियों के लिये हमने यह संशोधन रखा है। दो न सही एक ही हो, उसमें उनकी कोई मेजारिटी तो बनती नहीं है लेकिन उसमें नानआफिशियल रखे इस लिये जांय कि उनका एशोशियेशन जरूरी है उनके नगर के विकास में। उसके विकास में क्या क्या तरीके काम में लाये जांय, क्या क्या बातें करना जरूरी हैं इसको वह बता सकें तो इसके लिये यह जरूरी है कि नानआफिशिल उसमें हों और उनकी राय उसमें ली जांय। अगर राय नहीं ली जाती तो काम सहूलियत से नहीं चल सकता और इस दृष्टि से, खास तौर से आगे जो आने वाला खंड है कि जिसमें टैक्स का मामला है, उस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि नान-आफिशियल्स का रिप्रेजेन्टशन उस बोर्ड में हों अन्यथा टैक्स लगाने के समय वहां के रहने वालों की राय उसमें ली जाने वाली नहीं है। राज्य सरकार से वह मंडल पूछेगा और फिर वह टैक्स लगा सकता है। तो ऐसी हालत में जरूरत हो जाती है कि जब हम उनकी आमदनी बढ़ा देते हैं, नगर का विकास करते हैं और फिर टैक्स लगाते हैं तो उनसे राय ली जाय। इसके अलावा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

इसमें कोई वोटिंग हो या निष्पक्ष या पक्षपात की बात आये ऐसा भी नहीं है और इसमें कोई झंझट खड़ा होने वाला नहीं है। वह आदमी उसमें सिर्फ राय देंगे और बोर्ड में आफिश्यल्स का बहुमत होगा, वही उसको गाइड करेंगे तो इसमें कोई ऐसी अवस्था नहीं आती कि जिससे गड़ बड़ी पैदा हो बल्कि सहूलियत पैदा हो जाती है और हम इस तरह से नान-आफिश्यल्स की राय भी पा जाते हैं मैं इस पक्ष का हूं जब कि एक नगर का विकास करना है तो चुनाव द्वारा कोई बाडी नहीं बनाना चाहिये। जब वह इस स्टेट्स की हो जायगी तो म्युनिसिपल ऐक्ट उसमें लागू हो जायगा। जहां तक विकास की बात है मैं बिलकुल सहमत हूं कि मंडल होना चाहिये जैसा कि कांस्टीट्यूट किया जा रहा है लेकिन उसमें नान-आफिशियल ऐलीमेंट भी होना चाहिये ताकि वह अपनी राय दें सकें और उसमें कोआपरेट कर सकें। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से वह ठीक से चल सकेगा। इसलिये मैं विरोध करूंगा मंत्री जी की बात का और यह कहूंगा कि यह एक एनोसेंट संशोधन है जिसको वह मानेगें और स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान पूर्वक इस बात की चेष्टा की कि मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा नामजदगी के विरोध में दी गई दलीलों को समझ सकूं। उन्होंने सर्व प्रथम बात यह कही कि अगर हम विस्थापितों में से, डिस्प्लेस्ड परसन्स में से किन्हीं व्यक्तियों को नामजद करेंगे तो उन में दलबन्दी हो जायगी, लोगों में वैमनस्य बढ़ेगा। लोग कहेंगें इसकी नामजदगी करो, फिर दूसरे कहेंगे कि नहीं इसकी नामजदगी करो। इस प्रकार विस्थापितों में द्वेष बढ़ जायगा और उससे हमारे काम में रुकावट पड़ेगी। श्रीमन्, मैं आपसे से क्या कहूं। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि सरकार एक नहीं हजारों नामिनेशन सारे प्रदेश भर में किया करती है। क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन मेम्बर होगा इसको भी सरकार नामजद करती है। लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी में भी सरकार अपने प्रतिनिधि नामजद करती है। तमाम जो प्रजातांन्त्रिक संस्थायें हों, अप्रजातान्त्रिक सस्थायें हों, गैर सरकारी बोर्ड हों, सब जगह सरकार अपने प्रतिनिधियों को स्वयं भेजती है या जनता में से किन्हीं को नामजद करती है। यहां तक म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार जनता के प्रतिनिधि नामजद करे। अब अगर हस्तिनापुर के लिये माननीय मंत्री जी समझते हैं कि हस्तिनापुर ही एक ऐसी बदकिस्मत जगह है भारत में जहां नामजदगी करने से दलबन्दी बढ़ जायगी तो यह भावनायें माननीय मंत्री जी को ही मुबारक हों। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि या तो वह अपनी शक्ति लगायें कि कहीं भी नामजदगी न करें, कोई भी जगह हो, बोर्ड हों नामजदगी न करें। लेकिन ऐसा करना इनके लिये असम्भव होगा इसको मैं जानता हूं। तो इसलिये मैं तो उनसे यह कहना चाहूंगा कि आखिर हस्तिनापुर के विस्थापितों के नुमाइन्दे नामजद करने में उन्हें क्या बुनियादी आपत्ति है, यह स्पष्ट नहीं कर पाये। और भी डेवलपमेंट बोर्ड ऐक्ट हैं। विकास मंडलों के बारे में और भी विधेयक बने हुए हैं। मिसाल के लिये मैं दो ऐक्ट उपस्थित करना चाहता हूं। एक तो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४ की तरफ देखें तो मंत्री जी देखेंगे कि उसमें भी नामजदगी की गुंजायश रखी गई है सरकार इस बोर्ड में भी नामजद करती है लेकिन उसमें जनप्रतिनिधियों का समावेश उस बोर्ड के बनाने में अवश्य है। उसके कान्स्टीट्यूशन में सेवन मेम्बर्स अदर पर्सन्स इन कानपुर और थ्री अदर पर्सन्स इन अदर प्लेसज, दो मेम्बर्स आफ दी म्युनिसिपल बोर्ड, एक चेयरमैन आफ दी म्युनिसिपल बोर्ड। यानी राज्य सरकार नामजद करती है। लेकिन वहां से एक नाम मंगा लेती है। इस बोर्ड में म्यूनिसिपैलटी नामजद करती है सात व्यक्तियों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उनको भी नामजद कर लेती है। यह है टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट जिसके अनुसार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तमाम यू० पी० में बना सकते हैं, उसका विधान हमारा ही बनाया हुआ है, इसी असेम्बली का बनाया हुआ है।

दूसरा विधान है कानपुर डेवलपमेंट ऐक्ट। उसी कानपुर का अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके विधान को अगर देखा जाय, उसको भी माननीय मंत्री जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसमें लिखा हुआ है:

"इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, लेबर कमिश्नर कानपुर हैं, और प्रेसीडेंट कैन्टूनमेंट बोर्ड हैं, तीन मेम्बर्स म्यूनिसिपल बोर्ड के हैं जिनका चुनाव सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा होगा और १६ सदस्य ऐसे हैं जिनको सरकार नामजद करेगी गैर-सरकारी सदस्यों को यानी नागरिकों में से। तो यह इसका कान्स्टीटयूशन है। जहां बोर्ड में बहुमत १६ सदस्यों का है चाहे भले ही सरकार द्वारा नामजद हों, लेकिन फिर भी बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का है। यहां पर जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है, बहुत सीमित है, उसमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं होता। ५ सदस्य रहते हैं जिसमें २ प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार के, दो प्रतिनिधि प्रान्तीय सरकार के और एक अध्यक्ष वह भी सरकार द्वारा नामजद होगा तो ऐसे मंडल में जहां ऐसे मेम्बर्स हों और पांचों सदस्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किये गये हों, वहां दो ऐसे आदमियों को जो विस्थापितों के नुमाइन्दे हों, रख देने में क्या दिक्कत है? यह समझने की बात है। मैं तो कहूंगा, और यहां पर सभी पक्षों से निवेदन करूंगा कि वह कृपया मंत्री जी को प्रेरित करें, उनको प्रेरणा दें इस बात की कम से कम एक हल्के से सुझाव को तो मान लें ताकि यह कहने को हो जाय कि हस्तिनापुर के विस्थापितों की कोई पूंछ है। और दलबन्दी की बात कहना, माननीय मंत्री जी दलील निकालने में बड़े निपुण हैं, कि उन्होंने दलील निकाल ली, तर्क के लिये तर्क करना आवश्यक है।

श्री हुकुम सिंह—ठीक निकाली।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा विश्वास है कि सदन के किसी सदस्य के दिल में आपका यह तर्क नहीं भाया कि दल बन्दी हो जायगी या वैमनस्य हो जायगा। तो अगर माननीय मंत्री जी नामजदगी वाले सिद्धान्त को मानते हैं तो कम से कम दो शरणार्थियों के नुमाइन्दों को वह जरूर रखें। कम से कम जो डेवलपमेंट बोर्ड ऐक्ट पास किया है, उसकी मर्यादा को तो रखें।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है इस सदन के सामने मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस प्रस्ताव में माननीय वर्मा जी ने सिर्फ एक मांग यह की है कि लोकल यानी जिस स्थान के लिये मंडल या बोर्ड बनाया गया है, उस स्थान के दो प्रतिनिधि उसमें रखे जायं। यही एक प्रश्न इस सदन के सामने है। अगर देखा जाय तो यह मालूम होगा कि कहीं कोई भी कार्य अगर माननीय उद्योग मंत्री जी चलाना चाहते हैं तो वहां के वातावरण या जो परिस्थिति वहां की है, उसके सम्पर्क में न रह कर या उनकी जानकारी न रख कर कार्य अगर किया जाय तो उससे उस उद्योग धंधे को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन चीजों को देखते हुए यह जरूरी होता है कि लोकल भी कोई न कोई आदमी जरूर हो। जिनके लिये किसी किस्म का उद्योग धन्धा बनाया जा रहा हो या कोई भी कार्य उनकी भलाई के लिये किया जा रहा हो, तो उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए और उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव आना चाहिए। अगर अधिकारी उनसे मिलकर उस काम को करेंगे तो उस काम में ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वहां के लोकल व्यक्तियों का उसमें ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा। दूसरी चीज यह है कि लोकल आदमी जिस काम को करने के लिये प्रोत्साहन देता है तो उसको सफल बनाने में गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। वहां के

[श्री कमला सिंह]

आदमी कोआपरेट करेंगे और इस तरीके पर पब्लिक की वायस या उसका रिप्रिजेंटेशन जब गवर्नमेंट के साथ होगा तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो गवर्नमेंट के काम का विरोध करे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पार्टीबन्दी हो जायगी, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम इसे देखें तो हमें मालूम होगा कि अभी तक पांच सदस्य मंडल के हैं, दो राज्य सरकार के, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक अध्यक्ष। अगर रिप्रिजेंटेशन वहां के लोकल रेजीडेंट्स का रख लें तो इस तरह से मैं समझता हूं सात हो जाते हैं। पांच और सात में कोई ज्यादा अन्तर भी नहीं है और इससे मेजारिटी का जहां तक प्रश्न है, जहां तक माननीय मंत्री जी को मेजारिटी का डर है तो दो अगर वहां के लोकल रेजीडेंट्स के ही लोगों को वह रख लेते हैं, तो तब भी कोई उनकी मेजारिटी का प्रश्न नहीं उठता है। इस तरीके से पब्लिक का जो कोआपरेशन है वह हमें मिल सकता है। वहां जनता पर जो हम टैक्स लगाना चाहते हैं, उसमें उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अगर माननीय मंत्री जी इन चीजों को मान लेंगे तो यह एक बहुत ही उचित मांग स्वीकार होगी और पब्लिक भी इस पर हर्ष प्रकट करेगी।

श्री बसन्त लाल शर्मा—मान्यवर, जो यह संशोधन श्री जोरावर वर्मा जी ने रखा है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कहा यह गया है कि विस्थापितों के प्रतिनिधियों में से भी दो व्यक्तियों की नामजदगी कर दी जाय और उसमें विस्थापितों से परामर्श करके वह नामजदगी की जाय, ऐसा इसमें सुझाव दिया गया है। इस सम्बन्ध में बहुत काफी बताया जा चुका है कि वहां की जो परिस्थिति है वह ऐसी है कि वहां के बसे हुए लोगों में यह एक बड़ी भारी समस्या है कि वहां परामर्श किससे किया जाय, कौन उनका प्रतिनिधि होगा, यह एक बड़ा मुश्किल प्रश्न है। वहां ऐसी कोई चीज नहीं है कि वह आपस में एक दूसरे की जानकारी रखते हों या एक दूसरे को समझते हों और अपना कोई प्रतिनिधि बता सकें या बना सकें। माननीय नारायण दत्त जी ने इस सम्बन्ध में दो एक ऐक्ट भी पढ़ कर सुनाये। लेकिन अच्छा होता उन ऐक्टों में से कुछ सहारा मिला होता, टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट का उन्होंने हवाला दिया या कानपुर टाउन डेवलपमेंट ऐक्ट का हवाला दिया, लेकिन कोई ऐसा नियम उन्होंने अभी तक निकालकर नहीं बतलाया कि जिसमें इस प्रकार का कोई टाउन शुरू से ही बनाया जाने को हो और उसमें शुरू ही शुरू में चुनाव कराना जरूरी हो। समस्या तो इसमें यह है कि उसको टाउन बना देना है। पांच वर्ष के अन्दर जब टाउन बन जायगा उस समय ऐसे ऐक्ट के अप्लाई होने की बात कही जा सकती है। माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने यह कहा कि वहां टैक्सेशन जब लगेगा तो वहां के विस्थापितों की बिना सलाह के वह कैसे लगाया जा सकेगा और उनके उद्योगधंधों में कैसे उन्नति की जा सकेगी। जहां तक टैक्सेशन का सम्बन्ध है इसी ऐक्ट के अन्दर, इसी विधेयक के अन्दर धारा ६ में इस बात की व्यवस्था की गई है कि मंडल समितियों की स्थापना कर सकेगा और जो समितियां मंडल बनायेगा वह मंडल को सलाह देंगी, ऐसी ही विशेष समिति की सलाह पर से ही मंडल टैक्सेशन भी कर देगा, अगर इनका संशोधन मान लिया जाता है तो विस्थापितों से परामर्श लेने के सम्बन्ध में वही झगड़ा खड़ा हो जायगा जो चुनाव में हो सकता है। अतएव मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। उनके संशोधन के खिलाफ बोलते हुए अभी एक वक्ता ने कहा कि वहां पर परामर्श किस से किया जायगा? मैं नहीं समझता कि वह इतना भी नहीं जानते कि किससे वहां पर परामर्श किया जायगा

वहां जो दो ढाई हजार विस्थापित रहते हैं उनसे ही परामर्श किया जायगा और इसके अलावा अन्य जो लोग आयेंगे उनसे किया जायगा और नहीं तो क्या जानवरों से परामर्श किया जायगा।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जोरावर वर्मा जी के संशोधन के विरोध में जो दलील दी कि यदि हम उनसे परामर्श करेंगे और उनमें से लोगों को नामजद करेंगे तो उनमें आपस में असन्तोष होगा। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी हाल में उनकी सरकार ने और इस सदन ने पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किया है और पंचायती अदालतें थीं जिनका चुनाव जनता द्वारा होता था उनकी जगह पर अब नामजद का प्रबन्ध किया गया है और जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी वह पंचायती अदालत की नामजदगी करेगी। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने दलील दी है तो क्या गांव वालों में से नामजद करने से उनमें असन्तोष नहीं होगा जहां कि ३५ आदमियों में से ५ आदमी चुने जायंगे, तो उनमें भी असन्तोष पैदा हो सकता है। यह उनकी दलील मौजूं मालूम नहीं पड़ती है कि अगर दो आदमी नामजद किये जायंगे तो बाकी में असन्तोष होगा। चुनाव के लिये मैंने प्रस्ताव रखा था तो मंत्री जी को खतरा था दलबन्दी पैदा होगी। अब जब मंत्री जी इसको भी नहीं मानते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मंडल को सरकार के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जोरावर जी का सीधासादा संशोधन है और सरकार के ५ आदमी बने रहेंगे, सरकार का बहुमत रहेगा। सिर्फ २ आदमियों की राय से कोई भी भीषण परिस्थिति पैदा नहीं हो जायगी बल्कि जो वह राय देंगे उससे मंडल का सुधार होगा और मंडल के काम में कोई भी खतरा या रुकावट पैदा नहीं होगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इन शब्दों के साथ संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बोर्ड जो बना है वह केवल ५ वर्ष के लिये बनाया गया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि हमने इसको केवल ५ साल के लिये बनाया है। इसके बाद इसको जिस कैटेगरी में रखेंगे उस समय चुनाव का सवाल आयेगा यानी इसको टाउन एरिया में रखेंगे या म्युनिसिपैलिटी में रखेंगे। इस समय तो गवर्नमेंट की पूरी पूरी रिस्पांसीबिलिटी है। हमारी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में परामर्श हुआ और हस्तिनापुर क्योंकि हमारी सरकार के अन्तर्गत है इसलिये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज हमारी सरकार हस्तिनापुर को बनाना चाहती है। अभी उसकी बिगड़ी हुई हालत है। अभी वह ठीक नहीं हुई है। नगर उत्थान का प्रश्न है। नगर बनाया जाय, ठीक किया जाय, वहां के निवासियों के रहने सहने का, व्यापार वग़ैरह का प्रबन्ध किया जाय। इसलिए नगर बनाया जा रहा है। हमारे विरोधी दल के लोगों को आज ही से चुनाव की चिन्ता पड़ गई नामिनेशन कर दिया जाय, डिवाइड ऐण्ड रूल की पालिसी उधर से आ रही है जो माननीय जोरावर जी ने पेश किया है। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री ने कहा कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, तो इस किस्म का फ्रिक्शन क्यों आज ही उत्पन्न कर दिया जाय। कम से कम नगर को पनपने दीजिये। नगर बन कर तैयार हो जाय। उसमें फिर चुनाव करवाइये म्यूनिसिपैलिटी के लिए तो कम से कम दस हजार की पापुलेशन होनी चाहिये तब वहां पर म्युनिसिपैलिटी बन सकती है। वहां पर न कोई वजूद है न ढंग का ढांचा है। गजेन्द्र सिंह भाई ने कहा कि पंचायत में तो आपने तीन, चार मेम्बर रख दिये हैं। पंचायत तो बनी ही है। लेकिन वहां पर उस पंचायत से क्या सम्बन्ध ? वह तो एक नगर बना रहे हैं। हमारे वह भाई जो पाकिस्तान से आये हैं न उनके पास मकान है। (एक आवाज—टैक्स भी तो लगा रहे हैं।) नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन। गवर्नमेंट के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसको दिखा कर मालामाल हो जायगी। टैक्स तो देना ही पड़ेगा। चाहे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आये और चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए और चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जो आज है।

[श्री शिव नारायण]

नो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन, यह कई मर्तबा कहा गया। आप टैक्स टैक्स चिल्लाते हैं। सिर्फ हवाई किले बांधने से काम नहीं चलता। टैक्स लगाना होगा। कड़वा घूंट पीना होगा। जो लोग आज टैक्स के विरुद्ध चिल्लाते हैं और जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो वही टैक्स लगाते हैं, गोलियां चलाते हैं। आज ट्रावनकोर कोचीन की मिसाल हमारे पास मौजूद है। हमने पब्लिक को धोखा नहीं दिया। हम तो पब्लिक से कहते हैं हम टैक्स लगाएंगे और तुम्हारा काम करेंगे। आज हम को जनता गाली नहीं दे रही है। अगर गवर्नमेंट सड़कें बनवायेगी, बिजली लगवायेगी तो गवर्नमेंट के जाने पर उसका नाम बाकी रहेगा। गवर्नमेंट ने जो हस्तिनापुर नगर की जिम्मेदारी ली है वह एक बहुत सुंदर जिम्मेदारी है। जरा उन विस्थापितों को चार रोटी खाने दीजिये। हम उनके लिये दवादारू का इन्तजाम कर रहे हैं। हाय चुनाव, हाय चुनाव करके रातदिन वह परेशान हैं। मैं कहता हूं कि चुनाव के लिये और सारा देश पड़ा हुआ है। हम एक छोटा सा नगर बसाने जा रहे हैं उसको भी वह नहीं बनाने देना चाहते हैं। अपोजीशन सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानता है; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि वही बेस्ट गवर्नमेंट है जिसका अपोजीशन स्ट्रांग है। मैं कहूंगा कि आज की कांग्रेस सरकार वीक है क्योंकि उसका अपोजीशन वीक है। जैसा कि अभी उद्योग मंत्री जी ने बतलाया कोई, कांक्रीट सजेशन अगर विरोधी दल दे तो हम विचार कर सकते हैं कोई मंत्री जो यहां बैठा हुआ है अपने मन का नहीं है। उसके साथ हम ३८० के लगभग मेम्बर हैं। यह नहीं है कि वह जो चाहें वह करें। डिक्टेटरशिप नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जनता ने उनको चुना है। जनता का उनमें विश्वास है। इसलिये जनता की भलाई का कार्य हो रहा है। जैसा कि आपने कहा हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगर है, उसको सही मानों में यह सरकार बसाने जा रही है। अगर परामर्श होता तो सुन्दर सलाह देते। जिनको हमने माना है। कल ही एक नारायण दत्त जी का सजेशन आया जिसको हाउस ने माना फिर कैसे कहा जाता है कि हम सही सजेशन नहीं मानते। हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने माना है। तो जोरावर वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि डिवाइड एंड रूल की पालिसी न अख्तियार करें। आज युनाइटेड इंडिया बनाना है। जात पात छोड़ना आवश्यक है तभी देश का कल्याण होगा, इस प्रदेश का कल्याण होगा और हस्तिनापुर का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा जी ने रक्खा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं मैं चाहता था कि माननीय शिवनारायण जी इसमें हमारा साथ देते क्योंकि जो बात वे कह रहे हैं उसी को हम भी कह रहे हैं कि यही सरकार उनको मुकर्रर करेगी लेकिन वहां के लोगों की राय ले ली जाय ताकि पता लग सके कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। सरकार अगर इस प्रकार नियुक्त कर दे तो इसमें शिवनारायण जी को क्यों एतराज है यह बात समझ में नहीं आई। हमको इस बात की बड़ी खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, हम तो आशा में लगे हुए थे...

श्री हुकुम सिंह—आपके यहां तो हो चुका है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—हमारा इतना निवेदन है कि जिस तरह से वह हमारी सरकार कहते हैं उस वक्त हम लोग यह समझते हैं कि हां कुछ मामला है।

आशा हम यह करते थे कि इस सरकार को भी उनकी विद्वता का पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहिये और उन्हें अपने साथ लेकर यह हुकूमत आगे चले। इस मौके पर जब वह ऐसी बात कह रहे हैं सरकार को ही सारे अधिकार होंगे तो यह बात समझ में नहीं आई। हम लोग कभी-कभी आटोनामी की बात किया करते हैं। हर म्युनिसिपैलिटी के कुछ अधिकार हैं और वहां के रहने वाले लोगों की राय का सवाल आता है। इस मंडल में भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट के मेम्बर होंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिये वहां के लोग भी कुछ तो हों। स्टेट गवर्नमेंट हस्तिनापुर के रहने वाले लोगों में से जिनको वह उचित समझे नियुक्त कर दे उनकी भलाई के लिये तब भी समझ में आ सकता था कि वहां के रहने वालों की जो मुसीबत होगी उसे वह बोर्ड के सामने रख सकें। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, शिवनारायण जी जो चाहे कह सकते हैं, हिस्ट्री का विषय हो वह एक्नामिक्स पर लिख आते हैं, वह भी कोई ऐसी बात नहीं है और हमें उस पर कोई एतराज नहीं है जो चाहे वह कह लें लेकिन इस वक्त जो मसला था वह कोई दिक्कत वाला भी नहीं था और उसे समझने में, उन्हें कोई दिक्कत न होनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उनके कहे पर नहीं चलेंगे और माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रक्खा है, शिवनारायण जी के भाषण का खयाल न करके क्योंकि वे तो कुछ न कुछ रोज कहते ही रहते हैं, उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे मालूम नहीं था कि सचमुच मंत्री जी क्यों यह सरकारी बोर्ड बनाना चाहते हैं और क्यों यह विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया जबकि केन्द्रीय सरकार ने एक बोर्ड पहले ही बना रखा था। लेकिन जब कि उधर के वक्ता महोदय ने कहा कि मेरा संशोधन डिवाइड एन्ड रूल्स का आदेश दे रहा है तो मेरी समझ में इस विधेयक का उद्देश्य आ गया। हमारी गवर्नमेंट ने क्यों यह विधेयक पेश किया उसका कारण अब समझ में आया कि विस्थापितों के लिये हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ कार्य किया, हमारी सेंन्ट्रल गवर्नमेंट डरने लगी कि हमने उनके लिये कुछ नहीं किया है लिहाजा हमारे खिलाफ वे कुछ प्रोपोगेंडा न करें, इसलिये बजाय इसके कि कम्पलीट रिप्रेजेंन्टेशन माननीय मंत्री जी को दें उन्होंने डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी अख्तियार की कि कुछ रिप्रेजेंन्टशन राज्य सरकार का हो जाय और कुछ केन्द्रीय सरकार का। जिम्मेदारी डिवाइड हो जाय और वास्तव में किसी की जिम्मेदारी न रहे इस प्रकार दोहरा शासन स्थापित किया जा रहा है। जब यह माननीय सदस्य ने कहा तब मेरी समझ में आया कि यह बोर्ड जो बनाया जा रहा है वह एक तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अन्दर डिवाइड एन्ड रूल करने की पालिसी है। जब मैं यह समझा तब मालूम हुआ कि यह पालिसी इस बिल के अन्दर मौजूद है।

जहां तक उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात कही कि माननीय मंत्री जी खुद कोई कार्य नहीं करते हैं और सलाह लेते हैं तो यही तो मैं भी कह रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी आपसे सलाह लेते हैं उसी तरह से माननीय मंत्री जी उन अविस्थापितों से भी सलाह लें। यही मेरा प्रस्ताव है और इसके अन्दर और कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। आपने उस राय को नहीं माना।

जहां तक माननीय बसन्त लाल जी का कहना है तो उसका उत्तर तो श्री गजेन्द्र सिंह जी ने दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि यह बोर्ड किस लिये बनाया जा रहा है और उसका जवाब उन्होंने दे दिया। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह संशोधन भी गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन की तरह से है। यह सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मंत्री जी ने इसके अन्दर क्यों समानता ला दी? मेरा तो श्रीमन्, संशोधन यह है कि ४ व्यक्तियों में २ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के हों तथा दो राज्य सरकार के हों और दो पब्लिक प्रतिनिधि विस्थापितों में से रखे जांय और गजेन्द्र सिंह जी का यह है कि ४ पब्लिक के प्रतिनिधि होंगे और एक केन्द्रीय सरकार का होगा और एक यहां का होगा। यह कितना बड़ा डिफरेन्स अन्तर हो गया। उसमें दो सरकारी सदस्य होंगे और ४ पब्लिक के होंगे और मेरे संशोधन में भी कुल छः सदस्य होंगे जिनमें चार

[श्री जोरावर वर्मा]

सरकारी होंगे और २ जनता के प्रतिनिधि होंगे जो कि सरकार के द्वारा ही नामिनेट किये जांयगे। गजेन्द्र सिंह जी ने अपने संशोधन में यह कहा था कि यह जो ४ प्रतिनिधि जनता के रखे जांयगे वह डाइरेक्ट एलेक्शन से आयेंगे। मेरे और उनके संशोधन में बहुत बड़ा अन्तर हो गया है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसके लिये कहा कि यह करीब करीब वही है तो मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कार्य करने में बड़ी दिक्कत हो जायगी, वहां पर सिन्धी कहेंगे कि हम जांयगे, पंजाबी कहेंगे कि हम जांयगे और बंगाली कहेंगे कि हम जायेंगे इस प्रकार की दिक्कत उन्होंने बतायी तो मुझे वही बात याद आती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतवासियों के लिये कहा करती थी कि हम लोग तुम्हारे शुभचिन्तक हैं और अगर हम यहां से हट जांयगे तो फिर यहां पर लड़ाई हो जायगी और तुम आपस में लड़ मरोगे। इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने यह दलील दी कि जो शुभ कार्य वह करना चाहेंगे उसको नहीं कर पायेंगे और उनमें आपस में लड़ाई हो जायगी। यह दलील उसी तरह की दलील है जिस तरह कि पूर्व के शुभ-चिन्तक किया करते थे। जिस चीज के लिये माननीय मंत्री जी जीवन भर लड़े उसको माननीय मंत्री जी ने क्यों कहा यह समझ में नहीं आ सका। जिसको उन्होंने अपना आधार बनाकर कोशिश की उसी को आज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमको एक मिसाल याद आयी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं जो आपने कहा था वही आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। आप चाहते हैं कि उनका सुधार हो लेकिन इस चीज को आप अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो ऐसा करें और अगर नहीं चाहें न करें। आप उनकी मर्जी से उनके लिये कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिये यह बात मेरी समझ में आ गई कि आप उन परेशानी में पड़े भाइयों का सुधार नहीं करना चाहते हैं और इस विधेयक से केवल उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं कि देखो हम कितना बढ़िया तुम्हारे लिये यह विधेयक लाये हैं। अब कुछ बात समझ में आती है। इसलिए आप इसको न रखें लेकिन हमको जो अच्छा लगेगा वह तो हम जरूर आपके सामने रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने भी यह कहा कि बोर्ड्स में नामिनेशन तो होता ही है। ऐसा कोई बोर्ड सरकारी और गैरसरकारी न होगा जिसमें यह प्रथा लागू न हो और विशेषतौर से पुलिस ट्रेनिंग और वी० डी० ओज० के लिये जो सेलेक्शन हुये थे उसके बोर्डों में भी हमारे यहा के दो दो एम० एल० एज० रक्खे गये थे लेकिन हमने यह नहीं देखा कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। अब माननीय मंत्री जी यह दलील दे सकते हैं कि हम लोग लड़ते नहीं हैं हम लोग कुछ सुलझे हुये हैं, हमें इन बातों से कोई परेशानी नहीं होती लेकिन विस्थापित लोगों को हो सकती है, वे लड़ जायेंगे। मुझे यह आशा थी कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को तो अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे और न भी करेंगे तो कम से कम ऐसी बातें तो कहेंगे, ऐसी दलीलें तो देंगे जो मुझे ग्राह्य होगी और अगर ऐसा होता तो मैं अपने संशोधन को वापिस भी ले लेता। लेकिन माननीय मंत्री जी की ओर से तथा उनके सब सदस्यों की ओर से कोई ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे शतांश में भी मुझे कुछ संतोष हो सकता और मैं अपने संशोधन को वापिस ले लेता। उन लोगों ने उसी रवैये को अख्तियार किया है जो कि विदेशी लोग किया करते थे। जिस प्रकार से वे कहा करते थे उसी प्रकार से उन्होंने भी कहा कि अगर कोई उनको अधिकार दे दिये जायेंगे तो वे लड़ मरेंगे। मुझे इन बातों को सुनकर बड़ा रंज हुआ। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरा जो संशोधन है वह ऐसा नहीं है जो किसी भी प्रकार से उनके काम में बाधक हो और वह गजेंद्र सिंह जी के संशोधन से बिलकुल निराला है, जब आप उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रखते हैं तो आपको क्या विश्वास है कि उससे उनको फायदा ही होगा। आपको चाहिये कि सेलेक्शन द्वारा या इलेक्शन द्वारा उनका प्रतिनिधि अवश्य रखना चाहिये था। इस तरह से उनको कुछ संतोष हो जाता। आपके लिये भी यह दलील हो जाती कि उनके प्रतिनिधि द्वारा आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। शुरू में इसी प्रकार के नामीनेशन्स हुआ करते हैं, जब भारत की इंटेरियम गवर्नमेंट बनी थी तो वह भी नामी-

नेटेड थी लेकिन आप इस भावना से उनका कोई हित करने नहीं जा रहे हैं। क्या उसके द्वारा आप विस्थापितों को स्वराज्य देने जा रहे हैं? लेकिन ऐसी थोथी दलीलें देकर विस्थापितों का जो मुंह बन्द करना चाहते हैं वह अच्छा नहीं है। अगर उधर जो दलीलें दी गयी हैं उन्होंने मुझे कुछ अपील की होती तो मैं अवश्य अपने संशोधन को वापिस ले लेता। फिर भी इन तमाम बातों को रहते हुये भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा जो संशोधन है वह किसी प्रकार से भी तौर काम में बाधक नहीं है इसलिये वे इसको फिर से विचार करके मंजूर कर लें।

श्री हुकुम सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र जोरावर जी की जोरदार तकरीर को सुना कब्ल इसके कि मैं कुछ उनके बारे में कुछ अर्ज करूं मैं अपने मित्र तेज प्रताप जी का आभार मानता हूं क्योंकि उन्होंने यह कहा कि जो प्रस्तावित बोर्ड है वह उसी तरह से होना चाहिये। उसके बनाने के लिये इलेक्शन नहीं होना चाहिये। हमारे पक्ष के लोग तो सभी इसी राय के हैं लेकिन उस तरफ के लोगों ने उससे अपना विरोध जाहिर किया। मगर एक सज्जन ने मेरी राय से इत्तफाक किया तो मुझे बड़ी तकवियत पहुंची और मेरा साहस बढा क्योंकि डिफेंस का गवाह उतना चाहे न माना जाय लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन का एक भी गवाह कह जाय तो उससे डिफेंस को बहुत फायदा पहुंच जाता है। तो मेरे लिए यह लाजिमी आता है कि मैं भाई तेज प्रताप सिंह को धन्यवाद दूं। जहां तक श्री गजेन्द्र सिंह व नारायण दत्त तिवारी जी की दलीलों का ताल्लुक है वे तो करीब करीब वही दलीलें हैं जो श्री गजेंद्र सिंह के संशोधन के वक्त बहस में दी थीं और उनको सुन कर सदन ने अपना निर्णय दिया और उन तरमीमों को मंजूर नहीं किया। जहां तक हमारे उपाध्याय जी का ताल्लुक है उनका विवाद श्री शिव नारायण जी से था और जब पहला संशोधन पेश हुआ था उस वक्त वे उपस्थित नहीं थे। तो अब एक बड़ा सवाल श्री जोरावर वर्मा ने मुझसे पूछा कि यह विधेयक लाया ही क्यों गया? सवाल तो बड़े जोरों से पेश किया गया है लेकिन जवाब इसका बड़ा साधारण है। जो उद्देश्य और कारण हैं उसको पढ़ लीजिये तो मालूम हो जायगा कि किसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसके लिये ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं थी। विधेयक के आखिरी पन्ने पर यह साफ दिया हुआ है। हमारे मित्र ने फरमाया कि मंत्री जी ने यह कैसे कह दिया कि उनकी तरमीम और श्री गजेन्द्र सिंह की तरमीम एक सी है। लेकिन हमारे मित्र भूल गये कि उस वक्त मैंने कहा था कि करीब करीब लगभग एक सी है। ऐज फार एज पासिबुल...

श्री जोरावर वर्मा—अंग्रेजी के अल्फाज आपने नहीं कहे थे आपने करीब करीब कहा था।

श्री हुकुमसिंह—ठीक है, लेकिन उसका मतलब भी करीब करीब ही है। खैर शब्दावली चाहे मुख्तलिफ हो लेकिन मैंने यह बतलाया था कि वहाँ जो विस्थापित सदस्य हैं उनके परामर्श से उनके दो प्रतिनिधि नामजद कर दिये जायं लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे मित्र ने शायद हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसके समझने की कोशिश नहीं की। मान लीजिये कि कुछ लोग कहते हैं कि ए० किया जाय दूसरा ग्रूप कहता है कि बी० किया जाय, तीसरा ग्रूप कहता है कि सी० किया जाय, चौथा ग्रूप कहता है कि डी० किया जाय, इस तरह से ६, ७ लिस्ट हमारे पास पहुंच गयी, तो इस मौके पर उनके हित को देखते हुये हमें आखिर में इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। जहां तक इलेक्शन की बात है हमको देखना पड़ेगा कि इसमें बहुमत किसका है। जो चीज श्री गजेंद्र सिंह जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बतलाने की कोशिश की उसी को हमारे मित्र परदे की ओट से लाना चाहते हैं। इसको समझने में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। इस तरह की बातों को समझने के हम बहुत आदी हैं और बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। लिहाजा जहां तक इलेक्शन की बात है वह तो लाजिमी है और होगा ही। यह सीमिलरिली है, इसीलिये मैंने कहा था कि करीब करीब दोनों एक सी हैं। मैं समझता हूं कि अब मेरे मित्र समझ गये होंगे। दिक्कत जो हमारी है वह भी मैंने बतला दी। श्री जोरावर वर्मा ने यह भी फरमाया कि "जाके पांव न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई"। न हमारे मित्र जोरावर वर्मा जी डिस्प्लेस्ड हैं और न मैं हूं, फिर कैसे हमको और आपको दोनों को उनसे हमदर्दी हुई? यह जरूरी नहीं है कि जिसके पांव में बेवाई नहीं फटेगी वह दूसरे

[श्री हुकुम सिंह]

के दुख दर्द को नहीं समझ सकेगा। हमारी सरकार ने उनके दुख दर्द को समझा और वह उसमें शरीक हुई, और इसीलिये करोड़ों रुपया खर्च करके उसने उनको बसाया, उनको रोजगार दिया और उनके लिये घर बनवाया। उनको सहायता तथा सुविधायें देने के लिये ही इस सरकार ने इतना रुपया खर्च किया। इस सरकार को असली दर्द मालूम था, यह नहीं है कि जो रिफ्यूजी हैं वही महसूस कर सकते हैं, हमारा आप का भी फर्ज है कि उनकी तकलीफों को महसूस करें। इसलिये बोर्ड में जो आदमी रखें जायेंगे वह वही होंगे जिन्होंने उन में रहकर काम किया है जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन लोगों में रहकर उनके हित के बड़े-बड़े काम किये हैं और यह तो सब लोग जानते हैं कि किस हद तक सरकार इसमें कामयाब हुई है। हम यह दावा नहीं करते कि हमने १६ आने उनके मामलात को हल कर दिया है, वह इतना बड़ा कोलोसल मामला था और अब तो केवल टिन्ज आफ दि प्राबलम बाकी है और काफी हालत में उस पर काबू पा लिया गया है। मेरे मित्र को आश्चर्य हुआ कि उनके व्यू प्वाइन्ट को नहीं समझा गया। अगर उनका व्यू मानने के योग्य हो तो माना भी जा सकता है लेकिन मेरे मित्र ने बड़ा जोर तो इस पर दिया कि कानपुर डेवलपमेंट ऐक्ट और टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट और थानेदारों के चुनाव में जो कमेटियां होती हैं उनमें भी नामिनेशन होता है, जी हां, मैं भी कहता हूं कि होता है। उन्होंने यह भी फरमाया कि एम० एल० एज० नामजद होते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर सब के परामर्श से नामजदगी उनकी भी हो तो आप लड़ जायेंगे और उस हालत में ग्रुप बन्दी लाजमी है। इधर के लोगों के परामर्श की बात रखी जायगी तो उधर के नाराज होंगे और उधर के लोगों की रक्खी जायगी तो इधर के लोग नाराज होंगे। फिर वही नतीजा होगा। अगर देखा जाय तो कानपुर डेवलपमेंट ऐक्ट और टाउन एम्प्रूवमेंट ऐक्ट में भी ऐसा नहीं है वहां केवल गवर्नमेंट के मेम्बरों की नामजदगी की बात है कहीं परामर्श की बात नहीं है। मेरे पास वह अमेंडेड नहीं है लेकिन जैसा भी है मैं इसका विरोध करता हूं और मंजूर करने से मजबूर हूं। मैं समझता हूं कि यह सरकार विस्थापितों के हकूक की पूरी रक्षा करेगी और जिस तरह से उसने अब तक किया है वह उनकी जरूरतों और तकलीफों को हमेशा महसूस करेगी और जो कुछ भी उसको इस दिशा में करना पड़ेगा उसे करने में वह कभी कोताही नहीं करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय मैं पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वह भी विस्थापित नहीं है और मैं भी विस्थापित नहीं हूं तो हम कैसे समझें। सरकार ने हरिजनों को विस्थापितों की कैटेगरी में रखा है और मैं भी हरिजन हूं और उनको भी वही फैसिलिटी दी हैं हम दोनों ही उसी दुख के भुक्त भोगी हैं।

श्री हुकुम सिंह—यह तो वादविवाद है, पर्सनल एक्सपलेनेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ग) के पश्चात् एक नया भाग (घ) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय?

> "(घ) हस्तिनापुर नगर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार हस्तिनापुर नगर के विस्थापितों से परामर्श करने के पश्चात् करेगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

५—(१) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल उपधारा (२) के अधीन ऐसा होगा जो नियत किया जाय;

सदस्यों के पद के प्रतिबन्ध तथा शर्तें।

(२) अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुये अपने लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकता है किन्तु उसका त्याग-पत्र उसी दिनांक से सप्रभाव होगा जब उसकी स्वीकृति सरकारी गजट में विज्ञापित की जायं,

(३) प्रत्येक राज्य सरकार की इच्छा के अधीन पदासीन रहेगा;

(४) उपधारा (२) के अधीन त्याग पत्र के कारण होने वाली अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाली आकस्मिक रिक्ति धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार नवीन नियुक्त द्वारा पूर्ण की जायगी। आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नियुक्त सदस्य अपने पूर्वगामी के अवशिष्ट कार्यकाल तक नियुक्त रहेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "कार्यकाल" और शब्द "उपधारा" के बीच में शब्द "धारा ४ की" जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, जहां पर उपधारा २ लिखी हुई है उसका अर्थ है कि धारा ४ की उपधारा २ अगर यह बिना शब्द "धारा ४ की" रहता है तो उसका अर्थ अस्पष्ट रह जायगा। इसलिये आवश्यक है कि "धारा ४ की" शब्द जोड़ दिये जायं"

श्री हुकुम सिंह—स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "कार्यकाल" और शब्द "उपधारा" के बीच में शब्द "धारा ४ की" जोड़ दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह—उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही हटाये जा सकेंगे"।

जब केन्द्रीय सरकार उनकी नियुक्ति करेगी, उन सदस्यों की तो उसकी अनुमति लेकर ही उनको हटाया जाना चाहिये। राज्य सरकार उन सदस्यों को, या जिस किसी भी सदस्य को वह चाहेगी हटा देगी, यह उसकी इच्छा के अनुसार ही पदासीन रहेंगे, तो जरा यह बात समझ में आती नहीं है। उनकी इच्छा केन्द्रीय सरकार के अनुकूल तो आपने नियुक्ति की और जब हटाने की बात आई तो आप उनसे परामर्श भी नहीं करेंगे तो इसलिये उनके परामर्श के बाद ही वह हटाये जायं ऐसा मेरा निवेदन है।"

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि मेरे मित्र श्री तेज प्रताप जी को इस सरकार के प्रति अविश्वास क्यों है। (एक आवाज—बिल्कुल है) यह प्राविजन जो रखा गया है उससे केन्द्रीय सरकार तो सहमत है लेकिन मेरे मित्र सहमत नहीं हैं। यह वही बात हुई जैसी कि जोरावर वर्मा जी के पहले अमेंडमेंट में थी। लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार उनको हटायेगी तो ठीक तरीके पर, जब उचित समझेगी तभी हटायेगी, परामर्श करने में कुछ देर भी लगेगी और जैसी कि जोरावर जी की आशंका है कि अगर परामर्श करना पड़ा तो उसमें देर भी लग सकती है, तो उस देर को बचाया गया है और इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र इसको वापस ले लें नहीं तो मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ था। माननीय मंत्री जी को अगर यह विश्वास था, जैसा कि उन्होंने कहा तो मैं समझता हूं कि इसको कुछ थोड़ा सा बदल देना चाहिये। आपकी आज्ञा से मैं खंड ४ (१) का उपखंड (ख) पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो यह है कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद यह सरकार केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। लेकिन जहां उनको हटाये जाने का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जहां उनकी सलाह इसमें न ली जायगी। अगर ऐसी बात नहीं है और केन्द्रीय सरकार ने अपने सभी अधिकार दे दिये हैं तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह इन शब्दों को भी हटा दें और मैं समझता हूं कि वही उचित होगा। जब पहले यह कहा गया था कि राज्य सरकार नियुक्ति तभी कर सकेगी जब वह केन्द्रीय सरकार से सलाह ले लेगी तो जब उनको हटाये जाने का प्रश्न हो तो यह उसका पूरक है कि उनको हटाने में भी आप उनकी सलाह लें। यह मैं समझता हूं कि एक सीधी सादी बात है। वह इसको मानेंगे नहीं, खैर, मानना न मानना तो उनका काम है लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न है जो पहले से संबंधित है। अगर ऐसी बात नहीं है और सारे अधिकार आपको मिल गये हैं तो उनकी नियुक्ति में भी केन्द्र की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें बन्धन है कि राज्य सरकार बिना केन्द्रीय सरकार के परामर्श के उनकी नियुक्ति नहीं कर सकती है और जब उनकी नियुक्ति बिना उनके परामर्श के नहीं हो सकती है तो यह बिल्कुल उचित है कि उनको हटाया भी नहीं जा सकता है बिना उनकी सलाह के, परामर्श के। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी खामी है जिस पर कि माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो तर्क इस संशोधन को सपोर्ट करते हुए दिया है वह मेरी समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि जब कोई समिति में दो सदस्य केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, परामर्श से नियुक्त किये जायंगे तो उनको हटाने के लिये भी आवश्यक होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर लिया जाय। कैसे यह तर्क उपस्थित किया जा रहा है? यह तो परस्पर विरोध सा है। यह तो परस्पर विरोधी है। इसलिये कि जब हमें नियुक्त करना है तो वह आवश्यक समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर लें अगर दोनों व्यक्तियों का काम ऐसा हो कि उनको हटाना आवश्यक हो जावे तो उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया जाय, यह तर्क समझ में नहीं आता। अगर उनका काम खराब है, या वे अयोग्य हैं, अगर उन पर ऐसा आरोप लगाया गया है जो आरोप सिद्ध माना गया है तो फिर प्रदेशीय सरकार ही उन्हें हटायेगी। ऐसी सूरत में प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि उन्हें तत्काल अलग कर दे और इसके लिये अगर परामर्श करने लगी तो फिर तत्काल यह काम कैसे हो सकेगा उसमें तो २, ४ महीने का समय लग जायगा और तब तक वह मंडल में काम करते रहेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तर्क असंगत है और तेज प्रताप सिंह जी को चाहिये कि इसको वापस ले लें।

श्री केशभान राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने का कारण यह है कि इसमें एक टेक्नीकल दोष है। मैं संशोधन को पढ़े देता हूं :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही हटाये जा सकेंगे।" यहां पर चौथी धारा के देखने से पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सदस्य नियुक्त नहीं होता। केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेकर प्रान्तीय सरकार नियुक्त करती है। इसमें यह टेक्नीकल दोष है। इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैंने कहा था शायद आपने सुना नहीं "सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य"।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी मेरे दोस्त कुंवर तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत सीधा-सादा संशोधन है और मंत्री जी अगर गौर से देखेंगे तो यह तो ठीक बात है कि जब आप केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर नामजद कर रहे हैं, तो जब आप उनको निकालें तो मैं इतना संशोधन उचित समझता हूं कि उनसे यह पूंछ लें कि जो दो साहब के नाम आपने भेजे हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, या इनका काम ठीक नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सरकार के बड़े भारी हुक्क जा रहे हों, या तौहीन हो रही है या कोई चीज ऐसी हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता। एक साहब ने टेक्नीकल दोष निकालने की कोशिश की। यह तो स्पष्ट है जब आप केन्द्रीय सरकार से पूछ कर दो या तीन आदमियों के नाम इस बोर्ड में रख रहे हैं तो क्या वजह है कि उनको निकालने के लिये भी हम उनसे पूछ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे तो यही अच्छा था कि आप उनसे पूछें ही न। जब यह तय हुआ कि सेन्ट्रल से पूछ कर नामजद करेंगे तो जब निकालने का समय आवे तो आप रिपोर्ट कर दें कि यह ठीक नहीं है और इनको निकाल दिया जाय। और कांग्रेस सरकार वहां पर भी है, कोई ऐसा भय नहीं करना चाहिये कि ट्रावंकोर-कोचीन की तरह सोशलिस्ट बैठे हों। तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। अब तो हमारे पंडित जी और यहां से भी पंडित जी जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भय करें। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री तेजप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत सीधा सादा था और जैसा मंत्री जी ने कहा कि मुझे शायद अविश्वास है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यह जरूरी प्रतीत होता है कि उन्हें मेरे प्रति जरूर अविश्वास है।

श्री हुकुम सिंह--नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह--नहीं ऐसा तो प्रकट हो रहा है। मैंने इतना सीधा सादा संशोधन रखा है कि उसमें न तो कोई प्रिंसिपल इन्वोल्व्ड है न पौलिसी इन्वौल्वड है। बल्कि दो आदमियों को जिनको आप परामर्श से नियुक्त करेंगे उनके निकालने की बात है। उनके निकालने की बाबत यह बात है। वहां पर हम उनसे राय ले लें और उनकी राय के बाद उनको हटा दें। उसमें कौन सी दिक्कत है? जब उनसे परामर्श नियुक्ति के बारे में लेते हैं तो निकालने के लिए भी हम उनसे परामर्श ले लें कि यह आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है। हम इसको निकालना चाहते हैं। इस में कोई अविश्वास की भावना तो है नहीं। लेकिन मेरी तरफ से यह संशोधन है, इसलिए माननीय मंत्री जी को मेरी तरफ से जरूर अविश्वास है।

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं।

श्री तेज प्रताप सिंह--मुझे तो यही प्रतीत होता है और कोई आर्ग्यूमेंट तो इसमें है नहीं। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी अब इसको जरूर मान लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने देखा कि कुछ बुन्देलखंड का जोर ज्यादा है। तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया, जोरावर वर्मा जी ने समर्थन किया, अब रहे वीरेन्द्र शाह जी, उन्होंने भी अपना जोर लगाया। तो उरई या जालौन बड़ा जरखेज जिला है जहां कि माहिल ऐसे व्यक्ति पैदा हुए थे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन मेरी समझ में यह बात आयी नहीं। सीधा सादा मामला है। वह मामला यह है कि इस विधेयक में यह रखा गया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के परामर्श के बाद राज्य सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के दो प्रतिनिधियों को मुकर्रर करे। तो ऐसी हालत में एप्वाइंटिंग एथारिटी हुई स्टेट सरकार और यह दुनिया में नियम है कि जो एप्वाइंटिंग एथारिटी होती है उसी को बरखास्त करने का अख्तियार होता है। तो ऐसी सूरत में कौन सी आफत आ गई कि हमारे हाथों को आप इतना जकड़ देना चाहते हैं कि एप्वाइंटिंग एथारिटी होते हुए भी आप डिस्मिस नहीं कर सकते जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से परामर्श न कर लें? जिनके इंटरेस्ट की हमारे तेज प्रताप सिंह जी रक्षा करना चाहते हैं उनको विधेयक की यह मौजूदा शक्ल पसन्द है कि बिला उनके परामर्श के हम उनको बरखास्त कर दें क्योंकि उनको यह ठीक यकीन है कि सरकार जब बरखास्त करेगी तो मुनासिब वजूहात पर बरखास्त करेगी, बिला वजह बरखास्त नहीं करेगी। किसी खास वजह से अगर बरखास्त करना लाजिमी हो तो उसमें और कंडीशन्स या और शरायत लगा देने से जो काम जल्दी होना चाहिये उसमें तबालत होने का अन्देशा है। तो ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूंगा कि यह जो संशोधन है यह इतना उपयोगी नहीं साबित होगा। मुझे तो आशा है कि इसकी शायद जरूरत ही न पड़े लेकिन ऐक्टों में ऐसा प्राविजन रखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता बोर्ड का कोई सदस्य अपने कर्तव्य को ठीक तौर से पालन नहीं करता है और सरकार यह समझती है कि जिनके हित के लिए बोर्ड यह कायम किया गया, उनका हित इसमें नहीं बल्कि अहित कर रहा है कोई आदमी, तो फौरन से पेश्तर अगर वह अलग कर दिया जाय तो यह जनहित की बात होगी। ऐसी कानून में इस तरह की रुकावट डालने से नुकसान होने की गुंजायश है और फायदा होने की कोई बात नहीं है। यह मैं यकीन दिलाता हूं कि बिला वजह कोई शख्स बरखास्त नहीं किया जायगा ख्वाह वह केन्द्रीय सरकार का नुमाइन्दा हो या स्टेट की सरकार का नुमाइन्दा हो। जरूरत होने पर और जैसा मैंने कहा अगर कोई खास बात हुई तभी ऐसे कानूनों का प्रयोग किया जाता है। रोजमर्रा इनका प्रयोग नहीं होता। लेकिन एहतियातन कानून में ऐसा प्राविजन रहता है। अगर यह हम निकाल दें या इसको तमाम बन्दिशों से बांध दें जिससे कि सरकार के हाथ जकड़ जायं तो जरूरत होने पर मैं फिर एक दूसरा कानून लाऊं, फिर अमेंडमेंट लाऊं। वैसे ही शिकायत की जाती है कि बार बार अमेंडमेंट लाया जाता है। तो ऐसी सूरत में प्रार्थना करूंगा कि हमारे मित्र मेरे तजुर्बे से कुछ फायदा उठावें और मेरी सलाह को मान कर सलाह नहीं दरख्वास्त को मान लें, मैं उनसे दरख्वास्त ही कहूंगा और अगर न मानेंगे तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वजह माकूल है।

श्री तेजप्रताप सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जरा यह कहना था कि अभी तक तो मेरा यह ख्याल था कि मेरे ही ऊपर अविश्वास है पर अब तो माननीय मंत्री जी को पूरे बुन्देलखंड पर अविश्वास है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसी सूरत में मैं इसे वापस कैसे ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही हटाये जा सकेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१९

विपक्ष में—६३।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) की तृतीय पंक्ति में शब्द "नवीन" के पश्चात् "नियुक्त" के स्थान पर "नियुक्ति" रख दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रिंटिंग की मिस्टेक है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन शाब्दिक है और इससे भाषा ठीक हो जाती है। लिहाजा मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) की तृतीय पंक्ति में शब्द "नवीन" के पश्चात् "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "नियुक्ति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) की पंक्ति ४ में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "पदासीन" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, उस वाक्य में जिसमें यह शब्द आया है उसमें शब्द "नियुक्त" की पुनरावृत्ति हुई है जिससे कि भाषा अच्छी नहीं है। दूसरे शब्द "नियुक्त" का प्रयोग अच्छा नहीं है। प्रयोग को ठीक करने के लिये मेरा प्रस्ताव है कि शब्द "नियुक्त निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "पदासीन" रख दिया जाय जिससे भाषा ठीक हो जायगी।

श्री हुकुम सिंह—मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) की पंक्ति ४ में शब्द "नियुक्त" के स्थान पर शब्द "पदासीन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिये मंडल समय-समय पर एक या एक से अधिक समितियां, जिनमें वे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकता है। **मंडल की समितियां**

(२) मंडल—

(क) ऐसी समिति के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी से सम्बद्ध विषय को जांच और रिपोर्ट करने के लिये अभिदिष्ट कर सकता है;

(ख) विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा एवं इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अधीन, ऐसी समिति को मंडल के ऐसे अधिकार और कर्तव्यों को प्रतिनिर्धारित (delegate) कर सकता है, जिनका सम्बन्ध ऐसे विषय से हो जिसके लिये उक्त समिति नियुक्त की गयी हो।

(३) मंडल किसी भी समय किसी भी ऐसी समिति के संगठन को प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है या उसे विघटित (dissolve) कर सकता है।

(४) प्रत्येक समिति मंडल से मिले निदेशों का पालन करेगी तथा प्रत्येक ऐसी समिति का अन्तिम निर्णय जब तक कोई नियम प्रतिकूल न हो, मंडल के समक्ष पुष्टीकरण (Confirmation) निमित्त प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में उपस्थित करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के आगे निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त नियुक्त होने वाले व्यक्ति हस्तिनापुर नगर के ही निवासी हों।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक के संशोधनों और उन संशोधनों पर हुए भाषणों को सुनकर चाहे वे इस पक्ष में से हुए हों या उस पक्ष से, उनके तर्क वितर्कों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मंत्री जी जायज से जायज भी किसी संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन कुछ उनकी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि यदि ऐसा संशोधन जिसमें किसी पार्टी या उनकी पार्टी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कोई बात न की जाती हो तो शायद वह उसे मान लें। इसलिये बहुत सोच समझ कर ही मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। मेरा संशोधन उनकी पार्टी के बुनियादी उसूलों से संघर्ष नहीं करता, इसमें किसी साम्प्रदायिक बू की बास है, न अंग्रजों को निमंत्रण देता है, न अपने देश से किसी पार्टी को देश निकाला ही देता है। इसलिये मेरा संशोधन बहुत ही सूक्ष्म और उनके शब्दों में सीधा और सादा है। अगर मेरा संशोधन मान लें तो खंड ६ का उपखंड (१) ऐसा बन जायगा। "इन अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल समय समय पर एक या एक से अधिक समितियां, जिनमें वे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकता है; किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त नियुक्त होने वाले व्यक्ति हस्तिनापुर नगर के ही निवासी हों।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल को यह अधिकार है कि मंडल अपने अन्तर्गत काम करने वाली समितियों का निर्माण करे चाहे वह एक हो या एक से अधिक। मंडल को अख्तियार है कि मंडल कुछ पावर्स समितियों को डेलीगेट करे और समिति उस पावर के अनुसार अपना कार्य सम्पादित करे। तो अब इस विधेयक के खंड ६ के उपखंड १ में जैसा रक्खा गया है उससे मुझे अन्देशा है कि मंडल के मेम्बर बाहर के भी किसी व्यक्ति को उस समिति का सदस्य घोषित कर सकें। तो कानूनी दांव पेंच के पचड़ों से

बचने के लिये मैंने इसमें यह जोड़ देना मुनासिब समझा कि यह शर्त लगा दी जाय कि मंडल को जो अधिकार समिति बनाने का है उसके अन्तर्गत नगर के अन्दर रहने वाले लोगों में से ही समिति बनाई जाय। यदि ऐसा नहीं है तो राजनैतिक दांव-पेंच के खिलाड़ी इससे लाभ उठा सकते हैं और बाहर के लोगों को इस समिति का सदस्य नामजद कर सकते हैं। जैसे मेरठ का रहने वाला कोई व्यक्ति है चाहे वह राजनैतिक या सामाजिक कायकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें मंडल का कोई सदस्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टरी दिलचस्पी रखता है तो वह उसे इस नियम के अनुसार समिति का सदस्य घोषित करवा सकता है। इसलिये मैं सूक्ष्म में यह चाहता हूं कि मंत्री जी इसे मान लें कि कानूनी पचड़ों के आधार पर बहुत से ग़लत काम सही हो सकें और सही काम ग़लत इससे बचने के लिये यह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तरमीम इस वक्त पेश हुई है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि इसके मंजूर होने पर बोर्ड के हाथ बंध जायेंगे और जब वह बोर्ड कमेटी मुकर्रर करेगा तो हस्तिनापुर के लोगों को ही उसे करना होगा। अक्सर ऐसा भी मौका आयेगा कि वहां प्लानिंग के अनुसार मकान बनाने और सड़क बनाने के लिये अच्छा प्लान तैयार करने की जरूरत पड़े और हम एक कमेटी उसके लिये नियुक्त कर दें और वह कमेटी उसे अपने देख रेख में करे तो उसमें हमें जरूरत होगी एक इंजीनियर की जो इस काम की अच्छी जानकारी रखता हो। उसकी नियुक्ति भी फिर उसी कमेटी में करने की आवश्यकता होगी, ताकि उसकी देखरेख में काम हो सके। अगर हस्तिनापुर में कोई सही आदमी न मिला या उस योग्यता का आदमी न मिला तो हम कमेटी में कोई आदमी न रख सकेंगे। हां, इस तरमीम से वहां के रहने वाले लोगों के साथ हमदर्दी जरूर जाहिर होती है लेकिन काम में रुकावट पड़ने का अंदेशा है। इसमें यह रक्खा गया है जो उपयुक्त होगा वही रक्खा जायगा। अगर वहां मिलता है तो वहीं का आदमी रक्खा जायगा। हमें तो काम करना है, यह रहे कि वह रहे इससे मतलब नहीं है। अगर मौजूं आदमी हस्तिनापुर में ही मिलता है तो कोई वजह नहीं कि हम न रक्खें लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई वजह नहीं कि बाहर का आदमी न रक्खें। इसलिये बंदिश करने से सवालात का अंदेशा है, सहूलियत न होगी। इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं।

*__राजा वीरेंद्रशाह__—जो संशोधन श्रीमन्, हमारे मित्र ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि यदि इसमें जरा संशोधन कर दिया जाय तो अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट टेक्निकल एडवाइस के लिये जरूरत हो तो १ या २ आदमी बाहर से बुला सकती है, लेकिन बहुमत हमारे हस्तिनापुर के रहने वालों का ही उस कमेटी में होना चाहिये। ऐसी दिक्कत अगर माननीय मंत्री को हो तो वह दूर कर दी जा सकती है। यह सरकार इस बात को स्वीकार करती है हम लोगों को यह भय होता है कि कब कभी बड़ी-बड़ी स्कीम निकलती है तो ज्यादातर राजनैतिक पार्टी के आदमी या और जो नेतागण लोग होते हैं वह अक्सर आकर मंत्री जी को परेशान करते हैं। वह यह कोशिश करते हैं कि वही लोग उस बोर्ड में आवें और वहां पर विवाद चले। ठीक उसी समय झगड़ा किया जाता है। जैसा कि यह हस्तिनापुर का मामला मौजूद है। तो इसमें भी हमको भय है। १, २ आदमी वहां का न लिया जाय क्योंकि वह नयी आबादी है और वे नये आदमी हैं और उनकी बहुत कम पहुंच होगी और माननीय मंत्री जी के पास भी कम पहुंच पायेंगे और उनको जानता भी कौन है। इसलिये यह होगा कि बहुत से दूसरे सरकारी आदमी काम करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत न हो, इसलिये मैंने यह संशोधन इसमें दिया है और अगर यह मंजूर नहीं होता है तो हस्तिनापुर के लोगों की हानि होगी। इसलिये जो इंजीनियर वगैरह हैं उनको सरकार बाहर से बुला ले और उसमें एक तिहाई बाहर से ले ले और दो तिहाई वहां के उसमें हों। यह मेरा इसमें संशोधन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के विचार अपने संशोधन के संबंध में सुने और वीरेंद्रशाह जी के विचार भी उनके संशोधन के संबंध में सुने। यदि माननीय मंत्री जी तैयार हों कि वह उस संशोधन के बाद मेरे संशोधन को स्वीकार करें, तो मुझे उस संशोधन के मानने में कोई आनाकानी नहीं होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संगठन का नाम समिति है जो कि मंडल बनायेगी। समिति का काम दूसरे पेज कर दिया हुआ है जिसमें यह है कि--

(क) ऐसी समिति के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों से किसी से सम्बद्ध विषय की जांच और रिपोर्ट करने के ये अभिदिष्ट कर सकता है।

(ख) विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा एवं इस संबंध में बने हुये नियमों के अधीन ऐसी समिति को मंडल के ऐसे अधिकार और कर्त्तव्यों को प्रति निर्धारित कर सकता है जिसका संबंध ऐसे विषय से हो जिसके लिये उक्त समिति नियुक्त की गयी हो।

इसके अन्दर प्लानिंग करना नहीं है? समिति को माननीय मंत्री प्लानिंग का काम देने की बात कहते हैं। तो इस संबंध में प्लानिंग के लिये, निर्माण के लिये और डेवलपमेंट के लिये ५ आदमी नामजद राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के वहां पर मौजूद होंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि इस समिति को प्लानिंग का नाम क्यों दिया जा रहा है। इसमें भी है कि उसका काम जांच करना, देखभाल करना होगा। जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में है कि वहां के चैयरमैनों को सब कमेटी बनाने का अधिकार होता है तो उसी आधार पर इस समिति को भी यह अधिकार होना चाहिये। अगर इस संशोधन के लिये मंत्री जी राजी हों तो मैं वीरेंद्रशाह जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री हुकुम सिंह--मैं उस संशोधन को भी स्वीकार नहीं करता हूं, उससे और पेंचिदगी बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ के आगे निम्नलिखित वाक्य बढा दिया जाय--

"किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त नियुक्त होने वाले व्यक्ति हस्तिनापुर नगर के ही निवासी हों"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "मंडल के" के स्थान पर शब्द "अपने" तथा शब्द "अधिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकारों" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, इसमें प्रतिधानित करने वाला मंडल है इसलिये अगर "मंडल के" शब्द के रक्खे जाते हैं तो यह इस प्रकार का हो जायगा, "मंडल" "मंडल के" जो अच्छा नहीं होगा। इसलिये "मंडल के" के स्थान पर सर्वनाम "अपने" रख देने से काम चल सकता है इसलिये पहला मेरा संशोधन "अपने" रखने के लिये है।

मेरा दूसरा संशोधन है। शब्द अधिकार के आगे जो "कर्त्तव्यों" शब्द आया है उसको बहुवचन में प्रयोग किया गया है लेकिन इसको एक वचन में प्रयोग किया गया है। वे शब्द इस प्रकार है "ऐसे अधिकार और कर्त्तव्यों"। यह अच्छे नहीं मालूम होते, इसलिये अगर कर्त्तव्य शब्द में बहुवचन रक्खा गया है तो "अधिकार" भी बहुवचन में होना चाहिये।

मैं समझता हूं कि दोनों संशोधन माननीय मंत्री जी को स्वीकार होंगे।

श्री हुकुमसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "मंडल के" के स्थान पर शब्द "अपने" तथा शब्द "अधिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकारों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति के शब्द 'को' के बाद शब्द "सर्वसम्मत" रख दिया जाय और पंक्ति २ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव पर राज्य सरकार की आज्ञा आवश्यक है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो वह इस प्रकार से हो जायगा—

"मंडल किसी भी समय किसी भी ऐसी समिति के संगठन को सर्वसम्मति से प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है या उसे विघटित (डिजाल्व) कर सकता है। किन्तु बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव पर राज्य सरकार की आज्ञा आवश्यक है"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे डर लग रहा है और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी हठवादिता के कारण उसको भी अस्वीकार कर देंगे लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इससे यह साबित हो जायगा कि हठवादिता उनमें है या हम में है। अगर हम में थोड़ा हठ न हो तो सदन यह कहेगा कि यह अपोजीशन अयोग्य है, लेकिन उसके साथ ही उनको योग्यता और अयोग्यता इससे साबित हो जायगी। इस संशोधन से यह स्पष्ट हो जायगा कि हठवादिता हम में है या उनमें, इस प्रस्ताव से मेरा मतलब यह है कि यदि सर्वसम्मति से किसी समिति को डिजाल्व करने का प्रस्ताव मंडल का आये और वह पास हो जाय तो मंडल उसको कर सकता है लेकिन अगर उनमें से एक भी मेम्बर ऐसा हो जो उस को स्वीकार न करे या केवल बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास हो यानी सर्वसम्मति से उसके डिजाल्व करने का प्रस्ताव पास न हो तो उस पर राज्य सरकार की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी। फिर पांच व्यक्ति तो कम से कम मंडल में इस प्रकार के होंगे जो एक तरह से सरकार के ही होंगे, ओहदेदार होंगे, बड़े-बड़े लोग इंजीनियर्स वगैरा होंगे जो सरकार के खैरख्वाह होंगे। यदि ऐसा मनोमालिन्य हो जाता है कि दो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो वह मामला सरकार के पास भेजा जायगा। सरकार उसमें जो चाहे वह करे। अगर वह उसको विघटित करना चाहती है तो कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इसमें कोई राजनीति के उलटफेर की बात नहीं है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो यह प्रस्ताव बिलकुल गलत है। सर्वसम्मति प्रस्ताव में "सर्वसम्मति" नाउन है, अगर यह ऐडजेक्टिव की शक्ल में होता तो "सर्वसम्मत" होना चाहिये था। व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है कि ऐसी सूरत में इस वजह से भी मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं। दूसरा यह कि जनतंत्र का एक सिद्धांत यह भी है कि जब कोई मसला किसी इंस्टीट्यूशन के सामने हो तो उसे बहुमत से तय किया जाय। इस असेम्बली में बैठकर ही हम रोजमर्रा बहुमत से सारी बातें तय करते हैं। तो जब ऐसा जनतंत्र का सिद्धांत है जिसकी दोहाई आपकी तरफ से दी गई है, तो उसका उल्लंघन करने के लिये मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता हूं? जो चीज बहुमत से पास हो वही ठीक है। क्या वजह है कि सब जगह तो बहुमत की परिपाटी चलायी जाय लेकिन इस बोर्ड के लिये बहुमत की बात न चला कर सर्वसम्मति की बात चलायी जाय? इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे ग्रेमिटकली भी यह गलत है।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि माननीय उद्योग मंत्री जी पाणिनी के व्याकरण शास्त्र के जानकार हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इसी सब्जेक्ट पर चैलेंज करता हूं और अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि आप निर्णय दें कि सर्वसम्मत प्रस्ताव में सर्वसम्मत विशेषण है या संज्ञा है ? मैं संशोधन पेश करने वाला हूं, मैं प्रस्तावक हूं और इसका अर्थ लगा रहे हैं पाणिनी शास्त्र के महान नवीन काव्यकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने काव्यकार कहा, लेकिन मुझे भाष्यकार कहना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यहां "सर्वसम्मत" प्रस्ताव है इसलिये विशेषण है, अगर "सर्व सम्मति" होता तब माननीय मंत्री जी उसे संज्ञा कह सकते थे।

श्री अध्यक्ष—"सर्वसम्मत" है या "सर्वसम्मति" है ?

श्री रामेश्वरलाल—"सर्वसम्मत" है।

श्री अध्यक्ष—इसमें छपा तो "सर्वसम्मति" है।

श्री रामेश्वरलाल—तो अगर कहीं 'अ' 'ई' की गलती रह गयी हो तो उसे सुधार लेना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आशा नहीं है कि माननीय उद्योग मंत्री जी मेरे इस जायज संशोधन को भी स्वीकार करेंगे। पहले ही मैंने व्यक्त कर दिया था। लेकिन अभी जो तर्क उपस्थित किया गया और जनतंत्र के हिमायती साबित करने की कोशिश की गयी तो मेरा भी रोना यही है कि अभी तक जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार कोई काम भी नहीं किया गया है। यह जो अमेंडिंग बिल रोज पेश होते हैं उसका यह भी एक नमूना है। हम यह चाहते हैं कि आपके द्वारा नियुक्त ५ व्यक्ति जो मंडल में जायं वे आपस में लड़ें नहीं। वे आपके ही सिपहसालार होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके ही सिपहसालार आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, मारपीट न करें, थुक्कम फजीहती न करें, जिनके जिम्मे नगर विकास का काम करने के लिये दिया गया है। हम चाहते है कि जो आपके लेफ्टिनेंट हैं वे बने रहें और अगर बहुमत से कोई चीज तय न हो सके तो समिति को अपदस्थ कर दिया जाय और इसकी चांज पड़ताल सरकार के द्वारा हो। हम भी मंत्री जी के हाथ में ताकत देना चाहते हैं। हम भी यहां केंद्रीयकरण की नीति का समर्थन कर रहे हैं कि लीजिये आप जितनी ताकत चाहते हैं और हम तो चाहते हैं कि वे ही उस पर हावी रहें।

श्री हुकुमसिंह—मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति के शब्द "को" के बाद शब्द "सर्वसम्मत" रख दिया जाय और पंक्ति २ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव पर राज्य सरकार की आज्ञा आवश्यक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "निदेशों" के स्थान पर शब्द "निर्देशों" रख दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "confirmation" और "निमित्त" के बीच में शब्द "के" जोड़ दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) की पहली पंक्ति में शब्द "निदेशों" के स्थान पर शब्द "निर्देशों" रख दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "confirmation" और "निमित्त" के बीच में शब्द "के" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—मंडल अथवा इसकी किसी भी समिति का कोई भी अकार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों का कोई स्थान रिक्त था अथवा उसके संगठन में दोष था।

सदस्यों की रिक्तियां अथवा संगठन में दोषों के कारण मंडल अथवा समिति के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अवैध न होना मंडल की बैठकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—(१) मंडल ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी बैठकों में अपने काम को सम्पन्न करने के लिये प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं,

मंडल की बैठकों में कार्यवाही।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जब भी उचित समझे विशेष बैठक आमंत्रित कर सकता है और कम से कम दो सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर तो अवश्य ही ऐसा करेगा।

(२) मंडल की बैठक में कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये सदस्यों की आवश्यकता इयत्ता (quorum) तीन होगी।

(३) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना हुआ कोई सदस्य मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(४) मंडल की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत (Casting vote) होगा।

(५) प्रत्येक बैठक का विवरण (उपस्थित सदस्यों की नामावली सहित) एक पुस्तिका में जो इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध होगी अभिलिखित किया जायगा तथा अनुगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जायगा और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निर्माण के लिये उपलब्ध होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "आवश्यकता इयत्ता" के स्थान पर शब्द "आवश्यक इयत्ता" रख दिये जायं।

यह भाषा को शुद्ध करने के लिये है, स्वीकार किया जाय।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह शब्द "कोरम" के लिये प्रयोग किया जा रहा है। कोरम के लिये अभी तक "पूरक संख्या" शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिये वही शब्द प्रयोग किये जायं तो ठीक होगा, अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करना ठीक न होगा। "पूरक संख्या" को समझना भी आसान है और उसी का प्रयोग अब तक होता रहा है। यह जो आवश्यक इयत्ता है वह बहुत कठिन शब्द है, इसलिये पूरक संख्या ही ठीक है।

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये तो मैं श्री रामेश्वरलाल जी की मदद चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामेश्वरलाल से) आप कुछ कहना चाहते हैं "कोरम" के लिये "पूरक संख्या" रखना उचित होगा या संस्कृत का शब्द "आवश्यक इयत्ता"।

श्री रामेश्वरलाल—"कोरम" ही रख लिया जाय।

श्री हुकुम सिंह—"आवश्यक इयत्ता" रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "आवश्यकता इयन्ता" के स्थान पर शब्द "आवश्यक इयत्ता" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) के प्रारम्भिक शब्द "अध्यक्ष" के बाद के शब्द "अथवा उसकी" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय। इस पर मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है। माननीय मंत्री जी शायद इसे तो अवश्य ही मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह—जो शक्ल मौजूद है वह ठीक मालूम होती है और तरमीम की जरूरत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी शायद इसे ठीक से पढ़ें तो उसमें है "अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में" और मेरे संशोधन से होगा "अध्यक्ष की अनुपस्थित में" इन दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह खाली शाब्दिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष करेगा और अगर अध्यक्ष न हो और उसकी अनुपस्थिति हो, तो उसकी अनुपस्थिति में जो सदस्यों द्वारा चुना हुआ सदस्य सभाध्यक्ष हो, वह करे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस तरह से तो "अध्यक्ष" के बाद भी 'कामा' होना चाहिये और "सदस्य" के बाद भी कामा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह जैसा है उसमें दोनों परिस्थितियों के लिये नियम चाहते हैं कि अध्यक्ष उपस्थित हो तो वह अध्यक्षता करे और वह न हो तब जो उनके द्वारा चुना हुआ सदस्य हो वह अध्यक्षता करे, लेकिन आपके संशोधन के बाद अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकता अगर वह मौजूद हो तब भी। मैं अंग्रेजी में जो इसकी भाषा है उसको पढ़कर सुनाये देता हूं, क्योंकि यह कोई कंट्रोवर्शल बात नहीं है —

"The chairman or in his absence, any member chosen by the members present from among themselves, shall preside at a meeting of the Board."

यानी अध्यक्ष हो, तो वह सभापतित्व करेगा और अगर अध्यक्ष न मौजूद हो, तो वह सदस्य करेगा जो चुना हुआ हो।

श्री रामेश्वरलाल—मैं अब अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द "व्यक्ति का" और शब्द "निर्णायक" के बीच के शब्द "द्वितीय अथवा" निकाल दिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ८ का उपखंड (४) इस प्रकार है—

"मंडल की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निरणीत होंगे, और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत (Casting vote) होगा ।

अगर अंतिम पंक्ति में 'द्वितीय अथवा' यह शब्द निकाल दिये जायं तो फिर यह रूप होगा—

"मंडल की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे, और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत (Casting vote) होगा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक में माननीय मंत्री महोदय ने इस उपधारा को रखा है अगर उसको मान लिया जाता है तो इसके माने यह होते हैं कि अध्यक्ष को दो मत देने का अधिकार होगा और मैं नहीं समझता कि यह अधिकार अध्यक्ष को दो मत देने का दिया जाय । सिर्फ उसे अपने कास्टिंग वोट देने का हक होना चाहिये । निर्णायक मत वह अपना दे सकता है । लेकिन एक व्यक्ति को दो मत देने का अधिकार मुझे आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से करेगी, तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी बात नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं उसमें सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे, तो उसमें अध्यक्ष को दो मत देने का अधिकार क्यों है ? यह मैं नहीं समझ पाया हूं और इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इसे मानेंगे और यदि नहीं मानेंगे तो उसके उचित होने की दलील देंगे ।

श्री हुकुमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी खंड ८ के उपखंड ३ में रखा गया है कि अगर अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो जो मेम्बर हैं उनमें से कोई भी अध्यक्ष चुना जा सकता है उन मेम्बरों के द्वारा । तो जब उन मेम्बर्स में से ही अध्यक्ष चुना जा सकता है तो मेम्बरी की हैसियत से उसे एक वोट देने का अधिकार होगा और कास्टिंग वोट चेयरमैन का रखा जाता है । अगर हम दो तीन लफ्ज निकाल दें तो केवल कास्टिंग वोट देने का उन्हें अधिकार होगा और मेम्बर होने की हैसियत से वोट देने का उनका अधिकार जाता रहेगा । तो उस सदस्य का जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष चुना जाता है क्या कसूर है ? उसको उसकी मेम्बरी का जो वोट है वह मिलना ही चाहिये और चेयरमैन का कास्टिंग वोट मिलना चाहिये । लिहाजा इस विचार को रख कर यह दफा रखी गई है और इस संशोधन से उनके हक की हकतलफी होगी । ऐसी सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी खंड ८ के उपखंड (४) को समझे ही नहीं हैं । अगर वे इसको पढ़ने की कृपा करेंगे...

श्री हुकुमसिंह—मैं एक ही दफा में समझ जाता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप इसको दुबारा देख लें तो बड़ी कृपा होगी और तभी आप इस संशोधन को समझ पायेंगे । इसमें लिखा हुआ है कि—"मंडल की

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत होगा।"

तो अगर इसको इसी तरह से मान लिया जाय तो अध्यक्ष को भी दो वोट देने का अधिकार होगा और उसको मैं समझ नहीं पाया हूं। अध्यक्ष के जब दो वोट हो जायंगे तो क्या विडंबना हो जायगी यह मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिये कि मंडल में ५ सदस्य हैं जिनमें दो व्यक्ति राज्य सरकार के हैं और चेयरमैन केन्द्र का है। अगर उसमें एक राय के तीन सदस्य हुये और दूसरी राय के दो तो बहुमत स्पष्ट होगा। लेकिन अगर वह अध्यक्ष अपना वोट देता है, तो इस प्रकार वह अल्पमत को ही बहुमत बना देगा और इसलिये कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो बड़ी भ्रामक हो सकती है। फिर जैसी कि माननीय मंत्री जी ने दलील दी, यह कहना कि अध्यक्ष परमानेंट है अगर उनकी दलील मान ली जाय कि अध्यक्ष को नहीं बल्कि कार्यवाहक अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार होगा तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कहां होता है....

श्री अध्यक्ष--इसके मानी यह हैं कि अध्यक्ष को दो वोट देने का अधिकार न रहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष को दो वोट....

श्री अध्यक्ष--आप यह कह सकते हैं कि एक के बारे में यह दो वोट का अधिकार दिया जाय और दूसरे के बारे में न दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यह गजेन्द्रसिंह जी का संशोधन बिल्कुल शाब्दिक है, लेकिन बड़े महत्व का है। इसलिये मैं फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसको मान कर श्री जयराम वर्मा तथा बसन्तलाल जी की बातों का भी समर्थन वे करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जैसा कि मेरे मित्र ने कहा केवल शाब्दिक है, ऐसा नहीं है। यह तात्विक है। यह तो जनतांत्रिक प्रणाली का एक तरीका है और सभी जगह यही होता है कि जो अध्यक्ष होता है उसके दो वोट हुआ करते हैं। एक तो पहली बार वह सदस्य की हैसियत से वोट देता है और जब मत बराबर हो जाते हैं तो उसका अधिकार होता है कि वह अपना निर्णायक वोट दे और यही प्रणाली इसमें रक्खी गयी है। यही म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया में भी होता है। जो प्रेसीडेंट होता है उसको सदस्य की हैसियत से वोट देने का अधिकार होता है और जब वोट बराबर हो जाते हैं तो फिर उसको कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। इस तरह से उसके दो वोट्स होते हैं और चाहे अध्यक्ष हो या उसकी अनुपस्थिति में उसकी जगह के लिये चुना हुआ कोई मेम्बर हो, उसको हर जगह दो वोट देने का अधिकार होता है। तो यही तरीका ठीक है। जो यह संशोधन रक्खा गया है, यह अनुचित है और इसको नामंजूर किया जाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री गजेन्द्रसिंह के पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण--ज़रा मंत्री जी की सफ़ाई भी हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--तीन दफा मंत्री जी को बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं यह चाहता था कि जो उन्होंने कहा उससे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी की जो मंशा है। वह हम लोग भी समझ लें।

श्री अध्यक्ष—वह आखिर में कह देंगे।

श्री राजनारायण—मैं यह चाहता था कि अगर इस बात की सफाई उनकी तरफ से हो जाती, तो हम लोग न बोलते।

श्री अध्यक्ष—अभी श्री गजेन्द्रसिंह जी को बोलना है।

श्री गजेन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयराम वर्मा जी ने जो इंटरप्रिटेशन किया, उससे मैं प्रभावित हुआ हूं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो दो बार के अधिकार देने की बात कही थी वह मेरी समझ में नहीं आयी थी, इसलिये मैं उस पोजीशन में नहीं था कि उनकी बात को मान सकता।

श्री हुकुमसिंह—मैंने जो बात शुरू में कही थी वही आप कहें तो फिर दोहरा दूं कि हर जगह चेयरमैन को दो वोट देने का अधिकार होता है। मैंने शुरू में कहा था, आपने सुना नहीं। इसी बात को हमने इसमें भी रक्खा है और जो संशोधन है उससे यह अधिकार मारा जाता है। ऐसी सूरत में मैं इस संशोधन को कैसे स्वीकार कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप वापस ले रहे या नहीं? आप प्रभावित हो गये हैं या नहीं?

(कुछ उत्तर न मिलने पर)

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में शब्द 'व्यक्ति का' और शब्द 'निर्णायक' के बीच शब्द 'द्वितीय अथवा' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:—

'खंड ८ के उपखंड ५ की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'निर्माण' के स्थान पर शब्द 'निरीक्षण' तथा शब्द 'के लिये' और 'उपलब्ध' के बीच में शब्द 'निःशुल्क' रख दिया जाय।

यह जो "निर्माण छपा" है उससे यहां अर्थ ठीक लगता नहीं है। 'इसलिये निर्माण' के स्थान पर 'निरीक्षण' रख दिया जाय, तो ठीक होगा और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह—स्वीकार है।

श्री रामेश्वरलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। यह जो संशोधन है उसके अनुसार "निर्माण" की जगह पर माननीय संशोधन प्रस्तुतकर्ता "निरीक्षण" चाहते हैं और "के लिए" और "उपलब्ध" के बीच में "निःशुल्क" चाहते हैं। मैं समझता हूं कि निर्माण अपने स्थान पर उपयुक्त शब्द है और यहां पर निःशुल्क की आवश्यकता नहीं है। क्यों, इसके लिये मैं उत्तर प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय संशोधनकर्ता और

[श्री रामेश्वरलाल]

मंत्री महोदय, दोनों आदमियों ने इस संशोधन के अन्तिम वाक्य को समझने की चेष्टा नहीं की, ऐसा मेरा विश्वास है और यदि वह समझते तो फिर इस संशोधन को मानने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संशोधन यह कहता है कि "और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निर्माण के लिए उपलब्ध होगा", इसको अगर इस तरह से मंत्री जी पढ़ लें तो समझ में आ जायगा "और सभी सदस्यों द्वारा निर्माण के लिए उपयुक्त समय में उपलब्ध होगा।" माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी भावना शायद मैं ऐसा समझता हूं गलत समझी गई। इसका मतलब साफ है। सदस्यों को जहां तक उस पुस्तिका का सवाल है, जो कमेटी तैयार करेगी, मुफ्त वितरित करने की बात है, इस विधेयक में है कि हस्ताक्षर के बाद प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जायगा। तो यह तो अनिवार्यतः वितरित होगा। यह तो मान लिया गया है, लेकिन इसके बाद यह वाक्य आया है कि "और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निर्माण के लिये उपलब्ध होगा।" इसका तात्पर्य यह है कि जनता को सदस्यों द्वारा उस नगर की जनता को यदि वह इच्छा करे तो उसे उसकी प्रतिलिपि सदस्यों द्वारा उपलब्ध हो जायगी। ऐसा इसका अर्थ है और यदि ऐसा अर्थ नहीं होता तो फिर तो यही काफी था कि प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जायगा। लेकिन यहां साफ है कि सदस्यों द्वारा जनता को प्राप्त होगा, उपयुक्त समय में। यह मतलब है इस वाक्य का। तो मैं समझता हूं कि निर्माण और निःशुल्क का कोई अर्थ नहीं है इसमें। उसका निरीक्षण तो कोई अधिकारी ही कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेंगे?

श्री रामेश्वरलाल—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
८ दिसम्बर, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये १-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ३३ व ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर।)

स्टेटमेण्ट

		रु०
१—कुल एकत्रित धन	.. ..	१५,१८,७१३
२—जो धन व्यय किया जा चुका है—		
(क) गेठिया सैनिटोरियम के लिये जमींन खरीदने पर	..	१,१३,०००
(ख) गेठिया सैनिटोरियम की मरम्मत पर	..	१,७०,९४३
(ग) गेठिया सैनिटोरियम में बिजली लगाने पर	..	५२,६२४
(घ) जहांगीराबाद के सिलसिले में व्यय	..	४,६५१
(ङ) टी० बी० अस्पताल इटावा के सम्बन्ध में	..	३२,०००
(च) ब्रज सेवा समिति टी० बी० सैनिटोरियम को अनुदान	..	६०,०००
योग	..	४,३३,२१८

३—धन जिसके खर्च की स्वीकृत हो चुकी है और अभी खर्च हो रहा है—

		रु०
(क) फिरोजाबाद अस्पताल में टी० बी० की ७६ शय्यायें और बढ़ाने के लिये	.. ..	२,४९,६००
(ख) ७६ अतिरिक्त शय्याओं को सुसज्जित करने का व्यय		८१,०००
(ग) फिरोजाबाद की वर्तमान २६ शय्यायों को सुसज्जित करने का व्यय	.. ..	३२,०००
(घ) गेठिया में देवी विला खरीदने का व्यय	..	१५,०००
(ङ) कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक लखनऊ को अनुदान		२५,०००
(च) टी० बी० अस्पताल इलाहाबाद को बनाने तथा सुसज्जित करने के लिये	..	२,१४,०००
योग	..	६,१६,६००

४—निम्न कार्यों के लिये सुरक्षित धन जो अभी दिया नहीं गया—

(क) टी० बी० अस्पताल बनारस के लिये (तखमीना बन रहा है)	..	२,५०,०००
(ख) कानपुर में टी० बी० की शय्यायें बढ़ाने के लिये (तखमीना बन रहा है)	..	७०,०००
(ग) बस्ती टी० बी० अस्पताल में २० शय्यायें बनाने के लिये (तखमीना बन रहा है)		५०,०००
(घ) गोरखपुर में टी० बी० का अस्पताल बनाने के लिये (तखमीना बन रहा है)	..	५०,०००
योग	..	४,२०,०००
५—शेष धन	.. ..	४८,८९५ रु०

६—टी० बी० के लिये इस धन से बढ़ाई गई अथवा बढ़ाई जाने वाली शय्याओं की संख्या—

	मौजूदा तादाद	बढ़ाई जाने वाली शय्यायें	योग	अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये शय्यायें
१—गेठिया ..	५०	१५	६५	४८
२—फिरोजाबाद ..	२६	७६	१०२	७५
३—बनारस ..	..	५०	५०	३६
४—इलाहाबाद ..	..	४४	४४	३३
५—वृन्दावन ..	..	२५	२५	२५
६—इटावा ..	१०	..	१०	१०
७—लखनऊ ..	..	१०	१०	१०
८—कानपुर ..	..	२०	२०	२०
९—गोरखपुर ..	..	२५	२५	२५
१०—बस्ती ..	..	२०	२०	२०
योग ..	८६	२८५	३७१	३०२

७—विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को निम्नांकित दर से अस्पताल तथा खाने का खर्चा देना पड़ता है—

(क) गेठिया सैनिटोरियम में—

१—क्लास १ में खाने का खर्च मिलाकर ३ रु० प्रति दिन।

२—क्लास २ में खाने का खर्च मिलाकर २ रु० १२ आ० प्रति दिन।

३—क्लास ३ में खाने का खर्च मिलाकर २ रु० ८ आ० प्रति दिन।

(इसमें २ रु० प्रति दिन खाने का है।)

(ख) फिरोजाबाद अस्पताल में—

१—५०० रु० से अधिक आमदनी वाले व्यक्ति को खाने का खर्च मिला कर ४ रु० प्रति दिन।

२—२५० रु० से ५०० रु० तक आमदनी वाले व्यक्ति को खाने का खर्च मिला कर ३ रु० ८ आने, प्रति दिन।

३—१०० रु० से २५० रु० तक आमदनी वाले व्यक्ति को खाने का खर्च मिला कर ३ रु० प्रति दिन।

(इसमें भी २ रुपया प्रतिदिन खाने का है)

८—१०० रु० से कम आमदनी वाले व्यक्ति को दोनों स्थानों पर फ्री क्लास में रखा जाता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये १-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर।)

क्रम-संख्या	सहकारी संघ के भट्ठों के नाम	जून, १९५३ से जुलाई, १९५४ तक का एलाटमेंट
		बैगन
१	डी० सी० डी० एफ 'ए'	२० १/४ "
२	डी० सी० डी० एफ "बी"	३१ १/२ "
३	डी० सी० डी० एफ "सी"	२५ १/२ "
४	बसरेहर	४२ १/६ "
५	एकदिल	२० ३/४ "
६	महेवा	२६ ३/४ "
७	अजीतमल	२३ "
८	राजमाव (जी उद्योग)	१४ "
९	ताखा	१/४ "
१०	बड़ा लोकपुर	२३ १/४ "
११	मुरादगंज	१८ २/३ "
१२	अटसू	१६ ३/४ "
१३	शेरपुर	१८ १/४ "
१४	लखना	१९ १/३ "
१५	अंयाना	७ १/४ "
१६	निवारी कलां	१६ ११/१२ "
१७	बकेवरशूल	१६ १/२ "
१८	राहिन	१५ ३/४ "
१९	उरेंग	१७ "
२०	लवेदी	१३ ११/१२ "
२१	लक्खी	३ "
२२	जैमालपुर	१३ ३/४ "
२३	नगला अजीत	११ "
२४	डिस्ट्रिक्ट पी० काम	६ १/४ "
२५	जसवन्तनगर	३७ १/४ "
२६	बलराय	३० "
२७	हनवाड़ा	३० "
२८	जगसौरा	१० "
२९	भर्थना	४१ १/२ "
३०	सम्हान	१४ "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सहकारी संघ के भट्ठों के नाम	जून, १९५३ से जुलाई, १९५४ तक का एलाटमेंट
३१	उमरसंडा	२० बैगन
३२	अछल्दा	१५ "
३३	बिधुना	२२ "
३४	रूरूगंज	११ "
३५	कुदरकोट	१५ "
३६	अर्बा कटरा	१२ "
३७	हरचांदपुर	११ "
३८	दिबियापुर	२५ "
३९	औरैया	४४ १/२ "
४०	फफूंद	२३ "
४१	देवारपुर	१० "
४२	काकौर	६ "
	योग ..	८०१ बैगन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये १-१२-५४ के तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

उत्तर प्रदेश की प्रमुख मन्डियों में खाद्यान्नों के औसत थोक बाजार भाव की तालिका

[प्रति मन], १९५४

खाद्य पदार्थ		मई			जून			जुलाई			अगस्त			सितम्बर			अक्टूबर		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
गेहूं	..	१३	७	३	११	१३	४	१२	११	४	१२	१५	७	१२	१५	१	१३	३	३
चना	..	१०	९	२	९	२	८	९	६	३	९	०	१०	९	१	२	८	१२	१०
जौ	..	८	६	१०	७	७	४	८	१	४	७	१३	७	७	९	६	७	९	३
चावल	..	१७	१४	२	१६	१५	७	१७	७	९	१७	५	७	१७	५	४	१५	१४	११
मक्का	..	९	११	०	९	१४	०	९	११	४	९	५	४	९	३	६	८	११	९
ज्वार	..	८	६	२	७	११	६	८	२	६	७	१४	८	८	०	०	७	१४	८
बाजरा	..	१०	११	९	९	९	११	१०	४	४	१०	२	८	९	५	५	८	१३	१०
अरहर दाल	..	१३	७	०	१२	०	५	१२	५	०	१२	४	१०	१२	२	१०	११	११	१०
मसूर दाल	..	१७	८	८	१७	०	४	१७	८	०	१७	३	७	१५	११	०	१४	८	८
मूंग दाल	..	१७	११	३	१५	४	७	१५	८	४	१५	२	७	१४	८	९	१४	२	७
उर्द दाल	..	१७	८	४	१४	६	६	१४	१४	२	१४	१२	८	१४	५	१०	१३	१४	३
गुड़	..	१९	११	९	१८	१०	१	१९	११	२	२०	९	६	२०	१२	१०	२१	११	०
सरसों	..	२४	१२	४	२२	११	७	२३	१०	११	२३	१५	१०	२४	१४	१	२४	१५	१
सरसों का तेल	..	६१	२	०	५५	११	७	५७	१४	११	५८	३	६	६१	४	०	६०	१२	११

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४३ एल० ए०—१९५५—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा